

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावरण भवन, सीक्टर-18, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ई-मेल : seacgg@gmail.com

विषय:- राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एच.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 28/10/2023 को संयुक्त 492वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

—00—

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एच.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 492वीं बैठक दिनांक 28/10/2023 को डॉ. बी.पी. मोन्टारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया-

1. डॉ. शैलेश कुमार जलधर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 2. श्री एन.के. बन्दाकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 3. श्री किशन सिंह धुब, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 4. श्री कलविन्दुस शिर्डी, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
- समिति द्वारा एजेन्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया-

एजेन्डा आइटम क्रमांक-1: 491वीं एवं 492वीं बैठक क्रमशः दिनांक 12/10/2023 एवं 13/10/2023 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एच.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 491वीं एवं 492वीं बैठक क्रमशः दिनांक 12/10/2023 एवं 13/10/2023 को सम्पन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के सम्मत होकर प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त निष्पत्ति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आइटम क्रमांक-2: गौण/मुख्य खनिजों संबंधी प्रकल्पों के प्रस्तुतीकरण उपरंत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. गैरलाइव बलरपुर सेक्टर साईन (डी)- श्री किशोर मिश्रा, ग्राम-बलरपुर, तहसील-नवागढ़, जिला-जांजगीर-बांधा (सकियाखण्ड का नक्सी क्रमांक 2834)
ऑनलाइन आवेदन - एच.ई.ए.सी. नम्बर - एच.ई.ए.सी./ सी.पी./ एच.ई.ए.सी./ 440441/2023, दिनांक 18/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाइन आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित सेल (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-बलरपुर, तहसील-नवागढ़, जिला-जांजगीर-बांधा स्थित चार्ट ऑफ लैंड क्रमांक 554, ब्लु प्रिन्सिपल-5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। एलखनन इलाहेव नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित एलखनन क्षमता-74,375 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परिशीलना प्रस्तावक को एसईएसी, जालीसगढ़ के ज्ञान दिनांक 18/10/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 423वीं बैठक दिनांक 28/10/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री लोकेश्वर प्रताप सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय नवीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय नवीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनुरोधित प्रमाण पत्र - रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बलबलपुर का दिनांक 27/02/2023 का अनुरोधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. विन्दकित/सीमांकित - कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विन्दकित/सीमांकित बन पावित है।
4. उत्खनन योजना - रिवर बेड लेवेल नाईन प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-खोल्हा के ज्ञान क्रमांक 1485/खनिज/उ.मा.ख./2023-24 जोरबा, दिनांक 01/08/2023 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जालगीर-बाँस के ज्ञान क्रमांक 2781/ख.सि./रेत/2023 जालगीर, दिनांक 10/07/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जालगीर-बाँस के ज्ञान क्रमांक 2781/ख.सि./रेत/2023 जालगीर, दिनांक 10/07/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, रेल लाईन, मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, बाँस, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतीक्षित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. एल.ओ.आई. का विवरण - एल.ओ.आई. की रिपोर्ट मिना के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जालगीर-बाँस के ज्ञान क्र. 2288/मीन खनिज/नीलामी/न.ख./2023 जालगीर, दिनांक 26/08/2023 द्वारा जारी की गई, जो 8 माह की अवधि हेतु वैध है।

जालीसगढ़ तहसील, खनिज साखन विभाग, मंडालख, महालदी पथर, नया रामपुर अटोल नगर द्वारा जालीसगढ़ मीन खनिज साखरण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2018 हेतु संशोधन अधिसूचना दिनांक 09/05/2023 को जारी की गई है। उक्त अधिसूचना के नियम 4 अनुसार "उत्खनन पट्टे की कालावधि-साधारण रेत के उत्खनन हेतु उत्खनन पट्टा पांच वर्ष की कालावधि के लिए प्रदान किया जाएगा। पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर उत्खनन पट्टा किलेख के पंजीयन दिनांक से किया जाएगा।" का उल्लेख है।

8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रती प्रस्तुत की गई है।

9. वन विभाग का अनुमोदित प्रमाण पत्र - कार्यालय वनसमन्वयकिकारी, जालंधीर-बाँया वनसमन्वयक, बाँया के ज्ञापन क्रमांक/तक.अदि./10880 बाँया, दिनांक 30/11/2019 से जारी अनुमोदित प्रमाण पत्र अनुसार प्रस्तावित रेत खदान से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी से 13.7 कि.मी. है।
10. महासूच्य खोलाखड़ी की दूरी - निकटतम आवाही घाट-बल्लभपुर 450 मीटर, सलुल घाट-बरबनापुर 630 मीटर एवं अस्पताल खामख 8.25 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11.8 कि.मी. एवं राजमार्ग 2.15 कि.मी. दूर है। महल 1.4 कि.मी. रोड़ ब्रिज 3 कि.मी. तालाब 1.45 कि.मी. एनिकट 8.85 कि.मी. एवं नाला 750 मीटर दूर स्थित है।
11. खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी - जांचेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई - अधिकतम 760 मीटर, न्यूनतम 740 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई - अधिकतम 305 मीटर, न्यूनतम 295 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई - अधिकतम 179 मीटर, न्यूनतम 157 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 210 मीटर, न्यूनतम 180 मीटर है।
12. खदान स्थल पर रेत की मोटाई - जांचेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई - 4 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई-1.75 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा - 74,375 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर वार्षिक वार्षिक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 4 मीटर है। रेत की वार्षिक गहराई हेतु योजनामा भी प्रस्तुत किया गया है।
13. खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलस - रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ 25 मीटर गुना 25 मीटर के डिग बिन्दुओं पर दिनांक 05/08/2023 को रेत सतह के वर्तमान लेवलस (Levels) लेकन, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणिकरण उपरंत खोटीघाभा सहित जानकारी/रस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।
14. सीमित पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परीचीजन प्रस्तावक द्वारा समिति के सचिव विस्तार से सभी उपरंत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
43	3%	0.66	Following activities at Village-Karna	
			Plantation at Village Pond	1.02
			Total	1.02

15. सी.ई.आर. के अंतर्गत राज्यावधि के चारों ओर कुशादीपन (आम, कटहल एवं जामुन) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 80 नग पौधों में से 10 नग पूरा पूर्व से राज्यावधि के चारों ओर अवस्थित हैं। शेष 70 नग पौधों के लिए राशि 5,000 रुपये, कोसिंग के लिए राशि 7,500 रुपये, खाद के लिए राशि 2,000 रुपये, सिंचाई तथा लकड़-रखाव आदि के लिए राशि 20,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 34,500 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 68,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परिधीयता प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत कार्य के सहमति उपरोक्त कुशादीपन स्थान (खसरा क्रमांक 880, क्षेत्रफल 0.580 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
16. कुशादीपन कार्य - नदी के तट पर ग्राम पंचायत बरबसपुर की शासकीय भूमि (खसरा क्रमांक 527/1, कुल रकबा 2.298 हेक्टेयर में से 0.9 हेक्टेयर) में 1,000 नग कुशादीपन करने हेतु प्रस्ताव दिया गया है, जो निम्नानुसार है:-

विवरण		प्रथम वर्ष (रुपये)	द्वितीय वर्ष (रुपये)	तृतीय वर्ष (रुपये)	चतुर्थ वर्ष (रुपये)	पंचम वर्ष (रुपये)
प्रथम नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान लकड़ों/घास नार्न से उत्पन्न हुए उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल सिंचकाव		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
नदी तट (शासकीय भूमि) में (1,000 नग) कुशादीपन हेतु	कुशादीपन हेतु राशि	1,00,000	—	—	—	—
	कोसिंग हेतु राशि	80,000	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	सिंचाई एवं लकड़-रखाव हेतु राशि	1,55,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000
कुल राशि = 14,15,000		4,15,000	2,50,000	2,50,000	2,50,000	2,50,000

समिति का मत है कि ग्राम पंचायत बरबसपुर की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 527/1, रकबा 2.298 हेक्टेयर में से 0.9 हेक्टेयर में 1,000 नग कुशादीपन किये जाने हेतु ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. परिधीयता से जिन-जिन स्थलों से अनुसूचित कस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल सिंचकाव की व्यवस्था किये जाने बाबत सम्यक पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
18. खदान क्षेत्र के आस-पास नदी तट एवं घाटों नार्न में सख्त कुशादीपन किये जाने एवं संश्लेषित पौधों का सन्वर्द्धन रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत सम्यक पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
19. पशुधनसंग्रह आदर्श पुनर्वसन नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु सम्यक पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विस्फोट इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देहा को अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लक्षित नहीं है।
22. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विस्फोट भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना क्र.आ. 804(3), दिनांक 14/03/2017 को अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लक्षित नहीं है।
23. सानरीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. सानरीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये विरा निदेशों का पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके द्वारा इन्वोल्वमेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाइडलाइन्स फॉर सेक्टर 2020 के प्रावधानों का पालन किया जावेगा तथा अनुसूचित उल्लंघन योजना में दिए गाइडनेस रिजर्व का 80 प्रतिशत रिजर्व ही उल्लंघन किया जाएगा।
26. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान में तथा खनन के दौरान सस्टेनेबल सोड गाइडिंग गाइडलाइन्स 2018 एवं इन्वोल्वमेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाइडलाइन्स फॉर सेक्टर 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।
27. पर्यावरण स्वीकृति में दिये गये शर्तों का पालन किये जाने एवं छनाही पालन प्रविष्टि पर्यावरण कर्वालय में जमा किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण कर लेने के उपरान्त संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रविष्टि प्राप्त कर, डिपॉजिट कोर्टोप्रायस सहित जानकारी पर्यावरण स्वीकृति हेतु जमा किये जाने वाले आधिकारिक रिपोर्ट में समाहित कर प्रस्तुत किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आवेदित स्थल से स्कूल 530 मीटर, अस्पताल 8.25 कि.मी. एवं आबादी क्षेत्र 450 मीटर की दूरी पर है जो कि छ.ग. गीब खनिज अधिनियम 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है, अतः स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव कमपा होना। खनन कार्य से स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में होने वाले जन समस्याओं को निवारण हेतु निम्न उपाय किये जाएंगे—

- i. खदान क्षेत्र के आम-पाना नदी तट एवं खुदब मार्ग में घाटी और स्थान कुशासन किया जाएगा, जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।
 - ii. खून(ब्लड) के निराकरण के लिए टैंकन के द्वारा पानी को छिड़काव किया जाएगा, जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।
 - iii. हमारे द्वारा खनिज का परिवहन सार्वजनिक से अंक कर किया जाएगा, जिससे रास्ते में वाहन से खनिज न गिरे।
 - iv. हमारे द्वारा वाहनों का परिवहन स्कूल एवं आबादी क्षेत्र से होकर नहीं किया जाएगा, जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।
 - v. हमारे द्वारा स्कूल एवं आबादी क्षेत्र में डीम आवाकन स्वास्थ्य परिधान कराया जाएगा।
 - vi. हमारे द्वारा ग्राम विद्यालय परियोजना लागत की 2 प्रतिशत राशि सी. ई.आर. के तहत तालाब के घाटी और आम के विभिन्न प्रजातियों, जामुन एवं कटहल आदि के वृक्षों का रोपण एवं मुखा हेतु फेंसिंग तथा 5 वर्षों तक सम्पूर्ण देखभाल किया जाएगा।
 - vii. कड़कों का उचित रख-रखाव एवं धूल आदि से मुखा हेतु नियमित जल छिड़काव किया जाएगा, रौड़, आबादी, स्कूल आदि पर धूल का प्रभाव नगण्य होगा।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आलय का समय पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि वर्षा ऋतु में रेत उत्खनन का कार्य नहीं जाएगा।
 31. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में कुशासन कार्य के नीतिगत एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या प्रतीक्षित पर्यवेक्षण संस्थान संस्थान के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में कुशासन का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
 32. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के हैं। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जाये। भारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
 33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1.75 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुसूचित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तालाबों आंकड़ों का सम्बन्ध नहीं किया गया है। इसदेख नदी बड़ी नदी है तथा इसमें वार्षिकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत कार्यसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय किया गया—

1. आवेदित खदान (ग्राम-बरकसापुर) का रुकबा 5 हेक्टर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की पानी नदी।



2. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्षों में विस्तृत ग्राउंड अध्ययन (Situation Study) करावेगा, ताकि रेत की पुनर्जनन (Replenishment) बाधित नहीं आसकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय जनसंख्या, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के चानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की गहरी जाणकारी प्राप्त हो सके।
3. लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाइन डाटा –
 - i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आसकड़े अवकाश एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।
 - ii. पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इसी विभिन्न बिन्दुओं में निर्धारित लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अलास्ट्रीम एवं अलास्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (टोपी ज़ोन) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित बिन्दुओं पर किया जावेगा।
 - iii. इसी प्रकार रेत खनन उपरोक्त मानसून के पूर्व (एप्रैल माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इसी विभिन्न बिन्दुओं पर रेत सतह के स्तरों (Levels) का मापन किया जाएगा।
 - iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर रेत सतह के स्तरों (Levels) के मापन का सर्वे आगामी 5 वर्षों तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आसकड़े दिसम्बर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री-मानसून के आसकड़े अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।
4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से फेसर्स बरबसपुर ब्लॉक माईनिंग (जे- श्री सिवेल मिन्स), पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 554, ग्राम-बरबसपुर, तहसील-नवागढ़, जिला-जाजगीर-बांग, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर के कुल 80 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 45,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्काशन की तारीख से पांच वर्षों तक की अवधि हेतु परिशिष्ट-01 में बर्णित शर्तों के अधीन दिये जाने की अनुमति की गई। रेत की खुदाई भविष्ये द्वारा (Manually) की जाएगी। रिक्त बेड (Miner Bed) में चानी बाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लॉन्ड्रिंग प्लांट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रेलरों द्वारा किया जाएगा।
5. नदी किनारे ग्राम पंचायत बरबसपुर के शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 527/1, एका 0.9 हेक्टेयर में 1,000 नग बुझारोमण किये जाने हेतु ग्राम पंचायत का सहमति पत्र को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सहज अनुमति की जाती है।
6. सस्टेनेबल ब्लॉक माईनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इन्वोर्लमेंट एण्ड मॉनिटरिंग

साईंजलाईन्स और सैफ्ट माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार कड़ाई से चलान सुनिश्चित किया जाए।

राज्य सार्वजनिक पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिकांश (एच.आई.आई.ए.ए.) प्रतीकण्ड को तदनुसार सुनिश्चित किया जाए।

2. पेशवा सुविधा सैफ्ट माईनिंग (जी- सी विद्युत्पाल सिंह राजपूत), ग्राम-सुविधा, तहसील-जांजगीर, जिला-जांजगीर-बाँसा (सचिवालय का नक्सा क्रमांक 2833)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीसी/ एनआईएन/ 440471/2023, दिनांक 18/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत (मौल खनिज) खदान है। खदान ग्राम-सुविधा, ग्राम पंचायत कुदरी, तहसील-जांजगीर, जिला-जांजगीर-बाँसा स्थित फर्टी ऑफ जमरा क्रमांक 490 एवं 548, कुल क्षेत्रफल-5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। प्रस्तावित जमरा नदी से किच्छा जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-71,250 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.आई.ए.सी., प्रतीकण्ड के ज्ञापन दिनांक 18/10/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुनिश्चित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 493वीं बैठक दिनांक 28/10/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु सी विद्युत्पाल सिंह राजपूत, प्रयोजनकर्ता उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्सा, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान की पूर्ण में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कुदरी का दिनांक 23/12/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. किन्दाकित/सीमांकित - सचिवालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान किन्दाकित/सीमांकित बन घोषित है।
4. उत्खनन योजना - रिवर बेट सैफ्ट माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-बाँसा के ज्ञापन क्रमांक 1484/खनिज/स.वा.अ./2023-24 क्रमांक, दिनांक 01/08/2023 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - सचिवालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जांजगीर-बाँसा के ज्ञापन क्रमांक 2784/ख.नि./रेत/2023 जांजगीर, दिनांक 12/07/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की सूची निम्न है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - सचिवालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जांजगीर-बाँसा के ज्ञापन क्रमांक 2792/ख.नि.

/रेल/2023 जांजगीर, दिनांक 12/07/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 300 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, रेल लाइन, मंदिर, मस्जिद, मस्जिद, पुल, बांध, एरीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। मात्रा 110 मीटर की दूरी पर स्थित है।

7. एल.ओ.आई. का विवरण - एल.ओ.आई. की सिफुनाल सिंह राजपूत के नाम पर है, जो कार्यालय डायरेक्टर (खनिज संधारण), जिला-जांजगीर-बांधा के पृ. क्र. 2283-84/बीम खनिज/नीलामी/न.क्र./2023 जांजगीर, दिनांक 28/05/2023 द्वारा जारी की गई, जो 5 माह की अवधि हेतु वैध है।

प्रतीनगर सातन, खनिज संधारण विभाग, संबलपुर, महानदी नगर, तथा रावपुर अटल नगर द्वारा प्रतीनगर बीम खनिज संधारण रेल (उत्खनन एवं संधारण) नियम, 2019 हेतु संशोधन अधिसूचना दिनांक 08/08/2023 को जारी की गई है। उक्त अधिसूचना के नियम 4 अनुसार "उत्खनन पट्टे की कालावधि-संधारण रेल से उत्खनन हेतु उत्खनन पट्टा पांच वर्ष की कालावधि के लिए प्रदान किया जाएगा। पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति उत्खनन पट्टा विच्छेद के संजीवन दिनांक से किया जाएगा।" का उल्लेख है।

8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रती प्रस्तुत की गई है।

9. वन विभाग का अनुमति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनसम्भलधिकारी, जांजगीर-बांधा वनसम्भल, बांधा के डायन क्रमांक/मा.वि./3487 बांधा, दिनांक 29/08/2020 से जारी अनुमति प्रमाण पत्र अनुसार प्रस्तावित रेल खदान से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी से 13.3 कि.मी. है।

10. महापूरु संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी घान-पुठिया 260 मीटर, स्कूल घान-पुठिया 850 मीटर एवं अस्पताल बांधा 2.25 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.5 कि.मी. एवं राजमार्ग 3.85 कि.मी. दूर है। नहर 1.55 कि.मी., रोड़ पुल 810 मीटर, रेलवे पुल 3.10 कि.मी., जलाशय 290 मीटर, एरीकट 810 मीटर एवं बांध 750 मीटर दूरी पर स्थित है।

11. खान स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी - आवेदन अनुसार खान स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई - अधिकतम 338 मीटर, न्यूनतम 300 मीटर तथा खान स्थल की लंबाई - अधिकतम 522 मीटर, न्यूनतम 518 मीटर एवं खान स्थल की चौड़ाई - अधिकतम 100 मीटर, न्यूनतम 81 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 62 मीटर, न्यूनतम 45 मीटर है।

12. खदान स्थल पर रेल की चौड़ाई - आवेदन अनुसार स्थल पर रेल की गहराई - 4.05 मीटर तथा रेल खनन की प्रस्तावित गहराई - 1.5 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित मॉडर्निज प्लान अनुसार खदान में मॉडर्निज रेल की मात्रा - 71,290 टनमीटर है। रेल वास्तव्य हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेल सतह की चौड़ाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गड़दे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से अनुरोधित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेल की उपलब्ध चौड़ाई 4.05 मीटर है। रेल की वास्तविक गहराई हेतु अध्ययन भी प्रस्तुत किया गया है।



13. खदान क्षेत्र में रेत सहाह के लेवलस – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित खान एवं प्रस्तावित खान की खारी लम्बे 25 मीटर गुण्डा 25 मीटर के चिह्न बिन्दुओं पर दिनांक 01/08/2023 को रेत सहाह के वर्तमान लेवलस (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणिकरण उपरांत फोटोग्राफस सहित जानकारी/प्रस्तावित प्रस्तुत किये गये हैं।
14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सड़क से सड़क विस्तार से संबंधित उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
52.67	2%	1.06	Following activities at Village- Kudari	
			Plantation at Village Pond	1.30
			Total	1.30

15. सी.ई.आर. के अंतर्गत खान क्षेत्र की खारी और वृक्षारोपण (आम, कटहल एवं जामुन) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 70 नग विहारे में से 20 नग वृक्ष पूर्व से खान क्षेत्र की खारी और अवस्थित हैं। आम 50 नग पौधों के लिए राशि 5,000 रुपये, केरिया के लिए राशि 7,500 रुपये, खान के लिए राशि 2,500 रुपये, सिंचाई तथा पक्क-सहाह आदि के लिए राशि 25,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 40,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 80,000 रुपये हेतु पाटकुवार काम का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान पंचायत कुदरी के सहमति उपरांत खानवीथ स्थान (खसरा क्रमांक 87, क्षेत्रफल 1.448 हेक्टेयर) के संकेत में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
16. वृक्षारोपण कार्य – नदी के तट पर खान पंचायत कुदरी के सहमति उपरांत खानवीथ भूमि (खसरा क्रमांक 833, कुल रकबा 2.48 हेक्टेयर में से 0.8 हेक्टेयर) में 1,000 नग वृक्षारोपण करने हेतु प्रस्ताव दिया गया है, जो निम्नानुसार है:-

विवरण	प्रथम वर्ष (रुपये)	द्वितीय वर्ष (रुपये)	तृतीय वर्ष (रुपये)	चतुर्थ वर्ष (रुपये)	पंचम वर्ष (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़क/घाट मार्ग से उत्पन्न धूल परतर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
नदी के तट पर खानवीथ भूमि में वृक्षारोपण हेतु राशि	1,00,000	—	—	—	—
वैना चिह्न के लिए भूमि में	50,000	—	—	—	—

(1,000 मन) कुआरौपन हेतु	लक्षि					
	खाद हेतु	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	लक्षि					
	मिथाई एवं एच-एचएच हेतु लक्षि	1,55,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000
कुल लक्षि = 14,10,000		4,10,000	2,50,000	2,50,000	2,50,000	2,50,000

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्यों के कर्तव्य पूर्ण कर लेने से सम्बंधित जल मंचाया से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर डिप्लोमैंग कोर्टोपान्त मंडित जनकारी पर्यावरण स्वीकृति हेतु जमा किये जाने वाले आवेदार्थिक रिपोर्ट में सम्बंधित कन प्रस्तुत किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
18. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से पशुचिदित जस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल विशुद्धता की जासकत किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
19. खदान क्षेत्र के आस-पास नदी तट एवं पशुप मार्ग में सामान कुआरौपन किये जाने एवं रोपित पौधों का सलवाइवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. प्रलौसणइ आसतं पुस्वोक्त नीति के तहत स्थानीय लोगों की रोजगार किये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किन्ती भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, लालक, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इन्हो संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनको विरुद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण रेट के अंतर्गत किरी भी न्यायालय में लखित नहीं है।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनको विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना क्र.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई प्रलौषण का प्रकरण लखित नहीं है।
24. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 के common cause vs. Union of India with petition (C) 114 of 214 में किये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 के with petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में किये गये किरा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनको द्वारा इन्-कोलेसिमेंट एन्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स कौर सेप्ट 2020 के प्राकधानों का पालनकिया जावेगा तथा अनुमोदित प्रलौषण

संरचना में दिए माइनिंग रिजर्व का 80 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जाएगा।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस अंतर्गत का सम्य पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान में तथा खनन के दौरान सस्टेनेबल सोड माइनिंग गाइडलाइन्स 2016 एवं इन्वोल्वमेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाइडलाइन्स फॉर सोड 2020 को प्रावधानों का पालन किया जाएगा।
28. पर्यावरण स्वीकृति में दिये गये शर्तों का पालन किये जाने एवं सन्वारी पालन प्रतिवेदन पर्यावरण कार्यालय में जमा करने बाबत सम्य पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्य पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आवेदित स्थल से स्कूल 850 मीटर, अस्पताल 2.25 कि.मी. एवं आबादी क्षेत्र 260 मीटर की दूरी पर है जो कि ख.ग. नीच खनिज अधिनियम 2015 में उचित मानक दूरियों से अधिक है, अतः स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा। खनन कार्य से स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में होने वाले जन समस्याओं के निराकरण हेतु निम्न उपाय किये जाएंगे—
 - i. खदान क्षेत्र के आस-पास नदी तट एवं पट्टेय मार्ग में बाढ़ों और तटन कक्षाकरण किया जाएगा, जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।
 - ii. पुल(ब्रिज) के निराकरण के लिए टैंकर के द्वारा पानी को छिड़कना किया जाएगा, जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।
 - iii. हमारे द्वारा खनिज का परिवहन तालपोलिन से ढंक कर किया जाएगा, जिससे रास्ते में बाह्य से खनिज न गिरे।
 - iv. हमारे द्वारा बाहनों का परिवहन स्कूल एवं आबादी क्षेत्र से होकर नहीं किया जाएगा, जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।
 - v. हमारे द्वारा स्कूल एवं आबादी क्षेत्र में कौन्य जनाजन्य स्वस्थ पत्रिका कराया जाएगा।
 - vi. हमारे द्वारा ग्राम स्थित तालाब में परियोजना लागत की 2 प्रतिशत राशि सी. ई.आर. के तहत तालाब के बाढ़ों और जल के विभिन्न प्रकृतियों, जलून एवं कटहल आदि के पौधों का रोपण एवं सुखा हेतु कंसिंग तथा 5 वर्ष तक सम्पूर्ण देखभाल किया जाएगा।
 - vii. बाढ़कों का उचित रख-रखाव एवं धूल आदि से सुखा हेतु नियमित जल छिड़काव किया जाएगा, सोड, आबादी, स्कूल आदि पर धूल का प्रभाव नगण्य होगा।
30. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में कक्षाकरण कार्य के मॉनिटरिंग एवं परीक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (ग्रोपराइजर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन वा उत्तीर्ण पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में कक्षाकरण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से संचालित कराया जाना आवश्यक है।
31. वेत उत्खनन नियुक्त विधि से एवं नदी का कार्य लेकर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि ओवर जैसे पत्र नदी बाह्य की कंपनी के है।

अतः नहरों का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जाये। बाकी काननों को नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

32. परिवर्तित प्रस्तावक द्वारा 1.5 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुसंधित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तालाबों आंकड़ों का सत्यापन नहीं किया गया है। इसलिए नदी कड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. आवेदित खदान (घान-पुठिया) का सतह 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की श्रेणी नहीं।
2. परिवर्तित प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत वाद अध्ययन (Detailed Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाध नही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय जनसंख्या, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
3. लीज क्षेत्र की सतह का बेंसलाईन डाटा —
 - a. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के सतरी (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े तालुका एच.ई.आई.ए.ए., जलसंग्रह को प्रस्तुत किये जायें।
 - b. पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इसी विभिन्न बिन्दुओं में माईनिम लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के सतरी (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर किया जायेगा।
 - c. इसी प्रकार रेत खनन उपरोक्त मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इसी विभिन्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा।
 - d. रेत सतह के पूर्व निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन का कार्य आगामी 4 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री-मानसून के आंकड़े जगम 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एच.ई.आई.ए.ए., जलसंग्रह को प्रस्तुत किए जायेंगे।
4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से मेरवा पुठिया सेन्ड माईन (जे. - की किमुवाल सिंह राजपूत), चर्ट्री जीक खसरा क्रमांक 890 एवं 898, घान-पुठिया, घान बंधारा कुदरी, तहसील-जोअरी, जिला-जोधपूर-वांच, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 85,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के विस्थापन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु परिशिष्ट-02 में वर्णित शर्तों के अधीन विधे जाने की अनुमति की गई। रेत की सुराई शिफ्टों द्वारा (Manually) की

File

जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी खड्डों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लोअर क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) में लोडिंग पाईट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर द्वारा किया जाएगा।

- सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन्स, 2018 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2018) एवं इन्फोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइन्स फॉर सैंड माइनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार खड़ाई में पालन सुनिश्चित किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रियाएं (एस.ई.आई.ए.ए.) फ्लोरीसागढ़ की तदनुसार सुनिश्चित किया जाए।

- वेसर्न कोटनी सैंड माइन (प्री-बी आर. आइ.ए.ए. नवीराज), ग्राम-कोटनी, तहसील व जिला-दुर्ग (सचिवालय का नसीब क्रमांक 2022)

ऑनलाइन आवेदन - इंग्रजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एसआईए/ 460145/2023, दिनांक 16/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाइन आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत (सीम खनिज) खदान है। खदान ग्राम-कोटनी, तहसील व जिला-दुर्ग स्थित पारट जीप खदान क्रमांक 1, कुल क्षेत्रफल-5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन सिवनाथ नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-69,268 टनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. फ्लोरीसागढ़ के द्वारा दिनांक 16/10/2023 द्वारा अनुमोदन हेतु सुचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 460वीं बैठक दिनांक 28/10/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जे.जे. डेनी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसीब, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान की पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
- ग्राम पंचायत का अनुरोध प्रमाण पत्र - रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कोटनी का दिनांक 23/12/2013 का अनुरोध प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- विन्दाकित/सीमांकित - कार्यालय कलेक्टर, खनिज सारदा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विन्दाकित/सीमांकित कर भेषित है।
- उत्खनन योजना - सीमांकित कक्षा में प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो ग्राम-कोटनी, खनिज प्रशासन जिला-दुर्ग के द्वारा क्रमांक 789/खनि. अनु-01/2023, दिनांक 07/08/2023 द्वारा अनुमोदित है।
- 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सारदा), जिला-दुर्ग के द्वारा क्रमांक 878/खनि. सि.02/खनिज/2023 दुर्ग, दिनांक

20/07/2023 के अनुसार आवंटित खदान से 500 मीटर के भीतर अव्यक्त अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 878/खनि. लि.02/खनिज/2023 दुर्ग, दिनांक 20/07/2023 द्वारा जारी प्रथम पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, नहर, मन्दिर, मस्जिद, नगरपालिका, पुल एवं एनिकोट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। उक्त क्षेत्र से लगभग 300 मीटर की दूरी पर शिवनाथ नदी में निर्माणधीन पुल स्थित है।
7. एल.ओ.आई. का विवरण - एल.ओ.आई. की जार अक्टूबर मनीराज के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 815/खनिज/रेत (निर्वाह बंधन)/2019 दुर्ग, दिनांक 03/10/2019 द्वारा जारी की गई, जो 6 माह की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत न्यायालय संचालक, मनीराज तथा खनिज, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 11/2022 द्वारा जारी पत्रित आवंटन दिनांक 30/09/2022 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील प्रकरण स्वीकार करते हुए, रत-संचालक (खनिज प्रशासन), जिला-दुर्ग के पत्र क्रमांक 1811, दिनांक 23/02/2022 को अगला किया जाता है एवं कार्यपालन प्रतिभूति (बैंक गारंटी) राजस्व नहीं किये जाने निर्देशित किया जाता है। उक्त बैंक गारंटी की अवधि दिनांक 30/03/2022 को समाप्त हो चुका है अतः नवीनीकरण/नवीन बैंक गारंटी जमा करने अपीलकर्ता को निर्देशित किया जाता है। उत्तीर्णगढ़ ग्रीन खनिज संधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) निवम, 2019 के निवम 7(4) के तहत उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने पश्चात् नियमानुसार उत्खननपट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अधिरिक्त समयावधि प्रदान करती हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला दुर्ग को प्रत्यावर्तित किया जाता है।" होना बताया गया है।

उत्तीर्णगढ़ सख्त, खनिज संधारण विभाग, संचालक, मनीराज भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा उत्तीर्णगढ़ ग्रीन खनिज संधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) निवम, 2019 हेतु संशोधन अधिसूचना दिनांक 09/06/2023 को जारी की गई है। उक्त अधिसूचना के निवम 4 अनुसार "उत्खनन पट्टे की कालावधि-संधारण रेत के उत्खनन हेतु उत्खनन पट्टा पांच वर्ष की कालावधि के लिए प्रदान किया जाएगा। पांच वर्ष की अवधि की समाप्त उत्खनन पट्टा विलेख के संशोधन दिनांक से किया जाएगा।" का उल्लेख है।

8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनुपस्थित प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2023/8023 दुर्ग, दिनांक 08/10/2023 से जारी अनुपस्थित प्रमाण पत्र अनुसार प्रस्तावित रेत खदान से निकटतम वन क्षेत्र वनगढ़ा की दूरी से 9.2 कि.मी. है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी घास-कोटनी 80 मीटर (प्रस्तावित सीज के भीतर वन बाईनिंग क्षेत्र रखने पर निकटतम आबादी की दूरी 130 मीटर है), स्कूल नवपुरा 2 कि.मी. एवं अस्पताल नवपुरा 2.8 कि.मी. की दूरी

पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 28 कि.मी. एवं राजमार्ग 5.5 कि.मी. दूर है। तालाब 1.5 कि.मी., निर्माणाधीन पुल अपस्ट्रीम में 300 मीटर दूरी पर स्थित है।

11. खानन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी – आवेदन अनुसार खानन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई – अधिकतम 255 मीटर, न्यूनतम 215 मीटर तथा खानन स्थल की लंबाई – अधिकतम 540 मीटर, न्यूनतम 500 मीटर एवं खानन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 100 मीटर, न्यूनतम 80 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट से किनारे से दूरी अधिकतम 100 मीटर, न्यूनतम 50 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।
12. खदान स्थल पर रेत की मोटाई – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की मोटाई – 4 मीटर तथा रेत खानन की प्रस्तावित गहराई-2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनिंग रेत की मात्रा-89,268 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 8 गड्ढे (Pits) खोकर उसकी वार्षिक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध सीमा मोटाई 2 मीटर है। रेत की वार्षिक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।
13. खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलिंग – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ 25 मीटर गुंथा 25 मीटर के ग्रिड सिन्डुओं पर दिनांक 06/06/2023 को रेत सतह के वर्तमान लेवलिंग (Levels) लेकर, सभी खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरंत फोटोग्राफ सहीत जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।
14. गैर माईनिंग क्षेत्र – नदी के घाट की चौड़ाई अधिकतम 255 मीटर, न्यूनतम 215 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट से किनारे से दूरी अधिकतम 100 मीटर, न्यूनतम 50 मीटर है। नये विद्या निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खानन नहीं किया जा सकता। उपरोक्तानुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी छोड़ते हुये 2,016 वर्गमीटर क्षेत्र गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। नये माइनिंग अनुसंधान पुल अपस्ट्रीम में स्थित होने के कारण खदान से पुल की दूरी कम से कम 500 मीटर होना आवश्यक है, अतः पुल की तरफ से खदान में 12,808 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। इसके अतिरिक्त गुंथा के दृष्टिकोण से लीज क्षेत्र के मीटर 4,441 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। इस प्रकार लीज क्षेत्र में कुल 20,308 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के क्षेत्र 29,834 वर्गमीटर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त का उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।
15. सीनैरिटेड पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरंत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation

File

			(in Lakh Rupees)
27	2%	0.54	Following activities at Nearby, Village- Kotni
			Plantation Work at Govt. Land
			5.33
			Total
			5.33

16. सी.ई.आर. के अंतर्गत सातवीं वृषि में वृक्षा रोपण (आम, कटहल, जामुन आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 880 नम चौकी के लिए राशि 27,500 रुपये, फीसिंग के लिए राशि 88,250 रुपये, खाद के लिए राशि 8,500 रुपये, सिंचाई तथा रक-रखाव आदि के लिए राशि 71,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,00,250 रुपये तथा अगामी 4 वर्ष में कुल राशि 3,22,500 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल पंचायत कोटनी के सहमति उपरोक्त पंचायत स्थान (खसरा क्रमांक 173, कुल रकबा 10.10 हेक्टेयर में से 1 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

17. वृक्षा रोपण कार्य - नदी के तट पर जल पंचायत कोटनी के सहमति उपरोक्त सातवीं वृषि (खसरा क्रमांक 173, कुल रकबा 10.1 हेक्टेयर में से 0.8 हेक्टेयर) में 1,000 नम वृक्षा रोपण करने हेतु प्रस्ताव दिया गया है, जो निम्नानुसार है-

विवरण		प्रथम वर्ष (रुपये)	द्वितीय वर्ष (रुपये)	तृतीय वर्ष (रुपये)	चतुर्थ वर्ष (रुपये)	पंचम वर्ष (रुपये)
नदी के तट पर सातवीं वृषि में (1,000 नम)	वृक्षा रोपण (80 प्रतिशत जीवन वय) हेतु राशि	50,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	फीसिंग हेतु राशि	1,50,000	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
वृक्षा रोपण हेतु	सिंचाई एवं रक-रखाव हेतु राशि	1,05,000	82,500	82,500	82,500	82,500
कुल राशि = 7,08,500		3,15,000	97,500	97,500	97,500	97,500

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण बन लेने के उपरान्त संबंधित जल पंचायत से कार्यपूर्ण प्रमाणपत्र प्राप्त कर, निपेटेन कोटनीवाक सहित जानकारी पर्यावरण सहीशुद्धि हेतु जमा किये जाने वाले अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित कर प्रस्तुत किये जाने बाबत सचय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से क्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होता, उन स्थलों पर नियमित जल सिंचन की व्यवस्था किये जाने बाबत सचय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. खदान क्षेत्र के आस-पास नदी तट एवं पट्टन कार्य में सचय वृक्षा रोपण किये जाने एवं रोपित चौकी का सलवाइवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत सचय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्वतंत्र लोगो को संजमान दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीय प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में ललित नहीं है।
24. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना क्र.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण ललित नहीं है।
25. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान में तथा खनन के दौरान सस्टेनेबल सौड माइनिंग गाइडलाइन्स 2016 एवं इम्प्लेमेंट एन्ड मॉनिटरिंग गाइडलाइन्स कोर सैफ्ट 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।
28. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान में तथा खनन के दौरान सस्टेनेबल सौड माइनिंग गाइडलाइन्स 2016 एवं इम्प्लेमेंट एन्ड मॉनिटरिंग गाइडलाइन्स कोर सैफ्ट 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।
29. पर्यावरण स्वीकृति में दिये गये शर्तों का पालन किये जाने एवं छमाही पालन प्रतिवेदन पर्यावरण कार्यालय में जमा कराने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
30. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराइटर/प्रतिनिधि, जल पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन का छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
31. रेल उत्खनन मैनुअल विधि से एवं मरुई का कार्य लोकर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोकर जैसे रॉय मारी वाहन की कंपनी के है। आत मरुई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जाये। मारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तालसंबंधी आंकड़ों का सत्यापन नहीं किया गया है। सिवनाथ नदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्देश दिया गया—

1. आवेदित खदान (ग्राम—कोटनी) का सन्ना 8 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 800 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संयोजित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत माद अध्ययन (Dilatation Study) करायेंगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) संबंध सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के घाटी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
3. लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाइन डाटा —
 - i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के सतह (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े तत्काल एस.ई.आई.ए.ए. छातीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।
 - ii. फेब्रु—मार्च (फेब्रुअरी/मार्च माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इसी विभिन्न बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के सतह (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर किया जायेगा।
 - iii. इसी प्रकार रेत खनन उपरोक्त मार्च के पूर्व (नई माह के अंतिम सप्ताह/सुन के प्रथम सप्ताह) इसी विभिन्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा।
 - iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) के मापन का कार्य आगामी 8 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। फेब्रु—मार्च के आंकड़े दिसम्बर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं डी—मार्च के आंकड़े अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. छातीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।
4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से बेसलाइन कोटनी सैण्ड मार्गिन (डी.बी.आर. आर्टिफिशियल नदीवाह), पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1, ग्राम—कोटनी, तहसील व जिला—दुर्ग, कुल लीज क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर में से माईनिंग प्लान अनुसार रेत माईनिंग क्षेत्र 20,300 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 2.88 हेक्टेयर उत्खनन हेतु लीज क्षेत्र का कुल 80 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 28,840 वर्गमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु वर्षावर्षीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पदन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु परिशिष्ट-03 में वर्णित शर्तों के अधीन दिवे जाने की अनुमति की गई। रेत की सुटाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिफिल बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत



खुदाई पट्टे (Excavation pits) से लॉडिंग धाईट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर द्वारा प्राप्त किया जाएगा।

- सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाईडलाइन्स, 2018 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2018) एवं इन्फोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाईडलाइन्स फॉर सैंड माइनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) को अनुसार कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) प्रतीसमय को तदानुसार सुचित किया जाए।

- मेसर्स बुईना प्रोपर्टी मटीन क्वार्टी (जे.- वी. अविशेक सोनी), राम-बुईना, लहरील व जिला-महासमुंद्र (सचिवालय का नक्सा क्रमांक 1802)

ऑनलाइन आवेदन - पूर्व में प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 88378/2021, दिनांक 10/12/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 440385/2023, दिनांक 18/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कड़ाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संघालित फर्शी पत्थर (गीब खनिज) खदान है। खदान राम-बुईना, लहरील व जिला-महासमुंद्र सिधा खसरा क्रमांक 303/1 कुल क्षेत्रफल-0.45 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-800 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. प्रतीसमय को ज्ञापन क्रमांक 728, दिनांक 17/08/2022 द्वारा प्रकरण 'बी' कोटेनरी का होने के कारण भगत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रकाशित स्टैम्पड टर्म्स ऑफ रिकनेस (टी.ओ.आर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज निस्कावरिंग इन्फोर्समेंट क्लीअरेंस अन्धर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैम्पड टी.ओ.आर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

तदानुसार परिषोधन प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. प्रतीसमय को ज्ञापन दिनांक 18/10/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 483वीं बैठक दिनांक 28/10/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अविशेक सोनी, अधिकृत प्रतिनिधि एवं मेसर्स पी एच एच सील्युलर, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री हरीन सिद्धकी उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्सा, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

- इस खदान को पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद्र के ज्ञापन क्रमांक 811 /क/खनि/न.अ./2022 महासमुंद्र, दिनांक 20/08/2022 द्वारा विनात वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है-

File

अवधि	उत्पादन (घनमीटर)
18/07/2005 से 31/12/2005	भुजौरा अडान
01/01/2006 से 30/06/2006	भुजौरा अडान
01/07/2006 से 31/12/2006	निरल
01/01/2007 से 30/06/2007	12
01/07/2007 से 31/12/2007	निरल
01/01/2008 से 30/06/2008	16
01/07/2008 से 31/12/2008	निरल
01/01/2009 से 30/06/2009	13
01/07/2009 से 31/12/2009	निरल
01/01/2010 से 30/06/2010	50
01/07/2010 से 31/12/2010	108
01/01/2011 से 30/06/2011	63
01/07/2011 से 31/12/2011	105
01/01/2012 से 30/06/2012	36
01/07/2012 से 31/12/2012	165
01/01/2013 से 30/06/2013	672
01/07/2013 से 31/12/2013	578
01/01/2014 से 30/06/2014	180
01/07/2014 से 31/12/2014	220
01/01/2015 से 30/06/2015	निरल
01/07/2015 से 17/07/2015	निरल

- घास पंचायत का अनापति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में घास पंचायत सुदेना का दिनांक 09/07/2015 का अनापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- उत्खनन योजना - जारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (ख.प्र.) संचालनालय, भीमेशी तथा खनिज, नया रायपुर अटल नगर के द्वारा क्रमांक 5528/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.अ.02/2018(3) तथा रायपुर, दिनांक 28/10/2021 द्वारा अनुमोदित है।
- 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कर्वालस कलेक्टर (खनिज सहाय), जिला-महासमुद्र के द्वारा क्रमांक 1382/क/खनि/न.अ./2021 महासमुद्र, दिनांक 28/10/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 24 खदानें, क्षेत्रफल 17.38 हेक्टेयर हैं।
- 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - खनि अधिकारी, जिला-महासमुद्र, दिनांक 20/09/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, रेललाइन एवं एनिकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्दिष्ट नहीं है।
- भूमि एवं लीज का विवरण - यह सार्वजनिक भूमि है। पूर्व में लीज भी रजिस्ट्रार कुमार सिन्हा के नाम पर थी। संप्रदाय लीज का हस्तांतरण दिनांक 01/09/2006 को श्री अनिरुध सोनी के नाम पर किया गया है। लीज क्षेत्र 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 18/07/2005 से 17/07/2015 तक की अवधि हेतु है।

की। अधि विस्तार के संबंध में खनिज सख्त विभाग, मंत्रालय महानदी बचन तथा रायपुर अटल नगर के अधीन क्रमांक एक 4-37/2019/12 के अनुसार अधीनस्थ की अधिकांश सीमा अलग सी पी.एम.सी.सी द्वारा कलेक्टर कार्यालय, जिला-महासमुद्र में गीम खनिज परीक्षण के उत्खनन पट्टा के नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन की सीमा के संबंध में अधिकांश की सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए गीम क्षेत्र के आधार पर नियमानुसार विचार कर प्रकल्प का निरक्षण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके संबंध में जिला कार्यालय (खनिज सख्त), जिला-महासमुद्र के द्वारा क्रमांक/बा.वि./खनिज./स.प./स.अ. 59/2015 महासमुद्र, दिनांक 25/08/2021 के अनुसार "छत्तीसगढ़ गीम खनिज नियम 2015 में संशोधन दिनांक 23/03/2018 के नियम 28क (3) एवं (4) के तहत उत्खनन पट्टा की अधि विस्तारित किये जाने हेतु पुनः अनुसंधान किये जाने के संबंध में संघालक एवं भौतिकी अधिकांश, रायपुर पत्र क्रमांक 2903-29/खनि.4/स.अ.08/2015 दिनांक 07/08/2018 के निर्देश में निर्दिष्ट 4.1 से 4.4 उत्खननपट्टा के प्रकारों का निम्न कठिनाई अनुसार परीक्षण उपरोक्त ही उत्खननपट्टा की अधि में वृद्धि निम्नानुसार शर्तों की पूर्ति के अंतर्गत किया जायेगा-

4.1 उत्खननपट्टाधारी द्वारा पट्टे के शर्तों एवं नियंत्रणों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं ? उत्खननपट्टा विरुद्ध यदि कोई शर्त उल्लंघन के काल, कालम बकायों नोटिस की कार्यवाही लक्षित हो तो उक्त उल्लंघन के निरक्षण पर्याप्त ही पट्टा समवायि बढ़ाये जाने की कार्यवाही की जाये।

4.2 छत्तीसगढ़ गीम खनिज नियम 2015 के नियम 51(क) के तहत उत्खननपट्टा अधगत (लैन्ड) की शर्तों में नहीं आ रहा हो।

4.3 उत्खननपट्टे का उत्खनन योजना अनुमोदित हो तथा पर्याप्त सम्पत्ति प्राप्त हो।

4.4 उत्खननपट्टाधारी पर किसी भी प्रकार का खनिज राजस्व बकाया न हो। उपरोक्त शर्तों के आधार पर उत्खननपट्टा सीमा विस्तारित करने की कार्यवाही निम्नानुसार किया जाएगा का उल्लेख है।

7. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनुमति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमन्त्रालय, राज्य वनमन्त्रालय, महासमुद्र के द्वारा क्रमांक/बा.वि./खनिज./2021 महासमुद्र, दिनांक 19/08/2018 से जारी अनुमति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 13 कि.मी. की दूरी पर है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-मुईना 200 मीटर एवं प्रसून ग्राम-मुईना 200 मीटर दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कि.मी. दूर है। महानदी 300 मीटर दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अमरकंटक, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्लिंटिकली सेल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।



11. खनन संख्या एवं खनन का विवरण – अनुमोदित जारी प्लान अनुसार विद्योर्जीयकाल रिजर्व 23,000 घनमीटर, माइनेबल रिजर्व 7,714 घनमीटर एवं रिक्वायर्ड 5,786 घनमीटर है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,290 वर्गमीटर है। खोपन कार्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 7 मीटर है। लीज क्षेत्र में कपड़े मिट्टी की मोटाई 1 मीटर एवं माच है, माच 1,000 घनमीटर। जोड़कर बर्सेन 1,881 घनमीटर खनन प्रक्रिया के दौरान जमित होनी। बीच की मोटाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्वार स्थापित नहीं है। स्टीन कटर का उपयोग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। सर्वेयर प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,837.5	चतुर्थ	1,837.5
द्वितीय	1,837.5	पंचम	1,837.5
तृतीय	1,837.5	अष्टम	1,750.0
चतुर्थ	1,837.5	नवम	1,837.5
पंचम	2,000.0	दशम	2,000.0

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति घास पंचायत द्वारा टैंकरी के माध्यम से किया जाएगा। इस संबंध में घास पंचायत का अनारबित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
13. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 876 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना अंतावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर वृक्षारोपण के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण	प्रथम (सघर्ष)	द्वितीय (सघर्ष)	तृतीय (सघर्ष)	चतुर्थ (सघर्ष)	पंचम (सघर्ष)
वृक्षारोपण (80 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	32,200	3,220	3,220	3,220	3,220
पेंसिंग हेतु राशि	67,000	—	—	—	—
खान हेतु राशि	4,320	432	432	432	432
सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	1,80,000	1,80,000	1,80,000	1,80,000	1,80,000
कुल राशि = 10,18,128	2,83,820	1,83,652	1,83,652	1,83,652	1,83,652

14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,290 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 360 वर्गमीटर क्षेत्र 5 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माइनिंग प्लान में किया गया है। उत्खनित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का पुनर्स्थापन प्लान (Restoration plan) प्रस्तुत किया गया है।

15. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:-

- i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी – मॉनिटरिंग कार्य 15 अक्टूबर 2021 से 14 जनवरी 2022 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर पृ-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सतही

जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है। जल वॉल्यूमिटर की दृष्टि हेतु पंचनामा एवं कौटीयाक प्रस्तुत किया गया है।

ii. भौतिकीय परिवारों के अनुसार पीएम, एसओ₂, एसओ₃, का सान्द्रण लेवल:-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM ₁₀	17.2	29.9	60
PM _{2.5}	39.5	64.2	500
SO ₂	7.8	17.7	80
NO ₂	9.9	24.3	80

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता:- ईआईए के Chapter Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार जलोत्पादन, गहड़ेदास, सल्फर, कार्बोनेट्स, लोड, अमोनिक एवं अन्य स्थापनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय श्रुति स्तर:-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	43.6	58.9	75
Night L _{eq}	38.1	44.9	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. पी.सी.यू. की गणना:- भारी वाहनों / मल्टीएजकल हेवी वाहनों की संख्याित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 8,127 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं की/मी अनुपात (A/C ratio) 0.41 है। प्रस्तावित परियोजना उपरान्त 8 पी.सी.यू. की दृष्टि होगी। सन्तुल्यत कुल 8,133 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं की/मी अनुपात (A/C ratio) 0.41 होगी। पी-मटेरियल/डोकवट्स के परिवहन हेतु लकड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Good) के भीतर है।

vi. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

16. लोक सुनवाई दिनांक 18/11/2022 अथवा 12:00 बजे, ग्राम पंचायत मान बुढ़ेना, तहसील व जिला-महासमुंद में संयोजित हुई। लोक सुनवाई प्रस्तावक सदस्य सहित, जिला-महासमुंद पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 30/12/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

17. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न मुद्दाय/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-

- पर्यावरण संरक्षण हेतु पेड़ पौधे लगाये एवं पानी की व्यवस्था करें।
- गांव का रोड बन जाए तो अच्छा होगा।
- गाड़ी से गाल ले जाने वाले लकड़के पर ना नियंत्रण दें, ट्राफी को हक कर ले जाए।

iv. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित घाटों के लोगों को भी रोजगार दिया जाना चाहिए।

लोक चुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कॉन्सल्टेंट का स्थान निम्नानुसार है:-

- वेड़-वीरे लगाये गये घाटों की सफाया कर सूचारु रूप से कार्य करेंगे।
 - इन्हारे द्वारा असीम रोड़ की सफा-समय पर मरम्मत किया जाएगा।
 - इन्हारे द्वारा ट्राफी को इक कर तथा खडन को वीरे-वीरे ले के जाया जायगा।
- iv. शिथिल बेरोजगारों को रोजगार के अवसर पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

vi. कलक्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान - परियोजना प्रस्तावक द्वारा कहा गया कि आवंटित खदान को शामिल करते हुये कलक्टर में कुल 25 खदानें आती हैं। अब कलक्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान 1.3 कि.मी. पहुँच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन को नियंत्रण हेतु जल छिड़काव	3,00,000	3,00,000	3,00,000	3,00,000	3,00,000
1.3 कि.मी. लम्बे पहुँच मार्ग के दोनों तरफ (7,000 नग) वृक्षारोपण हेतु	23,80,000	5,39,000	5,39,000	5,39,000	5,39,000
इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट केमिस्ट्री (Quarterly)	3,50,000	3,50,000	3,50,000	3,50,000	3,50,000
सड़क/पहुँच मार्ग के सड़-सफाई हेतु	3,00,000	3,00,000	3,00,000	3,00,000	3,00,000
2 कि.मी. लम्बे घासीय रोड़ के दोनों तरफ वृक्षारोपण हेतु	2,00,000	50,000	50,000	-	-
कुल राशि = 36,80,000	36,80,000	16,38,000	16,38,000	14,88,000	14,88,000

कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान पहुँच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन को नियंत्रण हेतु जल छिड़काव	21,430	21,430	21,430	21,430	21,430
880 मीटर लम्बे पहुँच मार्ग के दोनों तरफ (7,000 नग) वृक्षारोपण हेतु	1,79,500	38,500	38,500	38,500	38,500

इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग (Quarterly)	कैमिडिआ	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
सड़क/पथीय मार्गों के रख-रखाव हेतु		21,430	21,430	21,430	21,430	21,430
2 कि.मी. लम्बे घासीय रोड़ के दोनो तरफ कुआरोपन हेतु		14,290	3,570	3,570	—	—
कुल राशि = 8,84,730		2,52,150	1,09,930	1,09,930	1,06,380	1,06,380

19. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ईआईए, अधिसूचना, 2008 (पंचा संशोधित) के प्रावधानों एवं मगनीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सम्पूर्ण ब्लस्टर हेतु वॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि ब्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि ब्लस्टर में आने वाले खदानों की पर्यावरण गतिविधियों से पर्यावरणीय घटती पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु ब्लस्टर में आने वाली होय सम्स्त खदानों को शामिल करके, ब्लस्टर हेतु वॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा कच्चाई से क्रियान्वित कराये जाने हेतु संचालक, संचालनलय, भीमिडी तथा खनिज, इंदरावती मयन, गवा रावपुर अटल नगर, जिला - रावपुर (छत्तीसगढ़) के सार से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

20. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परिपोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से वार्ड उपरोक्त विभागाद्वारा विलुप्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at Village- Muthona	
			Pavitra Van	0.52
			Nirman	
Total			0.52	

21. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के लक्ष्य (खंडला, करंज, नीप, आम, आमूर, कदम आदि) कुआरोपन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 मग पौधों के लिए राशि 11,200 रुपये, सीसिंग के लिए राशि 68,000 रुपये, खाद के लिए राशि 1,500 रुपये, मिट्टाई के लिए राशि 1,20,000 रुपये तथा रख-रखाव के लिए राशि 60,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,57,700 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 7,26,080 रुपये हेतु घटकवार व्यव का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परिपोजना प्रस्तावक द्वारा आम पंचायत मुख्या के सहनति उपरोक्त पंचायतीय स्थान (खंडला जमांक-427, सीसिंग 1.57 हेक्टेयर में से 0.12 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

22. कलक्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर गेनेरलेंट प्लान तैयार कर खदानों को एक नक्शे में इन्कॉरपोरेट करके हुये जानकारे प्रस्तुत किया गया है।
23. कलक्टर में खाने वाले खदानों को लिए तैयार कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर गेनेरलेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अर्जाएं एवं वेरिफाइड कॉपीज नक्शों में इन्कॉरपोरेट हुये पुन-वेरिफाइड कर प्रस्तुत किया गया है।
24. खदान क्षेत्र को चारों ओर (उत्खनन को लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) परिधि में कोई उत्खनन कार्य नहीं किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. खदान से निकलने वाले पानी सिद्धी को लीज क्षेत्र को उत्खनन को लिए प्रतिबंधित क्षेत्र में रखे जाने एवं उसका उपयोग कृषासंधरण हेतु किये जाने तथा डिपॉजिट नहीं किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. खदान क्षेत्र को चारों ओर (उत्खनन को लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में सड़क कृषासंधरण किये जाने एवं रोपित पौधों का सलवाइवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. परिवीक्षण प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकल्प देह के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
28. परिवीक्षण प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्वतारोहण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.जा. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्खनन का प्रकल्प लंबित नहीं है।
29. परिवीक्षण से जिन-जिन स्थलों से फ्लुइडिटीज ड्रस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल डिप्लोम का ब्यालगा किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
30. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
31. परिवीक्षण प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संज्ञान किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
32. जनसुनवाई के दौरान विभिन्न मुद्दों के निवारण की दिशा में छत्तीसगढ़ को सलाह दिये गए आशयान की पूरा किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
33. छत्तीसगढ़ के हिंदी का ध्यान रखे जाने एवं छाल को विकास हेतु परस्पर सहयोग प्रदान किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
34. सी.ई.आर. कवर्ड एवं 7.5 मीटर की सीमा घट्टी में कृषासंधरण कवर्ड के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (जोयन्ट/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्वतारोहण संज्ञान मण्डल

के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.ओ.ए. एवं 7.5 मीटर की सीमा चट्टी में कुआरोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरोक्त गठित वि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यालय कारोबदार (खनिज सहाय), जिला-महासमुंद्र के डायन क्रमांक 1382/क/खनि/प.अ./2021 महासमुंद्र, दिनांक 26/10/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर से नीचे अवस्थित 24 खदानें, क्षेत्रफल 17.38 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (घाम-मुड़ेना) का क्षेत्रफल 0.45 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (घाम-मुड़ेना) की मिलावन कुल क्षेत्रफल 17.83 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी-1 श्रेणी की बानी गयी।
2. राजा सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2008 (पश्चा संशोधित) के प्रावधानों एवं मानवीय एन.सी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार कलक्टर में आने वाली खदानों की पर्यावरण प्रतिविधियों से पर्यावरणीय घटाओं पर पड़ने वाले प्रभावों की संकथाम हेतु कलक्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, कलक्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा डिप्लॉयमेंट कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भूमिदाता तथा खनिकर्ता, इंदारवाडी भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) के सार से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स मुड़ेना पत्थर स्टोन क्वारी (प्री- बी अभिवेक श्रेणी) को घाम-मुड़ेना, तहसील व जिला-महासमुंद्र के खसरा क्रमांक 333/1 में स्थित फर्ती पत्थर (पीन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-0.45 हेक्टेयर, पर्यावरण समता-500 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रतिविध-04 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

राजा साहेब पर्यावरण तथा आकलन अधिकरण (ए.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को खदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स मुड़ेना पत्थर स्टोन क्वैरिंग प्रोजेक्ट (प्री- बी श्रेणी कुमार साहू), घाम-मुड़ेना, तहसील व जिला-महासमुंद्र (सचिवालय का नक्सा क्रमांक 1841)

ऑनलाइन आवेदन - पूर्व में प्रयोजन नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 69781/2021, दिनांक 04/12/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रयोजन नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 441339/2021, दिनांक 26/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित फर्ती पत्थर (पीन खनिज) खदान है। खदान घाम-मुड़ेना, तहसील व जिला-महासमुंद्र स्थित खसरा क्रमांक 333/1, कुल क्षेत्रफल-0.22 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित पर्यावरण समता-720 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एच.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्र. 219, दिनांक 17/08/2023 द्वारा प्रकल्प 'बी' कोटेवरी का होने के कारण भूदाता सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अक्टूबर, 2018 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) कोर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट कोर कोलेक्टर/एक्टिविटीज डिस्कायरीज इन्फार्मेट क्लीयरेंस अम्बर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित सेमी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) हेतु टी.ओ.आर. जारी किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/10/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 483वीं बैठक दिनांक 28/10/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु की बैठक राष्ट्र अधीकृत प्रतिनिधि एवं केसर्स की एम्ड एन सील्युशन, नोट्स, उल्लेखों की ओर से की हुसैन सिद्धकी उपस्थित हुए। समिति द्वारा मन्त्री, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—

- a. इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
- b. कार्यालय कोलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 288/क/खनि/न.क्र./2022 महासमुंद, दिनांक 24/02/2022 द्वारा विगत वर्ष में विवेक गढ़े उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है—

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
01/01/2007 से 31/12/2007	15
01/01/2008 से 31/12/2008	11
01/01/2009 से 31/12/2009	20
01/01/2010 से 31/12/2010	23
01/01/2011 से 31/12/2011	48
01/01/2012 से 31/12/2012	09
01/01/2013 से 30/06/2013	42

2. घास पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्खनन के संबंध में घास पंचायत मुख्या का दिनांक 08/03/2004 अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त उत्खनन के नवीनीकरण के संबंध घास पंचायत मुख्या का दिनांक 21/10/2019 अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना – जारी प्लान विथ इन्फार्मेट मैनेजमेंट प्लान एम्ड जारी क्लीयर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (ख.उ.) संचालनालय, भीमिडी तथा खनिज, गढ़ रायपुर जटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 3728/खनि/न.प्र.अनुमोदन/न.क्र.02/2019(1) गढ़ रायपुर, दिनांक 18/11/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में निश्चित खदान – कार्यालय कोलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1871/क/खनि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 18/11/2021 के अनुसार अधिदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 24 खदानें, क्षेत्रफल 18.23 हेक्टेयर है।

5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद्र के इापन क्रमांक 1871/क/खलि/न.क्र./2021 महासमुंद्र, दिनांक 18/11/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, रेल लाईन, राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. भूमि एवं लीज का विवरण - यह सामंतीय भूमि है। लीज श्री कर्तेज कुमार राहु के नाम पर है। लीज कीज 10 वर्षों अवधि दिनांक 18/03/2008 से 18/03/2018 तक की अवधि हेतु है। अवधि विस्तार के संबंध में खनिज साधन विभाग, मंत्रालय महानदी प्रान्त, नया रायपुर अटल नगर के अधीन क्रमांक एक 4-17/2019/12 के अनुसार अधीनस्थ श्री कर्तेज राहु आगल श्री मल्लाल राहु द्वारा कार्यालय कलेक्टर, जिला-महासमुंद्र में गीन खनिज करीबधर के उत्खनिपट्टा के नवीनीकरण की "छलीसगढ़ गीन खनिज नियम, 2015" पदासंबंधित के नियम 38क के प्रासासंबंधित पुन लीज के अकार पर नियमानुसार विचार कर प्रकरण का निरकरण किये जाने हेतु निर्दिशत किया गया है। जिसके संबंध में जिला कार्यालय (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद्र के इापन क्रमांक/008/क/खलि/उ.प./न.क्र. 59/2015 महासमुंद्र, दिनांक 25/08/2021 के अनुसार "छलीसगढ़ गीन खनिज नियम 2015 में संशोधन दिनांक 23/03/2018 के नियम 38क (3) एवं (4) के तहत उत्खनन पट्टी की अवधि विस्तारित किये जाने हेतु पुन अनुसंध किये जाने के संबंध में संशालक एवं भूमिही खनिकर्न, रायपुर पत्र क्रमांक 2903-29/खलि.4/न.क्र.08/2015 दिनांक 07/08/2018 के निर्देश में निर्दिश 4.1 से 4.4 उत्खनन पट्टी के प्रकरणों का निम्न कडिकारों अनुसार परीक्षण उपरंत ही उत्खननपट्टा की अवधि में वृद्धि निम्नानुसार शर्तों की पूर्ति के फलसकम किया जायेगा-
- 4.1 उत्खननपट्टाधारी द्वारा पट्टे के शर्तों एवं नियबंधनों का फलन किया जा रहा है कथवा नहीं ? उत्खननपट्टा विरुद्ध यदि कोई शर्त उल्लंघन के कारण, कारण बतायी नोटिस की कार्रवाही लभित हो तो उक्त उल्लंघन के निरकरण परशात् ही पट्टा समासावधि बढाये जाने की कार्रवाही की जाये।
- 4.2 छलीसगढ़ गीन खनिज नियम 2015 के नियम 51(8) के तहत उत्खननपट्टा व्यपगत (लेन) की शर्तों में नहीं जा रहा है।
- 4.3 उत्खननपट्टे का उत्खनन योजना अनुसंबंधित हो तथा पर्यावरण सम्मति प्राप्त हो।
- 4.4 उत्खननपट्टाधारी पर किसी भी प्रकार का खनिज राजस्य कथवा न हो। उपरंत शर्तों के अकार पर उत्खनिपट्टा लीज विस्तारिकरण की कार्रवाही नियमानुसार किया जायेगा" का उल्लेख है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति उपलुभ की गई है।
8. वन विभाग का अनुसंबंधित प्रमाण पत्र - कार्यालय वनसंरक्षणिकारी सामान्य वनसंरक्षण, जिला-महासमुंद्र के इापन क्रमांक/न.वि/खनिज/2021 महासमुंद्र, दिनांक 18/08/2015 से जारी अनुसंबंधित प्रमाण पत्र अनुसार आसंबंधित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 13 कि.मी. की दूरी पर है।

9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवादी घाट-मुड़ेना 280 मीटर, खुलुन घाट-मुड़ेना 300 मीटर एवं अमरावतल घाट-मुड़ेना 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.6 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3.2 कि.मी. दूर है। नद्यादी 380 मीटर दूर है।
10. परिस्विथिकीय/जीवविधिता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित विटिकली पील्फुटेड एरिया, परिस्विथिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीवविधिता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबन्धित किया है।
11. खनन खण्डा एवं खनन का विवरण - विद्योर्जीयिकता रिजर्व 11,588 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 2,129 घनमीटर एवं रिक्लवनेबल रिजर्व 2,022 घनमीटर है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबन्धित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,382 वर्गमीटर है। खनन काल्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8 मीटर है। क्षेत्र की चौड़ाई 1.5 मीटर एवं लंबाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। लीज क्षेत्र में अरकल स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। स्टोन कटर मशीन का उपयोग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिंक्रलन किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	720
द्वितीय	513
तृतीय	408
चतुर्थ	308
पंचम	185

12. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंक द्वारा घाट पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस संबंध में घाट पंचायत का अनुरोध प्रमाण पत्र प्राप्त प्रस्तुत किया गया है।
13. कृषासेपन कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 320 वर्ग कृषासेपन किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर कृषासेपन के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
कृषासेपन (90 प्रतिशत जीवन दन) हेतु राशि	17,820	1,792	1,792	1,792	1,792
वैसिंग हेतु राशि	87,000	-	-	-	-
खार हेतु राशि	2,400	240	240	240	240
सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	1,80,000	1,80,000	1,80,000	1,80,000	1,80,000
कुल राशि = 9,85,448	2,87,320	1,82,032	1,82,032	1,82,032	1,82,032

14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन - प्राप्त कचारी प्लान अनुसार लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 1,382 वर्गमीटर है, जिसमें से 75 वर्गमीटर क्षेत्र 3 मीटर एवं 45 वर्गमीटर क्षेत्र 4

मीटर की गहराई तक पर्यवेक्षित है, जिसका पर्यवेक्ष अनुमोदित स्वारी प्लान में किया गया है। पर्यवेक्षित 7.5 मीटर की सीमा पर्यटकों का पुनर्भरण प्लान (Restoration plan) प्रस्तुत किया गया है।

15. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण—

i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी — मॉनिटरिंग कार्य 15 अक्टूबर 2021 से 14 जनवरी 2022 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतराल 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर नू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है। उक्त मॉनिटरिंग की पुष्टि हेतु पंचनामा एवं फोटोग्राफ प्रस्तुत किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ₂, एनओ₂ का मान्यता स्तर—

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM ₁₀	17.2	28.9	60
PM _{2.5}	36.5	64.2	100
SO ₂	7.8	17.7	60
NO ₂	9.9	24.3	60

iii. परिवेशीय स्थल से आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता— ई.आई.ए. के Chapter Description of environment में दसविंसे टेबल अनुसार क्लोरोफिल, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लोड, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का मान्यता स्तर भारतीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर—

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	43.6	58.9	75
Night L _{eq}	39.1	44.9	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. पी.सी.यू. की गणना— भारी वाहनों / मल्टीप्लेक्सल हेवी वाहनों की संचालित करती हुई ट्रेफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 8.127 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं की/सी अनुपात (ATC ratio) 0.41 है। प्रस्तावित परिवेशीय जनता 8 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 8.133 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं की/सी अनुपात (ATC ratio) 0.41 होगी। पी-मॉडरेट/प्रोडक्ट्स के परिष्कार हेतु सड़क मार्ग की लोड बरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Good) से भीतर है।

vi. परिवेशीय प्रजातिका द्वारा फलोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

16. लोक सुनवाई दिनांक 16/11/2022, अपराह्न 12:00 बजे, ग्राम पंचायत मदन मुड़ेगा, तहसील व जिला-बहालगुंठ में संयोजित हुई। लोक सुनवाई वसंतरेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, महा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 30/12/2022 द्वारा जेषित किया गया है।

17. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-

- पेड़-पौधे लगाने हेतु पैड पीछे लगाये एवं पानी की व्यवस्था करे।
- नाबिक का रोड़ बन जाए तो अच्छा होगा।
- गाड़ी से बाल ले जाते समय एसी सड़कों पर ना गिरने दे, ट्राली को डक कर ले जाए।
- प्रथमिकता के आधार पर संबंधित घातों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है:-

- पेड़-पौधे लगावेंगे पानी की व्यवस्था कर सुचारु रूप से कार्य करेंगे।
 - हमारे द्वारा अग्रोच रोड़ को समय-समय पर मरम्मत किया जाएगा।
 - हमारे द्वारा ट्राली को डक कर तथा वाहन को धीरे-धीरे ले के जाया जाएगा।
 - विभिन्न बेरोजगारों को रोजगार के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।
18. कंसल्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान -परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये कंसल्टर में कुल 25 खदानें आती हैं। अतः कंसल्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिष्करण के दौरान 1.3 कि.मी. पहुँच मार्ग से उत्पन्न कुल उत्सर्जन को नियंत्रण हेतु जल सिफ्टिंग	3,00,000	3,00,000	3,00,000	3,00,000	3,00,000
1.3 कि.मी. लम्बे पहुँच मार्ग के दोनों तरफ (7,000 मण) वृक्षारोपण हेतु	23,80,000	5,39,000	5,39,000	5,39,000	5,39,000
इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट क्वैण्टिलिटी (Quantity)	3,50,000	3,50,000	3,50,000	3,50,000	3,50,000
सड़क/पहुँच मार्ग के रख-रखाव हेतु	3,00,000	3,00,000	3,00,000	3,00,000	3,00,000
2 कि.मी. लम्बे ग्रामीण रोड़ के दोनों तरफ वृक्षारोपण हेतु	2,00,000	50,000	50,000	—	—
कुल राशि = 85,80,000	35,30,000	15,39,000	15,39,000	14,89,000	14,89,000

कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान पट्टीव नार्म से उत्पन्न कुल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव	21,430	21,430	21,430	21,430	21,430
600 मीटर लम्बे पट्टीव नार्म के दोनों तरफ (7,000 नम) कुआरोंपन हेतु	1,70,000	38,500	38,500	38,500	38,500
इन्फ्रास्ट्रक्चर क्वार्टरिंग (Quarterly)	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
सड़क / पट्टीव नार्म के रख-रखाव हेतु	21,430	21,430	21,430	21,430	21,430
2 कि.मी. लम्बे ग्रामीण रोड़ के दोनों तरफ कुआरोंपन हेतु	14,290	3,570	3,570	—	—
कुल राशि = 8,84,730	2,52,150	1,09,930	1,09,930	1,09,360	1,09,360

19. नया रायपुर, नवीकरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2008 (पंच संशोधित) के प्रावधानों एवं नान्सीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार चतुर्थ क्वार्टर हेतु सीएम इन्फ्रास्ट्रक्चर क्वार्टरमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्वार्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वार्षिक एवं वार्षिक सामग्रीय सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्वार्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटनाओं पर चढ़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्वार्टर में आने वाली सेश रास्ता खदानों की शामिल करी हूये, क्वार्टर हेतु सीएम इन्फ्रास्ट्रक्चर क्वार्टरमेंट प्लान तैयार किया जाने तथा कच्चाई से क्रियान्वित कराये जाने हेतु संघालक, संघालनालय, भीमिडी तथा खनिजन, इटावली मन्, नया रायपुर अटल मन्, जिला - रायपुर (अलीगढ़) के त्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

20. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से नार्म उत्सर्जन विमानानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at, Village- Muthena	
			Pavitra Van	0.62
			Kimari	0.62
			Total	0.62

21. सी.ई.आर. के अंतर्गत 'परिव वन निर्माण' के तहत (अवकाश, कर्मज, नीम, आम, जामून, कदम आदि) कुआरोंपन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नम पौधों के

[Signature]

लिए राशि 11,200 रुपये, सीमांग के लिए राशि 65,000 रुपये, घाट के लिए राशि 1,600 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रुपये तथा लघु-रक्षा के लिए राशि 60,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,57,700 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 7,25,080 रुपये हेतु घटकवार माप का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बुढ़ेगा के सहायि उपखंड कृष्योग्य स्थान (खसत क्रमांक 427, क्षेत्रफल 1.57 हेक्टेयर में से 0.12 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

22. कलक्टर हेतु कौनन इन्ड्यापरोमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार कर खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करती हुये जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
23. कलक्टर में आने वाले खदानों के लिए तैयार कौनन इन्ड्यापरोमेंट मैनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांत एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये पुनर्विहित कर प्रस्तुत किया गया है।
24. खदान क्षेत्र के घाटी और (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) भविष्य में कोई उत्खनन कार्य नहीं किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. खदान से निकलने वाले पानी मिट्टी को जीव क्षेत्र के उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र में रखे जाने एवं उसका उपयोग दूषारोपण हेतु किये जाने तथा विहाय नहीं किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. खदान क्षेत्र के घाटी और (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में सधन दूषारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लक्षित नहीं है।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्वतारोपण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्तराधिकार का प्रकरण लक्षित नहीं है।
29. परियोजना से दिन-दिन स्थलों से क्युवैटिव डाट उत्सर्जन होता, उन स्थलों पर नियमित जल सिंचन की व्यवस्था किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
30. उत्तरीमगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संस्कार किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

31. जनसुनवाई के दौरान विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में शर्तियों को सम्मति दिये गए आवेदनपत्र को पूरा किये जाने बाबत समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
32. शर्तियों को हिलो का ध्यान रखे जाने एवं काम के विकास हेतु परस्पर सहयोग प्रदान किये जाने बाबत समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
33. सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में कुलरोपण कार्य के कोऑर्डिनेट एवं परीक्षण हेतु त्रि-स्तरीय समिति (प्रोफाईटर/प्रतिनिधि, ग्राम संचायक के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या जलसंधारण पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में कुलरोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित त्रि-स्तरीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यलय कलेक्टर (अभिज्ञ शाखा), जिला-महासमुद्र के द्वारा क्रमांक 1671/क/सति/न.अ./2021 महासमुद्र, दिनांक 18/11/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 24 खदानें, क्षेत्रफल 18.22 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-मुड़ेना) का क्षेत्रफल 0.22 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-मुड़ेना) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 17.83 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में सौंझुत/संपर्कित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने से कलम 54 खदान की-1 केपी की शर्तों पर है।
2. भवता सचकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2008 (नया संशोधित) के प्रावधानों एवं मानवीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार कलेक्टर से आने वाली खदानों की उत्खनन प्रतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु कलेक्टर से आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुए, कलेक्टर हेतु कॉमन इम्पैक्टमेंट मनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित करने हेतु संचायक, संचालनालय, बीमिडी तथा खनिज, इंधन वी.ए.सी. नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (जलसंधारण) के स्तर से सम्बन्धित कार्यवाही किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स मुड़ेना क्लेग स्टोन काईनिंग प्रोजेक्ट (प्रो.- श्री सरोज कुमार राय) को ग्राम-मुड़ेना, तहसील व जिला-महासमुद्र के सलाह क्रमांक 333/1 में स्थित फर्ती फथर (वीन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-0.22 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता-120 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-08 में वर्णित शर्तों से अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

समस्त स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रधिकरण (एन.ई.आई.ए.ए.), जलसंधारण को तदनुसार सूचित किया जाए।



2018-19	486
2019-20	593
2020-21	496
2021-22 (जून तक)	156

प्रस्तुतीकरण की दौरान परिवर्जना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कार्यालय कार्लेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कार्लेक्टर के द्वारा क्रमांक 2148/खनिज/ख.लि./उ.प./1887 कार्लेक्टर, दिनांक 20/10/2023 द्वारा विगत वर्ष में किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी प्रस्तुत की गई है, जो निम्नानुसार है-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2018-20	593
2020-21	596
2021-22	156
2022-23	992
2023-24 (सितम्बर 2023 तक)	231

समिति के संज्ञान में यह तथा अथा कि कार्लेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कार्लेक्टर के द्वारा दिनांक 16/02/2022 द्वारा वर्ष 2020-21 में 486 घनमीटर उत्खनन किये जाने एवं कार्लेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कार्लेक्टर के द्वारा दिनांक 20/10/2023 द्वारा वर्ष 2020-21 में 596 घनमीटर उत्खनन किये जाने का उल्लेख है। समिति का मत है कि उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण सहित जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कटाकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. ग्राम संचायत का अनुमति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम संचायत खैरसोड़ा का दिनांक 24/01/2009 का अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि पूर्व में जारी सर्वजनिक स्वीकृति एवं लीज का हस्तांतरण किया गया है। अतः उत्खनन एवं उत्तर के संबंध में ग्राम संचायत की अद्यतन अनुमति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. उत्खनन योजना - नॉन्-इन्फ्लैमेटोरी कार्बोहाइड्रेट प्लान एलॉय विथ इन्फ्लेक्सेन्स मैनेजमेंट प्लान विथ प्रोपेसिव कार्बोहाइड्रेट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप-संचालक (ख.प्र.), जिला-उत्तर बस्तर कार्लेक्टर के द्वारा क्रमांक 1580/खनिज/उत्ख.पो.अनु./उ.प./2023-24 कार्लेक्टर, दिनांक 07/08/2023 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कार्लेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कार्लेक्टर के द्वारा क्रमांक 948/खनिज/ख.लि./उ.प./2023-24 कार्लेक्टर, दिनांक 16/08/2023 अनुसार अर्जित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 1 खदान, क्षेत्रफल 2.1 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कार्लेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कार्लेक्टर के द्वारा क्रमांक 948/खनिज/ख.लि./उ.प./2023-24 कार्लेक्टर, दिनांक 16/08/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, पुल, अस्पताल, स्कूल, एनिकट एवं बाग आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 108 मीटर, डबली 50 मीटर एवं तालाब 75 मीटर दूर है।
6. भूमि एवं लीज का विवरण - यह सार्वजनिक भूमि है। वर्तमान में लीज मोहम्मद हनीफ के नाम पर है। पूर्व में लीज का श्री मोहम्मद फिरोज के नाम पर था जो

[Handwritten Signature]

बीसवीं राष्ट्रीय खानों के नाम पर हस्तांतरित की गई थी, तत्पश्चात लीज का हस्तांतरण दिनांक 02/11/2021 को श्री मोहम्मद इनीक के नाम पर किया गया। लीज क्षेत्र 20 वर्ग अर्सेत दिनांक 10/04/1999 से 15/04/2019 तक जारी की गई थी। तत्पश्चात लीज 10 वर्ग अर्सेत दिनांक 10/04/2019 से 15/04/2028 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई।

7. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **वन विभाग का अनाधिकृत प्रमाण पत्र** – लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वार्षिक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनाधिकृत प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। तथ्यति का मत है कि आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र एवं राष्ट्रीय उद्यान से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलधिकारी से जारी अनाधिकृत प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी घन-डिवाटोला 300 मीटर, स्कूल-डिवाटोला 600 मीटर एवं अस्पताल धारणा 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 106 मीटर एवं राज्यमार्ग 20 कि.मी. दूर है। तालाब 85 मीटर एवं महानदी 4.5 कि.मी. दूर है।
10. **परिस्थितीकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्लिंटिकली पोल्युटेड एरिया, परिस्थितीकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. **खान खनन एवं खान का विवरण** – डिपॉजिटिवल रिजर्व 4,46,975 टन, माईनेबल रिजर्व 1,53,625 टन एवं रिक्लूवेबल रिजर्व 1,53,443 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 6,574 वर्गमीटर है। ओपन कस्ट सोमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 11 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल गहराई 2,987 घनमीटर है, जिसमें से 1,042 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) क्षेत्र में केंद्राकर कुआनीयन के लिए एवं शेष 1,925 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को उत्खनित सीमा पट्टी के पुनर्भरण हेतु उपयोग किया जाएगा। बैंव की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की स्थापित आयु 5 वर्ष से अधिक है। लीज क्षेत्र में अंतर स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 1,100 वर्गमीटर है। बैंव डैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लॉकिंग किया किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिंक्रास किया जाता है। वर्षाज प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	20,250
द्वितीय	21,270
तृतीय	23,160
चतुर्थ	24,255
पंचम	25,005

Handwritten signature

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति भू-जल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत संपुल वायुमंडल कंटेनर अथॉरिटी का अनुमोदित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
13. **फूलासेवन कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में खाने और 7.5 मीटर की पट्टी एवं गैर माइनिंग क्षेत्र में 1,000 मग फूलासेवन किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए प्रति 70,000 रुपये, फेंसिंग के लिए प्रति 4,00,000 रुपये, खाद के लिए प्रति 10,000 रुपये, सिंचाई एवं सब-ड्रैनज आदि के लिए प्रति 12,000 रुपये, इस प्रकार कुल प्रति 4,92,000 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं कुल प्रति 80,000 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु पर्यावरण स्वयं का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उल्खनन** – लीज क्षेत्र के खाने और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 8,874 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 880 वर्गमीटर क्षेत्र 3.5 मीटर की गहराई तक उल्खनित है। उल्खनित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का पुनर्स्थापन प्लान (Rehabilitation plan) का उल्खन अनुमोदित स्थानीय प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उल्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्थिरता की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक को विस्तृत विनियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
15. **उल्खेखनीय है कि** भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीचे बोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक 5(a)(c) के अनुसार-
- "The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."
- उक्त मानक शर्तों के अनुसार माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में फूलासेवन किया जाना आवश्यक है।
16. **गैर माइनिंग क्षेत्र** – माइनिंग प्लान अनुसार लीज क्षेत्र में अंकित व स्टोरिज हेतु 800 वर्गमीटर एवं संशोधन क्षेत्र होने के कारण 300 वर्गमीटर को गैर-माइनिंग क्षेत्र रखा गया है।
17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरोक्त विनियमानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
48.63	2%	97.26	Following activities at Nearby	

Handwritten signature

			Government Primary School, Village- Shildapara Jhijapola	
			Plantation with fencing	0.54
			Running Water Facility for toilets	0.45
			Total	0.99

18. सी.ई.आर. के वलत कृषारोपण एवं रींग वीटर कंसलिटि हेतु शासकीय प्राथमिक शाला शीलसपारा, डान-डिवाटोला के प्रधान पाठक का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

19. सी.ई.आर. के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला शीलसपारा, डान-डिवाटोला में (पीन, पीपल, आम, कदम, जामुन आदि) कृषारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 40 नम पीपल के लिए रशि 2,800 रुपये, पीन लिक प्लेसिंग के लिए रशि 19,200 रुपये, खाद के लिए रशि 400 रुपये, सिंचाई एवं पत्र-रखाव के लिए रशि 8,000 रुपये, इस प्रकार प्रत्येक वर्ष में कुल रशि 28,400 रुपये तथा अगामी 4 वर्ष में कुल रशि 28,290 रुपये हेतु घटकवार खप का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरंत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिबन्धन प्रथा कर प्रस्तुत किया जाए।
2. कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कांसेर के ज्ञापन दिनांक 15/02/2022 द्वारा वर्ष 2020-21 में 498 घनमीटर उत्खनन किये जाने एवं कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कांसेर के ज्ञापन दिनांक 20/10/2023 द्वारा वर्ष 2020-21 में 598 घनमीटर उत्खनन किये जाने का उल्लेख है। अतः उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण खनिज विभाग से प्राप्तित करवाने प्रस्तुत किया जाए।
3. उत्खनन एवं इस्तेमाल के संबंध में डान पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र एवं राष्ट्रीय उद्यान से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
5. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेप्टी जॉन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपयुक्त उपचारों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपचारों तथा कृषारोपण आदि के लिये समुचित उपचारों को क्रियान्वित बनाने बाबत संचालक, संचालनालय, भूमिहीन तथा खनिकर्म इंचार्जि भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।
6. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सेप्टी जॉन में अतिक्रमण किया जाना बन्दे जाने का परिचयना प्रस्तावक के विरुद्ध निम्नानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भूमिहीन तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को प्रति



- पहुँचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
7. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रथम वर्ष के अन्दर सी.ई.आर. प्रोजेक्ट की राशि का प्रस्तावित कार्य में उपयोग करते हुए माननीय समिति के रायका प्रस्तुत किये गए प्रोजेक्ट में ही खर्च किये जाने बाबत रायका पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
 8. ब्लास्टरिंग का कार्य सी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत रायका पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
 9. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु रायका पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
 10. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से पपुडिटिव डस्ट फ्लोअरज होगा, उन स्थलों पर निर्धारित जल सिंचनाय की व्यवस्था किये जाने बाबत रायका पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
 11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज निधनों के तहत बावम्पूड़ी मितलर्डी द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत रायका पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
 12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत रायका पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
 13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आराध का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में ललित नहीं है।
 14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आराध का नोटरी से सत्यापित अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना क्र.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्तराधिकार प्रकरण ललित नहीं है।
 15. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India with petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जाएगा। इन बाबत अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
 16. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को with petition (S) Civil No.114,2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वर्णित जानकारी/प्रस्तावों प्राप्त होने उपरान्त अगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए। साथ ही संचालक, संघालनालय, भीमिडी तथा खनिकर्त्, इरावती मन्, नया रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर तथा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को पत्र भेजा किया जाए।

7. बेसर्त पिकरी रोड नाईन (जे-बी एनेस चन्द हुकला), ग्राम-पिकरी, तहसील-कनाडोल, जिला-बलीदाबाजार-बाटापारा (सचिवालय का नक्का क्रमांक 2837)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एनआईए/ 440886/2023, दिनांक 18/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-पिकरी, तहसील-कनाडोल, जिला-बलीदाबाजार-बाटापारा, पार्सल नंबर क्रमांक 1, कुल क्षेत्रफल-4.9 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित रेत उत्खनन क्षमता-88,200 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

संवर्धन परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., फर्तीसनद के द्वारा दिनांक 18/10/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(ख) समिति की 463वीं बैठक दिनांक 28/10/2023 :

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रामकिसन खट्टर, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्का प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम संघाचर का अनामत प्रमाण पत्र - रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम संघाचर पिकरी का दिनांक 21/08/2023 का अनामत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. विन्दाकित/सीमांकित - कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से ग्राम प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विन्दाकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. उत्खनन योजना - रेत रेत रोड रोड नाईन प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो एम-संचालक (खनि, प्रसा), जिला-बलीदाबाजार-बाटापारा के द्वारा क्रमांक 1817/बी 3-7/न.क्र. 01/2023 बलीदाबाजार, दिनांक 28/07/2023 द्वारा अनुमोदित है।
5. 800 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलीदाबाजार-बाटापारा के द्वारा क्रमांक 1818/बी 3-7/न.क्र. 02/2023 बलीदाबाजार, दिनांक 28/07/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 300 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलीदाबाजार-बाटापारा के द्वारा क्रमांक 1818/बी 3-7/न.क्र.02/2023 बलीदाबाजार, दिनांक 28/07/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, रेत लाईन, पुल, बांध, मंदिर, मस्जिद, गुल्हाणा, मरघट एवं एनोकेट अदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण - एल.ओ.आई. श्री एनेस चन्द हुकला के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलीदाबाजार-बाटापारा के

ज्ञान क्रमांक 1096/बी3-7/न.अ.01/2023 बलीदाबाजार, दिनांक 29/05/2023 प्राप्त जारी की गई, जिसकी कक्षा जारी दिनांक से 5 मिनट की अवधि तक है।

उत्तीसराह खान, खनिज संधन विभाग, संजालय, महानदी खन, नया रायपुर अटल नगर द्वारा उत्तीसराह नीम खनिज संधन सेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) निघन, 2019 हेतु संशोधन अधिसूचना दिनांक 08/08/2023 को जारी की गई है। उक्त अधिसूचना के नियम 4 अनुसार "उत्खनन पट्टे की कालावधि-संधन सेत के उत्खनन हेतु उत्खनन पट्टा पांच वर्ष की कालावधि के लिए प्रदान किया जाएगा। पांच वर्ष की अवधि की गणना उत्खनन पट्टा विलेख के जारीकरण दिनांक से किया जाएगा।" का उल्लेख है।

8. खन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - आवेदित क्षेत्र की निकटतम खन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
9. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. महत्वपूर्ण संकेतबिंदुओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-पिकरी 310 मीटर, लखुल ग्राम-पिकरी 710 मीटर एवं अस्वातल सिवनीनावागम 9.45 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7.85 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 6.85 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। मिर्चाई नहर 590 मीटर, नाला 2.85 कि.मी., तालाब 370 मीटर, एनीकट 10.9 कि.मी., बालर बांध 21 कि.मी. एवं पीड पुल 4.57 कि.मी. दूर है।
11. खन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी - आवेदन अनुसार खन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई - अधिकतम 1.130 मीटर, न्यूनतम 1.110 मीटर तथा खन स्थल की लंबाई - अधिकतम 253 मीटर, न्यूनतम 245 मीटर एवं खन स्थल की चौड़ाई - अधिकतम 204 मीटर, न्यूनतम 180 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 220 मीटर, न्यूनतम 207 मीटर है।
12. खदान स्थल पर सेत की मोटाई - आवेदन अनुसार स्थल पर सेत की महत्ताई 5.25 मीटर तथा सेत खनन की प्रस्तावित महत्ताई 3 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में साईनेबल सेत की मात्रा 88,200 घनमीटर है। सेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध सेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 मण्डे (Pits) खोदकर उसकी वार्षिक महत्ताई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार सेत की उपलब्ध औसत महत्ताई 5.25 मीटर है। सेत की वास्तविक महत्ताई हेतु संशोधन प्रस्तुत किया गया है।
13. खदान क्षेत्र में सेत सतह के लेकर्स - सेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ 25 मीटर गुना 25 मीटर के चिह्न बिन्दुओं पर दिनांक 08/08/2023 को सेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरान्त फोटोग्राफा सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

14. सीसीएट पर्यावरणीय समिति (C.E.A.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उत्पन्न निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
28.52	2%	0.53	Following activities at Village - Malda	
			Plantation at Village Pond	0.75
			Total	0.75

15. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालब के घाटे और वृक्षारोपण (आम, कटहल, जामुन) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 50 नम विसर्ग से 10 नम वृक्ष पूर्व से तालब के घाटे और अवशिशत है। आम 40 नम वीची के लिए रशि 4,000 रुपये, पोसिंग तथा पल्ल-पल्लव के लिए रशि 11,000 रुपये, आम के लिए रशि 2,000 रुपये, सिंचाई आदि के लिए रशि 5,000 रुपये एवं अन्य कार्य के लिए रशि 5,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल रशि 27,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल रशि 48,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा आम पंचायत मन्दा के सहमति उत्पन्न वृक्षारोपण स्थल (खारात इलाक 328, क्षेत्रफल 0.299 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
16. वृक्षारोपण कार्य – नदी के तट पर सार्वजनिक भूमि (खरात इलाक 248/1, कुल रकबा 8.754 हेक्टेयर में से 0.9 हेक्टेयर) में 1,000 नम वृक्षारोपण करने हेतु प्रस्ताव दिया गया है, जो निम्नानुसार है-

विवरण	प्रथम वर्ष (रुपये)	द्वितीय वर्ष (रुपये)	तृतीय वर्ष (रुपये)	चतुर्थ वर्ष (रुपये)	पंचम वर्ष (रुपये)
प्रथम नियोजन हेतु परियोजना के दौरान बाइको/पट्टे चार्ज से उत्पन्न हुए उत्सार्जन के नियोजन हेतु चल सिद्धकाय	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
नदी के तट पर सार्वजनिक भूमि में (1,000 नम) वृक्षारोपण हेतु	1,00,000	-	-	-	-
वृक्षारोपण हेतु	52,000	-	-	-	-
	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000

	रक्ति मिथाई एवं रक्त-रक्षण हेतु रक्ति	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000
कुल रक्ति = 14,07,000		4,07,000	2,50,000	2,50,000	2,50,000	2,50,000

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण कर लेने के उपरान्त संबंधित जल पंचायत से कार्यपूर्ण प्रमाणपत्र प्राप्त कर, विद्योपेन फोटोग्राफ सहित जानकारी पर्यावरण स्वीकृति हेतु जमा किये जाने वाले अर्थसाहिक रिपोर्ट में समाहित कर प्रस्तुत किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
18. परियोजना के दिन-दिन स्वलों से क्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्वलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
19. खदान क्षेत्र के आस-पास नदी तट एवं पटुंग मार्ग में बाधन कृतवीचन किये जाने एवं तैमित पौधों का सत्याईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. उत्खनन आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्वनीच लेनों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में ललित नहीं है।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्वतारण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/08/2017 के अंतर्गत कोई उत्सर्जन का प्रकरण ललित नहीं है।
24. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये विश्व निर्देशों का पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके द्वारा इन्वोर्मेंट एण्ड मॉनिटरिंग गार्डरलाईन्स फॉर सेक्टर 2020 के प्रावधानों का पालनकिया जायेगा तथा अनुमोदित उत्खनन योजना में दिए गार्डरलाईन्स रिजर्व का 80 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किये जाएगा।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आज्ञा का समर्थन पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान में लकड़ खनन के दौरान सस्टेनेबल लैंड मैनेजिंग गाइडलाइन्स 2018 एवं इन्व्हेसमेंट एन्ड मॉनिटरिंग गाइडलाइन्स और सेक्टर 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।
28. पर्यावरण स्वीकृति में विद्ये गये शर्तों का पालन किये जाने एवं छत्रछाड़ी पालन प्रतिवेदन पर्यावरण कार्यालय में जमा करवाने बाबत समर्थन पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समर्थन पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आवेदित स्थल से स्कूल 710 मीटर, अस्पताल 948 किमी. एवं आबादी क्षेत्र 310 मीटर की दूरी पर है जो कि ख.प. सीमा खनिज अधिनियम 2018 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है, अतः स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा। खनन कार्य से स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में होने वाले जन समस्याओं को निराकरण हेतु निम्न उपाय किये जाएँ—
- खदान क्षेत्र की आल-पाल नदी तट एवं पहुंच मार्ग में घाटी और सघन वृक्षारोपण किया जायेगा, जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।
 - बूल(बस्ट) को निराकरण के लिए टीकर को द्वारा पानी को छिड़काव किया जायेगा, जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।
 - हमारे द्वारा खनिज का परिवहन लायसेंसिंग से बंध कर किया जायेगा, जिससे रास्तों में वाहन से खनिज न गिरे।
 - हमारे द्वारा वाहनों का परिवहन स्कूल एवं आबादी क्षेत्र से होकर नहीं किया जायेगा, जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।
 - हमारे द्वारा स्कूल एवं आबादी क्षेत्र में बैम्प लगाकर स्वास्थ्य परिक्षण कराया जायेगा।
 - हमारे द्वारा घास स्थित तालाब में परियोजना लागत की 2 इतिहास चर्चि की, ई.आर. के तहत तालाब के घाटी और आम के विभिन्न प्रजातियों, जामुन एवं कटहल आदि के पौधों का रोपण एवं सुरक्षा हेतु पेंसिंग लम्बे 5 वर्षों तक सम्पूर्ण देखभाल किया जायेगा।
 - सड़कों का उपचित रख-रखाव एवं बूल आदि से सुरक्षा हेतु नियमित जल छिड़काव किया जायेगा, रोड, आबादी, स्कूल आदि पर बूल का प्रभाव नगण्य होगा।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्षा जल को दौरेन रेत जलखनन का कार्य नहीं किये जाने बाबत समर्थन पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
31. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य को मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (नोन्स्टाईटर/प्रतिनिधि, घास संस्थापक के प्राधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या उत्तरीसमूह पर्यावरण संरक्षण मण्डल के प्राधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
32. रेत जलखनन मैनुअल विधि से एवं भरतई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र घाटी बहान की धेनी को

है। अतः महर्षि का कार्य मनुस्मृत विधि से ही करना है। भारी बहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

25. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा 3 मीटर की महर्षि तक उत्खनन की अनुमति नहीं है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की अधिकतम पुनर्भरण संसदी अध्यायन कार्य एवं टालाबों आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर महर्षि से अधिक गेह का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. आवेदित खदान (घान-पिकनी) का रकबा 4.9 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में विसृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर का उससे कम होने का काल यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. परिवोजना प्रस्तावक से खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विसृत माद अध्ययन (Siltation Study) करावेगा, ताकि सेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाध नही आकर, सेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय जनसमिति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर सेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
3. सीज क्षेत्र की सतह का बैसलाइन डाटा —
 - a. सेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित छिद्र बिन्दुओं पर नदी में सेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े एन.ई.आई.ए.ए., फर्तीसमद को प्रस्तुत किये जायें।
 - b. पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में सेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इसी छिद्र बिन्दुओं में सर्वेक्षण जीज क्षेत्र तथा जीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन जीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित छिद्र बिन्दुओं पर किया जावेगा।
 - c. इसी प्रकार सेत खनन उपरोक्त मानसून के पूर्व (नई माह के अंतिम समाप्त/जून के प्रथम समाप्त) इसी छिद्र बिन्दुओं पर सेत सतह के लेवल (Levels) का मापन किया जाएगा।
 - d. सेत सतह के पूर्व निर्धारित छिद्र बिन्दुओं पर सेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े अगस्त 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एन.ई.आई.ए.ए., फर्तीसमद को प्रस्तुत किए जायेंगे।
4. आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का तालेख करती हुए कार्यालय वन्यजन्तुसंरक्षक से जारी अनुमति प्रमाण पत्र की प्रति को एन.ई.आई.ए.ए., फर्तीसमद में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय सर्वेक्षित की सख्त अनुमति की जाती है।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से मेसर्स पिकनी रोड मार्ग (जो -बी गणेश चन्द शुक्ल), पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1, घान-पिकनी, तहसील-कसबोल, जिला-बलीदाबाजान-भारतपुर, कुल सीज क्षेत्रफल 4.9 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही सेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर

की महलाई तक सीमित रखते हुए, कुल 44,100 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु परिशिष्ट-08 में वर्णित शर्तों को अंश देते जाने की अनुमति की गई। रेत की खुदाई मजिरी द्वारा (Manually) की जाएगी। गिर बेड (Girer Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित होगा। खनन क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्लॉट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर टॉली द्वारा किया जाएगा।

6. सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं एन्फोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइन्स फॉर सैंड माइनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार कच्चाई से बालन सुनिश्चित किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिया (एस.ई.आई.ए.ए.) अंतीमगढ़ को तदनुसार सुचित किया जाय।

8. मेसर्स चंगोरी सैंड माइनिंग (प्री- श्री ललित राम मणिकपुरी), राम-चंगोरी, तहसील-लखन, जिला- बलीदासगढ़-बाटापार (सचिवालय का नक्सा क्रमांक 2838) ऑनलाइन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 440580/2023, दिनांक 18/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत (गील खनिज) खदान है। खदान राम-चंगोरी, तहसील-लखन, जिला-बलीदासगढ़-बाटापार स्थित पट्टे ऑफ़ सस्तर क्रमांक 909, कुल क्षेत्रफल-4.9 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित रेत उत्खनन क्षमता-74,025 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परिवर्तन प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., अंतीमगढ़ को ज्ञापन दिनांक 18/10/2023 द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु सुचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 483वीं बैठक दिनांक 28/10/2023 :

प्रस्तुतिकरण हेतु श्री सुनील कुमार दीक्षित, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान की पूर्ण में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. राम चंगोरी का अनामत प्रमाण पत्र - रेत उत्खनन के संबंध में राम चंगोरी चंगोरी का दिनांक 07/07/2023 का अनामत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. विन्दाकित/सीमांकित - अर्वालय कलेक्टर, सचिवालय से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विन्दाकित/सीमांकित का घोषित है।

4. **उत्खनन योजना** - गिर बेंड रोन्ड बाईन प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप-संचालक (खनिज शाखा), जिला-बलीदाबाजार-भाटापारा के ज्ञान क्रमांक 1812/बी 3-7/न.क्र. 04/2023 बलीदाबाजार, दिनांक 28/07/2023 द्वारा अनुमोदित है।
5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलीदाबाजार-भाटापारा के ज्ञान क्रमांक 1814/बी 3-7/न.क्र. 02/2023 बलीदाबाजार, दिनांक 28/07/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर से भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निम्न है।
6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलीदाबाजार-भाटापारा के ज्ञान क्रमांक 1814/बी 3-7/न.क्र. 02/2023 बलीदाबाजार, दिनांक 28/07/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, बंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मठ एवं एनोवट आदि अधिधीत क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. **एल.जी.आई. संबंधी विवरण** - एल.जी.आई. श्री ललित दास मनिशपुरी के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलीदाबाजार-भाटापारा के ज्ञान क्रमांक 1098/बी 3-7/न.क्र.02/2023 बलीदाबाजार, दिनांक 29/06/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी कैंट जारी दिनांक से 8 माह की अवधि तक है।

छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग, मंत्रालय, गहानदी घाट, नवा रामपुर अटल नगर द्वारा छत्तीसगढ़ ग्रीन खनिज सार्वजनिक रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2018 हेतु संशोधन अधिसूचना दिनांक 09/06/2023 को जारी की गई है। उक्त अधिसूचना के नियम 4 अनुसार "उत्खनन पट्टे की कारावाही-सार्वजनिक रेत के उत्खनन हेतु उत्खनन पट्टा पांच वर्ष की कारावाही से किए इजाजत किया जाएगा। पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर उत्खनन पट्टा विलेख के पंजीवन दिनांक से किया जाएगा।" का उल्लंघन है।

8. **इन विभाग का अनुमोदित प्रमाण पत्र** - आवेदित क्षेत्र की निकटतम इन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनसम्पदलघीकार्डी से जारी अनुमोदित प्रमाण पत्र की प्रती प्रस्तुत नहीं की गई है।
9. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रती प्रस्तुत की गई है।
10. **सकलपूर्ण संरचनाओं की दूरी** - निकटतम आबादी घास-बंगोरी 800 मीटर, स्कूल घास-बंगोरी 1 कि.मी. एवं अस्पताल विधोनावावा 12.4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 9.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। विवाई नहर 1.8 कि.मी., नाला 1.85 कि.मी., तालाब 1.1 कि.मी. एवं रोड पुल 2.8 कि.मी. दूर है।
11. **खान स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** - आवेदन अनुसार खान स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई - अधिकतम 800 मीटर, न्यूनतम 550 मीटर तथा खान स्थल की लंबाई - अधिकतम 204 मीटर, न्यूनतम 288 मीटर एवं खान स्थल की चौड़ाई - अधिकतम 187 मीटर, न्यूनतम 185 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 90

मीटर, न्यूनतम 50 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

12. खदान स्थल पर रेत की मोटाई – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई 5.2 मीटर तथा रेत खदान की प्रस्तावित गहराई 3 मीटर दर्शाई गई है। अनुसूचित माइनिंग प्लान अनुसार खदान में माइनिंगल रेत की मात्रा 74,825 कर्ममीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से इनामित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध शीमा गहराई 5.2 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।
13. खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलस – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुना 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 08/08/2023 को रेत सतह के वर्तमान लेवलस (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत खोटीघान्सा सहित जानकारी/वस्तुलेख प्रस्तुत किये गये हैं।
14. नैर माइनिंग क्षेत्र – नदी के घाट की चौड़ाई अधिकतम 900 मीटर, न्यूनतम 850 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट से किनारे से दूरी अधिकतम 50 मीटर, न्यूनतम 30 मीटर है। नये विद्युत निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। उपरोक्तानुसार नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी छोड़ते हुये 7,375 कर्ममीटर नैर माइनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के आसपास 41,825 कर्ममीटर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है, उपरोक्त का उल्लेख माइनिंग प्लान में किया गया है।
15. जीपीएन पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के माफ़ विस्तार से चर्चा उपरान्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
24.09	2%	0.48	Following activities at, Village - Changori	
			Plantation at Village Pond	0.75
			Total	0.75

16. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब की चारों ओर वृक्षारोपण (आम, कटहल एवं जामुन) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 60 नग लिलने से 20 नग वृक्ष पूर्व से तालाब की चारों ओर अवस्थित हैं। शेष 40 नग वीथी के लिए प्रति 4,000 रुपये, वीथिंग के लिए प्रति 8,000 रुपये, खाद के लिए प्रति 2,000 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए प्रति 15,000 रुपये इस प्रकार प्रत्येक वर्ष में कुल प्रति

Handwritten signature

27,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 48,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परिवोजना प्रस्तावक द्वारा घान पंचायत घणोरी के सहमति उपरंत क्वाटोपन स्थान (खसरा क्रमांक 807, क्षेत्रफल 0.647 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

17. क्वाटोपन कार्य - नदी के तट पर घान पंचायत घणोरी के सहमति उपरंत शासकीय भूमि (खसरा क्रमांक 838 एवं 837, क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर) में 1,000 नग क्वाटोपन करने हेतु प्रस्ताव दिया गया है, जो निम्नानुसार है-

विवरण		प्रथम वर्ष (रुपये)	द्वितीय वर्ष (रुपये)	तृतीय वर्ष (रुपये)	चतुर्थ वर्ष (रुपये)	पंचम वर्ष (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/चतुर्थ मार्ग में उत्पन्न मूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल सिंचन		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
नदी के तट पर शासकीय भूमि में (1,000 नग) क्वाटोपन हेतु	क्वाटोपन (80 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	1,00,000	-	-	-	-
	घान लिंक वॉसिंग हेतु राशि	32,500	-	-	-	-
	खाद हेतु राशि	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	1,55,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000
कुल राशि = 13,87,500		3,87,500	2,50,000	2,50,000	2,50,000	2,50,000

18. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा सौर्इआर के तहत प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण बन लेने के उपरान्त संबंधित घान पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर, सिमेंटेड फोर्टोहाफ सहित जानकारी पर्यावरण सौकुलि हेतु जमा किये जाने वाले आधिकारिक रिपोर्ट में समाहित कर प्रस्तुत किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. परिवोजना से जिन-जिन स्थलों से क्युमिटिव ऊपट उत्सर्जन होता, उन स्थलों पर नियमित जल सिंचन की व्यवस्था किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. खदान क्षेत्र के आस-पास नदी तट एवं पट्टन मार्ग में सघन क्वाटोपन किये जाने एवं रोपित वीधों का सन्वाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. घलीसपट्ट आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार किये जाने हेतु सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

Handwritten signature

22. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का बहाव प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
24. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
25. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये विहा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके द्वारा इन्फोर्सेमेंट एन्ड मॉनिटरिंग गाइडलाइन्स फॉर सेक्टर 2020 के प्रावधानों का पालन किया जायेगा तथा अनुसूचित उत्खनन योजना में दिए गाइडनेस नियमों का 80 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जाएगा।
28. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान में तथा खनन के दौरान सस्टेनेबल मीड गाइडिंग गाइडलाइन्स 2018 एवं इन्फोर्सेमेंट एन्ड मॉनिटरिंग गाइडलाइन्स फॉर सेक्टर 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।
29. पर्यावरण स्वीकृति में दिये गये शर्तों का पालन किये जाने एवं कच्चाई पालन इतिहास पर्यावरण कन्सिलेशन में जमा कनाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
30. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि अर्थात् स्थल से स्कूल 1 कि.मी., अस्पताल 12.4 कि.मी. एवं आबादी क्षेत्र 800 मीटर की दूरी पर है जो कि छ.ग. गौण खनिज अधिनियम 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है, अतः स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा। खनन कार्य से स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में होने वाले जन समस्याओं के निराकरण हेतु निम्न उपाय किये जायेंगे—
 - a. खदान क्षेत्र के अल-वास नदी तट एवं चंद्रा नदी में घाटी और सफल पुनरोपन किया जायेगा, जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।
 - b. धूल(डस्ट) के निराकरण के लिए टीका के द्वारा घाटी को विकसित किया जायेगा, जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।

- क. हमारे द्वारा खनिज का परिष्कृत कार्बोसिलिन से बंधक बन किया जाएगा, जिससे चमत् में वाहन से खनिज न मिले।
 - ख. हमारे द्वारा वाहनों का परिष्कृत स्कूल एवं आबादी क्षेत्र से होकर नहीं किया जाएगा, जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।
 - ग. हमारे द्वारा स्कूल एवं आबादी क्षेत्र में कौम्य लगावजन स्वाच्छर परिक्षण कराया जाएगा।
 - घ. हमारे द्वारा ग्राम में निश्चित तालाब में परियोजना लागत की 2 प्रतिशत राशि सीईओएर के तहत तालाब के चारों ओर ग्राम के विभिन्न प्रजातियों, जामुन एवं कटहल आदि के पेड़ों का रोपण एवं सुखा हेतु पंपिंग तथा 5 वर्षों तक सम्पूर्ण ईन्फ्रास्ट्रक्चर किया जाएगा।
 - च. वाहनों का उचित रख-रखाव एवं धूल आदि से सुखा हेतु निर्धारित जल सिंचिकाय किया जाएगा, रोड, आबादी, स्कूल आदि पर धूल का प्रभाव नगण्य होगा।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्ष जलु के दौरान रेत उत्खनन का कार्य नहीं किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 32. समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के भीतर गैर भाईनिंग क्षेत्र में सीमा सार्थक लगाया जाना आवश्यक है। लीज क्षेत्र के चारों ओर तथा सीमा लाईन के मध्य में सीमेंट के खम्भे गड़ाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
 33. सीईओएर कार्य एवं नदी तट में कुआरोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु डि-प्लीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या प्रदूषण पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सीईओएर एवं नदी तट में कुआरोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित डि-प्लीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
 34. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं नदी का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र नदी बहान की श्रेणी के है। अतः नदी का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावे। भारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
 35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तालाबों आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है तथा इसमें वार्षिकतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया—

1. आवेदित खदान (ग्राम-बंगोरी) का रकबा 4.9 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में लीक्यूट/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान सी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गार्द अध्ययन (Situation Study) करावेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय जनसंघति, जीव एवं कुल जीवों

पर प्रभाव तथा नदी के घाटी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

3. लीज क्षेत्र की सतह का बेचलाईन आटा -

- a. रेत उत्खनन प्रारंभ करने से पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित विद्यु बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ों तालिका एच.ई.आई.ए.ए., छातीसागढ़ को प्रस्तुत किया जाये।
- b. फीस-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने से पूर्व) इसी विद्यु बिन्दुओं में माइनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित विद्यु बिन्दुओं पर किया जायेगा।
- c. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इसी विद्यु बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा।
- d. रेत सतह के पूर्व निर्धारित विद्यु बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) के मापन का कार्य अगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। फीस-मानसून के आंकड़े विसंखर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं डी-मानसून के आंकड़े अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एच.ई.आई.ए.ए., छातीसागढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

4. आवेदित क्षेत्र की निरूत्पन्न वन क्षेत्र से दूरी का पर्यवेक्ष करते हुए कार्यालय वनसम्पदलघिकाठी से जारी अनुरोधित प्रमाण पत्र की प्रति को एच.ई.आई.ए.ए., छातीसागढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की बात के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सर्वांगी अनुमति की जाती है।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स चंपोरी सेन्ड माइनिंग (प्री-बी लिमिटेड वाम मानिकपुरी), पार्ट जीएन अथवा इगॉक 909, वाम-बनोरी, तहसील-तवन, जिला-बलियाबाजार-भाटानगर, कुल लीज क्षेत्रफल 4.3 हेक्टेयर में से माइनिंग प्लान अनुसार वीर माइनिंग क्षेत्र 7,375 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 4,1625 हेक्टेयर उत्खनन हेतु क्षेत्र का कुल 80 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 37,482 वर्गमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु परिशिष्ट-अ में वर्णित सर्तों के अधीन दिये जाने की अनुमति की गई। रेत की खुदाई मनुष्यों द्वारा (Manually) की जाएगी। निलर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग धाईर तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रेली द्वारा किया जाएगा।

6. सस्टेनेबल सेन्ड माइनिंग मैनेजमेंट गाईडलाइन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इम्फोरसमेंट एन्ड मॉनिटरिंग गाईडलाइन्स फॉर सेन्ड माइनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार खदाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

उक्त स्वीकृत पर्यावरण प्रभाव आकलन दस्तावेज़ (एच.ई.आई.ए.ए.) छातीसागढ़ की तयानुसार सुधित किया जाए।

8. मेरवा कमलेश कुमार मिश्रा एवं कले काशी, ग्राम-सोनपुर, तहसील-घटन, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नक्शे क्रमांक 2402)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एनआईएन/ 430404 / 2023, दिनांक 23/06/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में त्रुटि होने से ज्ञान दिनांक 12/07/2023 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पठित जानकारी दिनांक 18/08/2023 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई, ऑनलाईन पब्लिक पोर्टल में तकनीकी त्रुटि होने के कारण में प्रस्तुत जानकारी दिनांक 17/10/2023 पर्यवेत हो रहा है।

खदान का विवरण - यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (पीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-सोनपुर, तहसील-घटन, जिला-दुर्ग विद्यत खसरा क्रमांक 405 (पार्ट), 408, 409, 413 एवं 414, कुल क्षेत्रफल-1.5 हेक्टर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-2,000 टनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्राप्त सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरैंडम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसमें पैरा 4 में निम्न प्रस्ताव है:-

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A. 142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरैंडम के तहत परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण सभागत निर्धारण प्रक्रियण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को पुनः अनुमोदना (re-appraisal) हेतु एसआईएसी, छातीसगढ़ के लक्ष्य ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एसआईएसी, छातीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/10/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 483वीं बैठक दिनांक 28/10/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कमलेश कुमार मिश्रा प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्शे, प्रस्तुत जानकारी का अध्ययन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

1. पूर्व में मिट्टी खदान क्षमता क्रमांक 405 (पार्ट), 408, 409, 413 एवं 414, कुल क्षेत्रफल-1.5 हेक्टर, क्षमता-2,000 टनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सभागत निर्धारण प्रक्रियण, जिला-दुर्ग द्वारा दिनांक 21/02/2017 को जारी की गई।

- क. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी सर्वोत्तम स्वीकृत की गई कीमतों के मामलों में की गई कार्यवाही की स्व-प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- ख. निर्दिष्ट शर्तानुसार वृद्धावस्था नहीं किया गया है।
- ग. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 781/खनिज.02/खनिज/2023 दुर्ग, दिनांक 07/08/2023 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2015-16	1,480
2016-17	1,800
2017-18	100
2018-19	1,300
2019-20	500
2020-21	2,000
2021-22	1,300
2022-23	1,400

2. घास पंचायत का अनामति प्रमाण पत्र - ईट निर्माण के संबंध में घास पंचायत सोनपुर का दिनांक 12/08/2023 का अनामति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - खोरी प्लान प्रस्तुत किया गया है जो खनि अधिकारी, जिला-बालीर के दू. ज्ञापन क्र. 884-88/खनिज./खनिज/2018 बालीर, दिनांक 04/10/2018 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 781/खनिज.02/खनिज/2023 दुर्ग, दिनांक 07/08/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 781/खनिज.02/खनिज/2023 दुर्ग, दिनांक 07/08/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, रेल लाईन, नहर, बांध, एन्रीकट, भवन, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, पुरुडारा, मरुवाट, दार्शनिक स्थल इत्यादि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। 200 मीटर की परिधि में जलवायु एवं उत्खनन नहीं किया है।
6. लीज का विवरण - लीज की कमलेश कुमार मिश्रा के नाम पर है। लीज डीठ 10 वर्षों अवधि दिनांक 03/10/2013 से दिनांक 02/10/2023 तक की अवधि हेतु वैध थी। उत्पन्न लीज डीठ 5 वर्षों अवधि दिनांक 03/10/2023 से 23/11/2023 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
7. भू-स्वामित्व - भूमि सारवा क्रमांक 408 (पार्ट) एवं 414 श्री दिनेश कुमार, सारवा क्रमांक 408 व 409 श्री विजय लक्ष्मी देव, सारवा क्रमांक 413 श्री कमलेश कुमार के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत किया गया है।

8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – प्रस्तुतीकरण के दौरान परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान के लिए वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु कार्यालय वनमण्डलाधिकारी को आवेदन पत्र भेजा गया है। समिति का मत है कि लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुए वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
10. सड़कपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी राम-सोनपुर 200 मीटर, स्कूल राम-सोनपुर 1 कि.मी. एवं अस्पताल खटन 3.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 16.4 कि.मी. एवं राजमार्ग 670 मीटर दूर है। घासुन नदी 132 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किराटिकली पोस्टुटेज एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
12. खान संवदा एवं खान का विवरण – जिपेलेजिकल रिजर्व 30,000 घनमीटर एवं माईनेबल रिजर्व 92,000 घनमीटर है, वर्तमान में माईनेबल रिजर्व 12,000 घनमीटर क्षेत्र है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा चट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 881 वर्गमीटर है। अपन कस्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। क्षेत्र की चौड़ाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 3,881 वर्गमीटर में क्षेत्र ईट निर्माण हेतु चट्टा स्थपित है, जिसकी किंग्स विमरी की चौड़ाई 30 मीटर है। ईट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत पलाई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 9.5 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्खनन (घनमीटर)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	2,000	षष्ठम	2,000
द्वितीय	2,000	सप्तम	2,000
तृतीय	2,000	अष्टम	2,000
चतुर्थ	2,000	नवम	2,000
पंचम	2,000	दशम	1,088

13. जल आपूर्ति – परिवर्तन हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोयेल के माध्यम से किया जाएगा। इस संबंध में इंटर कालम्ब वाटर अथॉरिटी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
14. दूषासेपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चानी क्षेत्र 1 मीटर की चट्टी में 330 नया दूषासेपण किया गया है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पीछी के लिए सस्ति 82,500 रुपये, कोसिन के लिए सस्ति 2,07,000 रुपये, खान के लिए सस्ति 33,000 रुपये, सिंचाई एवं रख-रखाव आवि के लिए सस्ति 1,71,000 रुपये, इस प्रकार कुल

₹ 5,63,500 रुपये प्रदान की हेतु एवं आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 8,34,500 रुपये हेतु घटकवार खर्च का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के सफा विचार से कार्य परतंत्र विन्यानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
39	2%	0.78	Following activities at Govt. middle school Village- sonpur	
			Plantation at school Boundary	1.348
			Total	1.348

16. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर पर (खान, नीम, जदम एवं जामुन) कुशारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 मग पौधों के लिए राशि 5,000 रुपये, चीकन के लिए राशि 5,000 रुपये, खरबूट के लिए राशि 1,000 रुपये, सिंघाई तथा लहसुन-रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रुपये, इस प्रकार प्रदान की गई कुल राशि 35,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 99,800 रुपये हेतु घटकवार खर्च का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्रधानाध्यापक (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
17. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी अधिनियम केवोलेण्डम में दिये गये निर्देश का विन्दुवार पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि बेस्ट मटेरियल की कुल मात्रा 5,000 टन में से आवश्यकता अनुसार ताली में मरम्मत किया जाएगा एवं अधिशेष यदि बचे तो खनिज विभाग के सहमति से विक्रय किया जाएगा।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा का किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण हेतु सोलरपिट बनाया गया है। इस बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. बाइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सभ्य कुशारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सतर्कपालन रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाधच्छेदी फिल्टर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. उत्तीर्णपत्र आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय स्तरों को रोजगार देने जाने हेतु सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
23. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परिवोजना/उपदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
24. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना क्र.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई प्रस्तावना का प्रकरण लंबित नहीं है।
25. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन की कोपी सदस्य सचिव पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है।
26. परिवोजना से जिन-जिन स्थलों से स्तुतिवित्त अस्त उत्पन्न होगा, उन स्थलों पर निर्दिष्ट जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय किया गया—

1. एक लाख ईट निर्माण हेतु कितने टन कोयला की आवश्यकता के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. वर्तमान में एक सी.बी.टी.के. किल्ला स्थापित है। एक सी.बी.टी.के. किल्ला से जिन-जिन किल्ला में परिवर्तन किये जाने हेतु तकनीकी विवरण प्रस्तुत किया जाए।
3. भारत सरकार को पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का किन्तुवार पालन किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. भारत सरकार वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 143(अ), दिनांक 22/02/2022 के अनुसार जिन-जिन किल्ला को 02 वर्ष (अर्थात् 21/02/2024) तक स्थापित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
5. जीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वार्षिक दूरी का तालिका काली हुए वनसम्पदाधिकारी से जारी अन्तर्गत प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
6. कार्यालय कलेक्टर (खनिज संधार), जिला-दुर्ग को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 के तहत परिवोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुमोदन (re-approval) हेतु संबंधित नस्ती को इस कार्यालय में अधिसूचना प्रेषित किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

उपरोक्त उचित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरोक्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परिवोजना प्रस्तावक को तयानुसार सूचित किया जाए। कार्यालय कलेक्टर (खनिज संधार), जिला-दुर्ग को पत्र लेख किया जाए।

10. मैसर्स सल्फोका इस्तर पट्टीज कार्पो (प्री.- श्री अजाय कुमार चतुर्वेदी), ग्राम-सल्फोका, तहसील-मनेन्द्रगढ़, जिला-मनेन्द्रगढ़-विरगिरी-भरातपुर (सविवालय का नक्सा क्रमांक 2400)

ऑनलाईन आवेदन - प्रतीफल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एनआईएन/ 428403/2023, दिनांक 24/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कनिची होने से ग्रामन दिनांक 01/08/2023 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंतिम जानकारी दिनांक 18/08/2023 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संबंधित सहायक पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-सल्फोका, तहसील-मनेन्द्रगढ़, जिला-मनेन्द्रगढ़-विरगिरी-भरातपुर स्थित खाना क्रमांक 215/1, कुल क्षेत्रफल-0.405 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित परवानगी क्षमता-3.648 टन प्रतिवर्ष है।

भारत सरकार की पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अंतिम मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रस्ताव है:-

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त अंतिम मेमोरेण्डम की तहत परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण सहायक निर्धारण अधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुमूला (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., मनेन्द्रगढ़ को सख्त ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

अनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., मनेन्द्रगढ़ को ग्रामन दिनांक 18/10/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बीटक का विवरण -

(अ) समिति की 493वीं बीटक दिनांक 28/10/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री एन.एस. पत्थर, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्सा, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्कर्ष आई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

1. पूर्व में सहायक पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान खाना क्रमांक 215/1, कुल क्षेत्रफल 0.405 हेक्टेयर, क्षमता-1.402 घनमीटर (3.648 टन) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सहायक निर्धारण अधिकरण, जिला-वेरिगिरी द्वारा दिनांक 21/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 20/03/2022 को अवधि तक वैध थी।



भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:-

"GA, Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 20/08/2023 तक वैध थी।

- परिषीजन्य प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के चलन में की गई कार्यवाही की स-प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- निर्धारित शर्तानुसार पूराकरण नहीं किया गया है।
- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-एन.सी.बी. के ज्ञापन क्रमांक 18/खनिज/स.प.अनु./2023 एन.सी.बी. दिनांक 10/04/2023 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2017-18	निरंक
2018-19	50
2019-20	175
2020-21	60
2021-22	60
2022-23	निरंक

- घाम पंचायत का जनाश्रित प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में घाम पंचायत सस्तेखा का दिनांक 20/08/2008 का जनाश्रित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- उत्खनन योजना - स्वामी प्लान अर्थात् विद्युत स्वीचिंग कलेक्टर प्लान विद्युत इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। परिषीजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित स्वामी प्लान का कवरिंग लेटर प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त अनुमोदित स्वामी प्लान के कवरिंग लेटर (ज्यादाक क्रमांक एवं दिनांक सहित) की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मनेन्द्रगढ़-विरमिरी-महापुर के ज्ञापन क्रमांक 18/खनिज/स.प./2023 एन.सी.बी. दिनांक 10/04/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
- 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मनेन्द्रगढ़-विरमिरी-महापुर के ज्ञापन क्रमांक 18/खनिज/स.प./2023 एन.सी.बी. दिनांक 10/04/2023 द्वारा जारी ज्ञापन पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, कुआ, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एन.सी.बी. बंध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।



6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह सामंतीय भूमि है। लीज की अवधि चतुर्विंशती के नाम पर है। लीज की अवधि दिनांक 20/12/2008 से दिनांक 19/12/2018 तक की अवधि हेतु रद्द की। तत्पश्चात् लीज की अवधि दिनांक 20/12/2018 से 19/12/2028 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
7. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलधिकारी, (सालान्द) वन मण्डल, मलेन्द्रगढ़ के द्वारा दिनांक/क्रमांक/म.वि./2001/186 मलेन्द्रगढ़, दिनांक 03/02/2001 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुए वनमण्डलधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
9. **गहलपूरु वनक्षेत्रों की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-सत्योका 600 मीटर, हसदेव नदी 8 कि.मी. एवं हत्यली गावा 1 कि.मी. दूर स्थित है। वनक्षेत्र आश्रित वन 3 कि.मी. एवं चिरईपानी संरक्षित वन 300 मीटर दूर है।
10. **परिस्थितिकीय/जैववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, परिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
11. **खनन संघदा एवं खनन का विवरण** – त्रिघोलीनिस्सल रिजर्व 70,181 टन, माईनेसल रिजर्व 28,807 टन एवं रिक्वैरेड रिजर्व 23,847 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,014.4 वर्गमीटर है। जोधन कास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। डि-लीक की औसत ऊंचाई 1.5 मीटर एवं यू-जाल से उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। बीच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की सम्बंधित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में कचरा स्थानित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक डैमर से डिजिटिंग एवं कंट्रोल ऑपरेशन किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का मिश्रण किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,803.2	षष्ठम	2,648.1
द्वितीय	2,069.2	सातम	2,983.5
तृतीय	2,145.0	अष्टम	3,307.2
चतुर्थ	2,265.8	नवम	3,648.5
पंचम	2,359.5	दशम	1,454.7

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल से प्राप्त से किया जाएगा। इस कार्य में मदद प्राप्त कर अर्थात् अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(Handwritten Signature)

13. **कुसरोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा से चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कुल 450 मम कुसरोपण किया जाना है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में लीज क्षेत्र की सीमा से चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 100 मम कुसरोपण किया गया है। समिति का मत है कि कुर्सी हेतु पीछे, पेशिन, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों (50 प्रतिशत जीवन दर के अन्तर्गत) का पर्याप्त व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उल्खनन** – लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उल्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,014.4 वर्गमीटर है, जिसमें से 282.4 वर्गमीटर क्षेत्र 2 मीटर गहवाई तक उल्खनन किया गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माइनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उल्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः जीव उपरोक्त निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीचे कौल माइनिंग प्रोपेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्तें क्रमांक 73-74 के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माइन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सीमाई ज़ोन में कुसरोपण किया जाना आवश्यक है।

16. **गैर माइनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र में 325 वर्गमीटर क्षेत्र को संशोर्न क्षेत्र होने के कारण से गैर माइनिंग क्षेत्र रखा गया है।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
15	2%	0.30	Following activities at Village- Sarbhoka	
			Pavitra Van Nirman	2.98
			Total	2.98

18. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (आंधरा, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बैल आदि) कुसरोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 मम पीछे के

लिए राशि 4,000 रुपये, पेंसिंग के लिए राशि 40,000 रुपये, खाद के लिए राशि 3,000 रुपये, सिंचाई एवं रख-रखाव के लिए राशि 48,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 95,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 2,01,000 रुपये हेतु पर्यवेक्षण व्यवसाय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत वित्त वन हेतु वाम संघकेत सस्तीकरण के सहजति उपलब्ध अध्यापकेय स्थान (खसरा क्रमांक 215/4, क्षेत्रफल 0.548 हेक्टेयर) के संघ में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपलब्ध सहजसन्धति से निम्ननुसार निर्णय लिया गया—

1. अनुसंधित खादी प्लान के कन्डरिंग सेक्टर (आयक क्रमांक एवं दिनांक सहित) की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. खदान से महत्वपूर्ण संरचना जैसे—अस्पताल, स्कूल, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राजमार्ग आदि की दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का उल्लेख कर्तरी हुए कनमन्डलधिकारी से जारी अनामसित प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
4. समरी सिट्टी की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।
5. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कुलरोपण हेतु पीसी, पेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों (50 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का पर्यवेक्षण व्यवसाय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
6. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में किये गये उल्लेखित क्षेत्र का पुनर्भवाव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाए।
7. मईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में किये गये उल्लेखन के कारण इस क्षेत्र के उपकारी उपार्थ (Beneficial Measures) के संघ में तथा लीज क्षेत्र के अंदर मईनित कियेकलत्पी के कलन सत्यन प्रदुशन निबंधन हेतु आवश्यक उपार्थ तथा कुलरोपण आदि के लिये अनुचित उपार्थ को कियेकलत्पी कलने बाबत संघालक, संघालनालय, भीमिडी तथा खनिकर्म, इंचाकरी भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला—रायपुर (उत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।
8. कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला—कोरिया की भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिका केनोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 के तहत परीकोजना प्रस्तावक को पूर्ण में जारी पर्यावरणीय सीकृति के पुनः अनुसंधान (re-approval) हेतु संबंधित नस्ती को इस कलर्वालय में अधिलेख प्रेषित किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
9. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी अधिका केनोरेण्डम से किये गये सिट्टी का विन्दुवार पालन किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अधिका उल्लेखन किया जाना पड़े जाने पर परीकोजना प्रस्तावक के विरुद्ध निषयानुसार आवश्यक कलर्वाकरी किये जाने हेतु संघालक, संघालनालय, भीमिडी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को सति प्रदुधाने हेतु उत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को निषयानुसार कियेकलत्पी किये जाने हेतु लेख किया जाए।

11. एक्सप्लोसिव लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कठोरे जाने बाबत समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
12. अग्नीशमद अवरोध पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
13. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से स्तुतिदिये हुए उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल विश्लेषण की व्यवस्था किये जाने बाबत समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियंत्रण के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस अधिनियम से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकल्प देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में अहित नहीं है।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सादावित अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई प्रकल्प अहित नहीं है।
18. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जाएगा। इस बाबत अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
19. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (C) Civil No.114 (2014) common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त उल्लिखित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरोक्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को उपरानुसार सूचित किया जाए। साथ ही संघालक, संघालकालय, भूमिहीन तथा खनिज, इंद्रायणी नगर, नया रावपुर अटल नगर एवं अग्नीशमद पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रावपुर अटल नगर तथा कार्यालय कलेक्टर (खनिज संस्था), जिला-होशियार को पत्र भेजा किया जाए।

11. मेजर बहनाकवाड़ी साईमल्टोन माईन (सी- डी विजय जादवानी), ग्राम-बहनाकवाड़ी, रावनील-आरंग, जिला-रावपुर (संघालक का नसीब क्रमांक 2838)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एलआईए/ सीपी/ एमआईए/ 442851 / 2023, दिनांक 18/08/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया।

[Handwritten Signature]

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व संघटित चूना पत्थर (पीप खनिज) खदान है। खदान
घाट-खुनाखरकी, तहसील-अरन, जिला-रायपुर जिला खाना क्रमांक 31, 32/1, 33,
34 एवं 48/2, कुल क्षेत्रफल-3.664 हेक्टेयर में है। खदान की अपेक्षित उत्पादन
क्षमता-80,160 टन प्रतिवर्ष है।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस
मेमोरेंडम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न
प्रकाशन है-

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been
decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through
SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A. 142 of 2022.
In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-
appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018
(including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by
SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time
period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all
such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time
period of one month from issue of this OM."

एक ऑफिस मेमोरेंडम के तहत परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण
समाधात निर्धारण प्रक्रियण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुमना (re-
appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समत ऑनलाइन अपेदन किया गया है।

उदात्तार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञान दिनांक
18/10/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 423वीं बैठक दिनांक 28/10/2023 :

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विजय जयवानी, जेचार्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती,
प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

1. पूर्व में चूना पत्थर खदान खाना क्रमांक 31, 32/1, 33, 34 एवं 48/2, कुल
क्षेत्रफल-3.664 हेक्टेयर, क्षमता-80,160 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति
जिला स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्रक्रियण, जिला-रायपुर द्वारा
दिनांक 14/05/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5
वर्ष अर्थात् 13/05/2023 की अवधि तक वैध थी।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा
जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार-

"3A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period
from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered
for the purpose of calculation of the period of validity of Prior
Environmental Clearances granted under the provisions of this
notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and
subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however,
all activities undertaken during this period in respect of the
Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक
से दिनांक 13/05/2024 तक वैध है।

- ii. परिवीक्षण प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की स्व-प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- iii. निर्दिष्ट शर्तानुसार 1,385 कुसरोपण किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 2127/खनिज/रा.प./न.क.- 1817/2022 रायपुर, दिनांक 12/07/2022 द्वारा विगत वर्ष में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्खनन (टन)
2018-19	6,050
2019-20	16,362
2020-21	7,110
2021-22	12,020
2022-23	28,400

2. धारा पंचायत का अनाधिकृत प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में भूमि खसरा क्रमांक 31, 32/1 व 46/2 का धारा पंचायत बहनाकाड़ी का दिनांक 28/09/2007 एवं उत्खनन तथा अडार स्थापना के संबंध में भूमि खसरा क्रमांक 33 व 34 का धारा पंचायत बहनाकाड़ी का दिनांक 20/01/2020 का अनाधिकृत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - एमालगमेंट क्वारी प्लान, इन्फार्मरीयट मैनेजमेंट प्लान एवम् क्वारी कलेक्टर प्लान प्रस्तुत किया गया है जो उप-संचालक (खनि.प्रशा.), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क./खनि./रा.प./20 रायपुर, दिनांक 06/03/2017 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में निष्ठा खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 2323/खनिज/रा.प./पूना. पत्र./2023-24 रायपुर, दिनांक 04/08/2023 अनुसार अर्जित खदान में 500 मीटर के मील अवस्थित 87 खदानें, क्षेत्रफल 171,281 हेक्टेयर है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परिवीक्षण प्रस्तावक का कथन है कि विधान द्वारा क्लस्टर सर्टिफिकेट जारी करने एवं उसके सक्क अर्जन के पश्चात् टी.ओ.आर. प्राप्त करने एवं ड्राफ्ट ई.आई.ए. जमा करते तक 8-9 माह व्यतीत हो जा रहे हैं और इस बीच में अर्जित क्लस्टर क्षेत्र में या तो कुछ नवीन खदानों के लिए अलग पत्र जारी हो जाता है या फिर कुछ खदानों का पट्टा अर्जित सामान्य हो जाता है या शासन/प्रशासन द्वारा खदान निरस्त कर दी जाती है। इस कारण से ड्राफ्ट ई.आई.ए. जमा करते समय क्लस्टर क्षेत्र का सक्क परिष्कृत हो चुका होता है। अतः उपरोक्त उपरवी से ड्राफ्ट ई.आई.ए. जमा करने से पूर्व खनिज विभाग से अद्यतन क्लस्टर सर्टिफिकेट प्राप्त कर अद्यतन क्लस्टर का सक्क को ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट परलंबित करते हुये क्लस्टर के किसी भी एक खदान के लिए परस्मय जारी अद्यतन सर्टिफिकेट संलग्न करते हुये ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट जमा कराये जाने हेतु निर्दिष्ट अधिरिक्त टी.ओ.आर. की शर्तों में सम्मिलित करने का अनुरोध है। उक्त से विरासे समिति सहमत हुई।
5. 200 मीटर की परिधि में निष्ठा सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 2323/खनिज/रा.प./पूना. पत्र./2023-24 रायपुर, दिनांक 04/08/2023 द्वारा जारी इलाका पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर,

pl

परिचर, वाटर, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्दिष्ट नहीं है।

6. **सीज का विवरण** – सीज की विवरण जादवानी के नाम पर है। कुल उत्खननपट्टा विस्तर 10 वर्ष की कालावधि हेतु एकत्र 2,387 हेक्टेयर क्षेत्र पर दिनांक 28/04/2008 से दिनांक 28/04/2018 तक एवं एकत्र 1,132 हेक्टेयर क्षेत्र पर दिनांक 18/11/2002 से 17/11/2012 तक कुल चार, इयम नदीतीरवर्ग दिनांक 18/11/2012 से 17/11/2002 तक निर्धारित किया गया था। अर्थात् विस्तार के अनुसार दोनों खदान का सम्मेलित आदेश के तहत नियम 57 (4) के तहत अर्थात् दिनांक 18/11/2012 से दिनांक 17/11/2002 तक विस्तारित किया गया है।
7. **भू-स्वामित्व** – भूमि खानरा क्रमांक 31, 33 व 34 की विवरण जादवानी, खानरा क्रमांक 32/1 एवं 48/2 की सखेस जादवानी के नाम पर है। उत्खनन हेतु भू-स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत की गई है।
8. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **एन विभाग का अनुमति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, जिला-रायपुर के आदेश क्रमांक/ना.वि./रा/2883 रायपुर, दिनांक 21/10/2002 से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-बहनाखड़ी 730 मीटर, स्कूल ग्राम-बहनाखड़ी 1 कि.मी. एवं अस्पताल रायपुर 4.85 कि.मी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5.45 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 4.85 कि.मी. दूर है। नहर 800 मीटर, तालाब 780 मीटर एवं बांध 1.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
11. **परिस्थितीकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पील्यूटेड एरिया, परिस्थितीकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिबंधित किया है।
12. **खनन संघदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 19,28,646 टन, माईनेबल रिजर्व 8,82,485 टन एवं निकलबल रिजर्व 8,12,137 टन है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 18,57,820 टन, माईनेबल रिजर्व 8,14,881 टन एवं निकलबल रिजर्व 8,53,186 टन है। सीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8002.78 वर्गमीटर है। खनन क्वॉट सेमी मेथेनड्रिफ्ट विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। सीज क्षेत्र में खरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 7,888.58 वर्गमीटर है। बेस की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संस्थापित आयु 12 वर्ष है। सीज क्षेत्र में खतरा स्थिति है, जिसका क्षेत्रफल 2,295 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल स्टाबिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिस्तेम किया जाता है। वर्तमान प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
इयम	50,183.5	रायपुर	50,183.4
द्वितीय	49,823.8	रायपुर	50,142.5

कुटीय	49,746.7	अष्टम	50,082.9
चतुर्थ	49,952.5	नवम	50,042.7
पंचम	51,008.8	दशम	50,058.0

13. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति खोबरेल के माध्यम से किया जाएगा। इस संबंध में जल संचयन केंद्र पर अर्थोपार्जित का अभावित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
14. वृक्षारोपण कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,500 नम वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है, वर्तमान में 1,365 नम वृक्षारोपण किया गया है।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन - लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8,002.8 वर्गमीटर है, जिसमें से 181.7 वर्गमीटर क्षेत्र 8 मीटर, 248.17 वर्गमीटर क्षेत्र 11 मीटर, 151.88 वर्गमीटर क्षेत्र 15 मीटर तथा 385.42 वर्गमीटर क्षेत्र 19 मीटर गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माइनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय शर्तों की शर्तों का उल्लंघन है। अतः लीज उपरोक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नील कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्तें क्रमांक 5(a) के अनुसार-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of GPOB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माइन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े लेफ्टी जॉन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में आवेदन नंबरों महामाया निनदला (एचआईए / सीजी / एनआईएन / 69981/2021) में जाने वाली सफल खदानों को क्लस्टर में शामिल करती हुए बैकलाइन डाटा कलेक्शन का कार्य 15 दिसम्बर, 2021 से 15 मार्च, 2022 को पूरा किया गया था। तत्पश्चात् बैकलाइन डाटा कलेक्शन की शुरुआत ही नहीं की। कर्नाटक क्लस्टर (खनिज सख्त), जिला-रायचूर द्वारा जारी प्रमाण पत्र में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों में उक्त खदान का उल्लेख है। अतः आवेदित खदान उक्त क्लस्टर का भाग है, जिसके लिए ई.आई.ए. पट्टी पूर्व में की गई थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त एकत्रित बैकलाइन डाटा का उपयोग कर ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त को जिससे सन्धि सहमत हुई।
18. माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल से, नई दिल्ली द्वारा सार्वभौम पारंपरिक विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य

121

(अधिनियमन दृष्टिकोण नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को जारी आदेश में कुछ रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-रायपुर को ज्ञान क्रमांक 2323/वीए/एच/यूना. एच./2023-24 रायपुर, दिनांक 04/08/2023 अनुसार आवंटित खदान से 500 मीटर की सीमा अवधिगत 07 खदानें, क्षेत्रफल 171.251 हेक्टेयर है। आवंटित खदान (घाम-बहनाकाड़ी) का एका 3.684 हेक्टेयर है। इस प्रकल आवंटित खदान (घाम-बहनाकाड़ी) को मिलान कुल एका 174.915 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का कालपर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।
2. माईन सीज क्षेत्र को जारी और 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) से संबंध में तथा सीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण को नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा पुनरोपलब्ध आदि के लिये समुचित उपायों बाबत संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्त्त, इंडास्ट्री मंत्र, तथा रायपुर जटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।
3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा चट्टी में अर्थात् उत्खनन पाये जाने पर सीज उपरोक्त निम्नानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्त्त एवं पर्यावरण को लक्ष्य पहुँचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंत्र, तथा रायपुर जटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-रायपुर को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना नमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 के तहत परिचयना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को पुनः अनुसंधान (re-assessment) हेतु संबंधित नस्ती को इस कार्यालय में अधिसूचना प्रेषित किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से प्रकलन 'बी1' श्रेणी की का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रकाशित स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) वॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट वॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायल्टमेंट असीसेस अफ्टर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुलगाई सहित) वॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अधिसूचित टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुसंधान की गई-

- I. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

BU

- i. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
- ii. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating all the mines included in cluster.
- iv. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
- v. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
- vi. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
- vii. Project proponent shall submit an affidavit for compliance of commitments made to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- ix. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
- x. EIA study shall be done at minimum 10 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xv. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.
- xvi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area submit restoration plan and do remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project

[Handwritten signature]

proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

- xvi. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xvii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिक्रिया (एस.ई.आइ.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सुधित किया जाए।

12. मेरुवा अछोली कहीं पत्थर माईन (जे.- बी अर्धित सोनी), ग्राम-अछोली, तहसील व जिला-महासमुद्र (मण्डियालय का नक्सा क्रमांक 2840)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सोनी/ एमआईएन/ 440755/2023, दिनांक 18/08/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

इच्छा का विवरण - यह प्रस्तावित कहीं पत्थर (नीम खनिज) खदान है। खदान ग्राम-अछोली, तहसील व जिला-महासमुद्र स्थित खस्ता क्रमांक 1888, 1888/2, 1888/1, 1888/2, 1889, 1889, एवं 1889/1, कुल क्षेत्रफल-3 हेक्टेयर में अवस्थित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-20,118.35 घनमीटर (48,278.72 टन) प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ से प्राप्त दिनांक 18/10/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुधित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 493वीं बैठक दिनांक 28/10/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु बी अर्धित सोनी, प्रोपसाईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्सी, प्रस्तुत जानकारों का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्ण में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनुमति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत अछोली का दिनांक 24/03/2021 का अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** - काशी प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान एवं क्वॉरी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है जो संयुक्त-संचालक (स.प्र.), संचालनालय, सीमित तथा खनिज, नया राधपुर अटल नगर की वृ. आपन क्र 5040/खनि 02/रा.प.अनुसंधान/न.अ.02/2019(2) तथा राधपुर, दिनांक 31/07/2023 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुद्र के आपन क्रमांक 801/क/खनि/न.अ. 101/2021 महासमुद्र, दिनांक 11/08/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 34 खदानें, क्षेत्रफल 30.08 हेक्टेयर है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि विभाग द्वारा क्लस्टर सर्टिफिकेट जारी करने एवं आपने समस्त आवेदन के पश्चात् टी.ओ.आर. प्राप्त करने एवं ड्रॉफ्ट ई.आई.ए. जमा करने तक 8-9 माह व्यतीत हो जा रहे हैं और इस बीच में आवेदित क्लस्टर क्षेत्र में या तो कुछ नवीन खदानों के लिए आसय पत्र जारी हो जाता है या फिर कुछ खदानों का पट्टा अवधि समाप्त हो जाता है या शासन/प्रशासन द्वारा खदान निरस्त कर दी जाती है। इस कारण से ड्रॉफ्ट ई.आई.ए. जमा करते समय क्लस्टर क्षेत्र का खम्बा परिवर्तित हो चुका होता है। अतः उपरोक्त कारणों से ड्रॉफ्ट ई.आई.ए. जमा करने से पूर्व खनिज विभाग से अद्यतन क्लस्टर सर्टिफिकेट प्राप्त कर अद्यतन क्लस्टर का खम्बा को ड्रॉफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट अवलंबित कली हुये क्लस्टर के किसी भी एक खदान के लिए आसय जारी अद्यतन सर्टिफिकेट संलग्न करते हुये ड्रॉफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट जमा कराये जाने हेतु निर्दिष्ट अवधिगत टी.ओ.आर. की शर्तों में सम्मिलित करने का अनुरोध है। उक्त में जिससे समिति सहमत हुई।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुद्र के आपन क्रमांक 801/क/खनि/न.अ. 101/2021 महासमुद्र, दिनांक 11/08/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे रोड, पुल, पैल लाईन्, नहर, बांध, एनीकट, मकान, स्कूल, हॉस्पिटल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मस्जिद, वाणिज्यिक स्थल आदि प्रतीक्षित क्षेत्र निर्मित नहीं है। तालाब 50 मीटर की दूरी में अवस्थित है।
6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** - एल.ओ.आई. की अधिा सोनी के नाम पर है जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुद्र के आपन क्रमांक 448/क/खनि/रा.प./न.अ. 101/2021 महासमुद्र, दिनांक 08/08/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी शर्तों जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
7. **वृ-स्वामित्व** - वृनि सीमती अनिता सोनी के नाम पर है। उत्खनन हेतु वृ-स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत की गई है।
8. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **वन विभाग का अनाधिकृत प्रमाण पत्र** - कार्यालय वन्यजन्तुसंरक्षक, सामान्य वनमंडल, जिला-महासमुद्र के आपन क्रमांक/वा.वि./833 महासमुद्र, दिनांक 08/02/2023 से जारी अनाधिकृत प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 12 कि.मी दूर है।

10. महाकपूर्व संरचनाओं की दूरी - निकटतम आसानी घाम-आसानी 270 मीटर, फूल घाम-आसानी 340 मीटर एवं अस्पताल आसानी 10.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.8 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 18.8 कि.मी. दूर है। महानदी 2.4 कि.मी., कोइल नाला 760 कि.मी., तालाब 50 मीटर, नहर 1.85 मीटर एवं बांध 12.4 कि.मी. दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, सेंट्रील प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्लिष्टकली पीलुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबन्धित किया है।
12. खनन खंडा एवं खनन का विवरण - जिपसोसॉडिकल रिजर्व 10,80,000 टन, साईनेबल रिजर्व 5,85,188 टन एवं निकारबल रिजर्व 5,85,428 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबन्धित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8,500 वर्गमीटर है। औपम कल्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.2 मीटर है तथा कुल मात्रा 4,700 घनमीटर एवं ओवर बर्न की मोटाई 2.8 मीटर है तथा कुल मात्रा 86,800 घनमीटर है। बीच की मोटाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 12 वर्ष है। लीज क्षेत्र में खनन स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। स्टोन कल्ट का उपयोग किया जाएगा। खदान में वानु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का पिछकाव किया जाएगा। वर्षावार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	48,222.00
द्वितीय	48,153.80
तृतीय	48,187.80
चतुर्थ	48,105.72
पंचम	48,276.72

13. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरोवेल के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबद् सेंट्रल घासभूट वल्टर अथॉरिटी का अनुमति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है।
14. वृक्षारोपण कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,200 नम वृक्षारोपण किया जाएगा।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन - लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
16. वीर माईनिंग क्षेत्र - लीज क्षेत्र में 170 वर्गमीटर क्षेत्र को संकीर्ण क्षेत्र होने के कारण से वीर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

17. माननीय एन.जी.टी., डिभिजल बेच, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च पारम्परिक विस्मय माला सलकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अपरिष्कृत एमिनेन्स नं. 188 डीओ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्त उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्देश किया गया—

1. कार्यालय ब्लेकटर (खनिज साखा), जिला-महासुन्द के दायन क्रमांक 801/क/खलि/न.अ. 181/2021 महासुन्द, दिनांक 11/08/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 34 खदानें, क्षेत्रफल 33.08 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-अडोली) का रकबा 3 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-अडोली) को मिलाकर कुल रकबा 33.08 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर से अधिक का क्षेत्रफल निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की गयी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्त उपरोक्त सर्वसम्मति से प्रकल्प 'बी1' श्रेणी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रकाशित स्टैम्डर्ड टर्म्स डीओ रिजर्विस (टीओआर) पर ई.आई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट कोर प्रोजेक्टर/एक्टिविटीज निष्ठापरिण इन्फार्मेट क्लीयरेंस अन्धर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैम्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नीचे डील ग्राइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई—

- i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- iii. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating all the mines included in cluster.
- iv. Project proponent shall submit top soil management plan and over burden management plan & incorporate the details in the EIA report.

- v. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
- vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- vii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- viii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
- ix. EIA study shall be done at minimum 10 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- x. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
- xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xv. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.
- xvi. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xvii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the

plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आर्.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आइटम क्रमांक-3: अजय नदीद्वय की अनुपति से अन्य विषय।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 482वीं, 483वीं एवं 484वीं बैठक क्रमांक: दिनांक 23/08/2023, 24/08/2023 एवं 25/08/2023 को संपन्न हुई थी। समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त बैठकों के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन दिनांक 17/10/2023 को किया गया।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।



(अनंद कुमार मिश्रा)

सदस्य समिति

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़



(डॉ. बी.पी. मिश्रा)

अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

सैतली बरबसापुर सेंद्रा माईन (सी - बी लिमिटेड लिमिटेड)
की पार्ट ऑफ खाना क्रमांक 584, कुल क्षेत्रफल - 8 हेक्टेयर में क्षेत्र का कुल 60 प्रतिशत
क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन, राम-बरबसापुर, तहसील-नवागढ़, जिला-जंजलीर-राय
(उ.प्र.) में हस्तक्षेप नदी से रेत उत्खनन क्षमता 45,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित
पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन ही जा रही है। अतः इन शर्तों को
सतत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति खनन पट्टे के निष्काशन की तारीख से पांच वर्ष तक की
अवधि हेतु वैध होगी।
2. सस्टेनेबल सेंद्रा माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाइन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining
Management Guidelines 2016) एवं इंफोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाइन्स
फॉर सेंद्रा माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand
Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
3. इंफोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाइन्स फॉर सेंद्रा माईनिंग, 2020 (Enforcement
& Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन
कराई किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. नए उत्खनन (मिलिटेशन स्टडी) रिपोर्ट - परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में
आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत माद अध्ययन (Disturbance Study) करायेगा, ताकि रेत को
पुनर्स्थापन (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीछोर,
स्थानीय जनसंपत्ति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के किनारे की पुनर्वस्था
पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त स्टडी रिपोर्ट की
प्रति जिला स्तरीय अधिकारी एवं एस.ई.आई.ए.ए., उ.प्र. में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत
की जाएगी। उक्त स्टडी रिपोर्ट के आधार पर ही आगामी उत्खनन की मात्रा एवं
उत्खनन की अवधि प्रभावित होगी।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज
खानक का नाम, खदान का क्षेत्रफल अक्षांश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा,
स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
6. लीज क्षेत्र के घाटों किनारे तथा सीमा लाईन के नजद में सीमेंट की खुम्बे गड़ाना
आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी से स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
7. यदि खदान स्तरीय विभाग द्वारा अधिसूचित किसी कलक्टर में है, अथवा 500 मीटर
के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो
पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
8. माईनिंग प्लान अनुसार रेत उत्खनन क्षेत्र 8 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल को
अधिक नहीं होगा। क्षेत्र 40 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा। रेत का
उत्खनन सतह से 1.5 मीटर गहराई तक ही किया जाएगा, उससे अधिक नहीं।
इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 45,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से
अधिक नहीं होगा।
9. वातावरण एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 28/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा
माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित करावे जाने
हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विरोधक निपुणा करना होगा।

10. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का माप कर, उससे आगेकी सतहों पर एच.ई.आई.ए. ए. प्रतीसंग्रह को प्रस्तुत किया जाये। पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं विभिन्न बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरोक्त मानसून के पूर्व (जुई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं विभिन्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) से मापन का कार्य आगामी 5 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आगेकी अगस्त 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री-मानसून के आगेकी अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एच.ई.आई.ए. प्रतीसंग्रह को प्रस्तुत किए जाने।
11. रेत की खुदाई एवं भराई मशीनों द्वारा (Mechanically) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण समंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। निम्न बंध में भारी बहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) में लॉडिंग प्लॉट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।
12. रेत का उत्खनन केवल किन्हीं, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई सतह से 1.5 मीटर अथवा अधिकांश जल स्तर की उपरी सतह से 1 मीटर छोड़कर दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हाई रीक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।
13. रेत उत्खनन नदी तटी से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई से 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटी का क्षय न हो। किसी भी पुलिया, स्टापिंग, बंध, एरीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं के संचालन के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।
14. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी तल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्तर पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
15. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उनी क्षेत्र में किया जाए जिनमें तथा जिसके आस-पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयाँ / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।
16. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय (सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य) ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए। रात्रि में उत्खनन करना पाबंद करने की स्थिति में अथवा उत्खनन माना जाएगा तथा परिवहन प्रस्तावक के विरुद्ध विधानानुसार कार्यवाही की जायेगी। पर्यावरणीय सौकरिता निरस्त भी की जा सकेगी।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रयत्नों तथा सोडिंग / ड्रिलिंग आदि से उत्पन्न होने वाले कण्डुमिटिब डास्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, नवाचार, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
18. रेत का परिवहन टारगोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से इसके तुरंत बंदन से किया जाए, ताकि रेत बहने से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कम रहे वाहनों की क्षमता से अधिक नहीं भर जाना सुनिश्चित किया जाए।
19. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
20. प्राथमिकता के आधार पर खदान इन्वेंशन द्वारा वर्ष 2023-24 में नवीकृत के कटार को रोकने हेतु लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, रोपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1,000 नम पीछी का रोपण नदी तट पर रोपित किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (ज्या कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 6 फीट से 8 फीट लंबाई वाले पीछी का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पीछी की सुरक्षा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने संबंधी आशय का सख्य पत्र प्रस्तुत किया जाए। रोपित पीछी की सुरक्षा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परियोजना प्रस्तावक का रहेगा।
21. रोपित किये जाने वाले पीछी में संख्यांकन (Numbering) एवं पीछी के नाम का उल्लेख करते हुए फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्थात्वारिक रिपोर्ट में सख्य जमा करें। ऐसा नहीं करने पर पर्यावरण क्षीयति निरस्त की जा सकेगी।
22. वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुए मृत पीछी को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
23. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ अर्थात्वारिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए प्रतीकपत्र पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए. अर्थात्वारिक को प्रेषित किया जाए।
24. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
43	2%	0.86	Following activities at Village-Karna	
			Plantation at Village Pond	1.02
			Total	1.82

25. सी.ई.ओ. के तहत निर्धारित कार्यवाही 08 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.ओ. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरोक्त संबंधित घाम संघघटा से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अवैधानिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.ओ. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना अपना उत्तरदायित्व होगा। कुशलरोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जायेगी।
26. सी.ई.ओ. के अंतर्गत तात्काल के घाटी और कुशलरोपण (आम, कटहल, जामुन) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल कुल 08 नग जिलों से 10 नग वृक्ष पूर्व से तात्काल के घाटी और अस्तित्वात है। वीथ 02 नग घेटी के लिए रशि 5,000 रूपये, पौंसिंग के लिए रशि 7,500 रूपये, खाट के लिए रशि 2,000 रूपये, सिंचाई तथा रस-रखाव आदि के लिए रशि 20,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल रशि 34,500 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल रशि 68,000 रूपये हेतु घटकरुवन वय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा घाम संघघटा कर्ना के सहमति उपरोक्त सखवीय स्थान (खसरा क्रमांक 292, क्षेत्रफल 0.583 हेक्टर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
27. सी.ई.ओ. एवं कुशलरोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, घाम संघघटा के पर्यवेक्षारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या प्रत्तीसखद पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पर्यवेक्षारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.ओ. एवं कुशलरोपण का कार्य पूर्ण करने के उपरंत गठित त्रि-पक्षीय समिति से समाहित कराया जाए।
28. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/खोम/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.ओ. के तहत आन्की द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना आन्की जिम्मेवारी होगी।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.ओ. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
30. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विधानी, मण्डली एवं अन्य संस्थानी से रेल उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतिमां प्राप्त करेमा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण निरोधक तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण निरोधन बोर्ड / प्रत्तीसखद पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
31. प्रत्तीसखद वीथ खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेल उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2008 के प्रावधानों/शर्तों एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
32. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग भविक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे भविकों के आवास की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवश्यक व्यवस्था असहायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
33. भविकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल विकिवासनीय सुविधा, शौचालय टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में गल मृद विखर्जन, अव्यथा खास समरी के पैकेट, प्लॉमिटिक आदि का विखर्जन प्रतिबंधित रहेना। नदी एवं नदी जल की स्वच्छता का ध्यान रखा जाये।

34. विधियों का समय-समय पर आकस्मिकतात्मक होकर समीक्षा किया जाये।
35. जलधनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित जलधनन योजना के अनुक्रम वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
36. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आदेश किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार बसाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी किसी सम्पत्ति को मुक्तान चर्चाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अधिग्रहण अथवा केंद्र, राज्य एवं स्थानीय समुदाय / विधियों के पालन हेतु अधिकृत करता है।
37. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की सफेद में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन समय से चलान न करने की दृष्टि से किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
38. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आदेश की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को सहाय पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ व्यापक शर्तों सहित सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में उपलब्ध हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.esea.nic.in पर भी किया जा सकता है।
39. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के चलान हेतु की गई कार्रवाहों की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के चलान की मॉनिटरिंग की जाएगी।
40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर/केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पड़े जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
41. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। वे शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाई गई विधियों, परिसंरक्षण अधिनियम (अव्ययन हवापान एवं सीमापार संरक्षण) नियम, 2008 (यथा

संशोधित) तथा लोक सचिवों द्वारा अधिनियम, 1991 (पछा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

42. प्रास्तावित परिवर्तन के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में जसतुत विवरण में कोई भी विवरण अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने का मत निर्णय ले सके। प्रधान में कोई भी विवरण अथवा प्रस्ताव एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
43. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-स्तर एवं राष्ट्रीय केन्द्र एवं डायरेक्टर/सहसचिव कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेंगे।
44. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल वीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल वीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रास्ताविक अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।


सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.


अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

10. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित दिग्दिशुओं पर नदी में रेत की सतह के सारों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ों का तालिका एन.ई.आई.ए.ए. प्रतीसंग्रह को प्रस्तुत किया जाये। दोस्त-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं दिग्दिशुओं में सर्वेक्षण लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के सारों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित दिग्दिशुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरोक्त मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं दिग्दिशुओं पर रेत सतह के लेवल (Levels) का सर्वेक्षण किया जायेगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित दिग्दिशुओं पर रेत सतह के लेवल (Levels) के सर्वेक्षण का कार्य अगामी 5 वर्ष तक निरंतर किया जायेगा। दोस्त-मानसून के आंकड़ों दिसम्बर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री-मानसून के आंकड़ों अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एन.ई.आई.ए.ए. प्रतीसंग्रह को प्रस्तुत किए जायेंगे।
11. रेत की खुदाई एवं भरवाई क्षतिग्रस्त जला (Marshall) की जायेगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण यंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जायेगा। शिखर क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्लॉट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रेलरों द्वारा किया जायेगा।
12. रेत का उत्खनन केवल निर्धारित, सीमांकित एवं परिमित क्षेत्र में ही किया जायेगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई सतह से 1.5 मीटर अधिक नहीं माना जायेगा और ऊपरी सतह से 1 मीटर छोड़कर दोनो में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जायेगा। न्यूनतम 2 मीटर गहराई तक की रेत नदी तल (हार्ड टीक) को उत्तर छोड़ा जाना आवश्यक है।
13. रेत उत्खनन नदी तटी से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जायेगा, ताकि नदी तटी का क्षय न हो। किसी भी पुलिस, स्टाफरूम, बांध, एनीकर, जल प्रदाय यंत्रणा एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।
14. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल सहाय के स्तर पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
15. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल लसी क्षेत्र में किया जाए जिससे तथा जिसके आस-पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इन्ड्यूसी / बोनी का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।
16. रेत उत्खनन एवं भरवाई / परिवहन दिग्दिशुओं के समय (सूर्योदय और सूर्यास्त के समय) ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए। रात्रि में उत्खनन करना पाबंद करने की स्थिति में अतिरिक्त उत्खनन माना जायेगा तथा परियोजना प्रस्तावक को विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त भी की जा सकेगी।

ME

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रकारों का स्टोकिंग / अपलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले कम्यूनिटीव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त कठु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता माना सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
18. रेत का परिवहन लायसेंस अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से करके हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों की संख्या से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
19. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
20. प्रभावितता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु सीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, कर्ज, लीसू, आम, इमली, नीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1,000 नग पौधों का रोपण नदी तट पर रोपित किया जाए। रोपण को सुदृष्टि रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त ब्याख्या (यथा कंटेनर टार की बड़ का उपयोग) किया जाए। 5 फीट से 8 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त कुलरोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का परतन्वयित्व लेने संबंधी आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का परतन्वयित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा।
21. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधों के नाम का चस्मांक कर्ते हुये फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्थात्क रिपोर्ट को तैयार जमा करें। ऐसा नहीं करने पर पर्यावरण खीकृति निरस्त की जा सकेगी।
22. कुलरोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक सुनिश्चित कर्ते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
23. किये गये कुलरोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ अर्थात्क रिपोर्ट में समाहित कर्ते हुये छलीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छलीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
24. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार जताते पर कार्य पर्यावरण प्रकलन योजना के अंतर्गत किया जाए—

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
52.87	2%	1.05	Following activities at Village- Kudari	
			Plantation at Village Pond	1.30
			Total	1.30

25. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 08 महीने में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरोक्त संबंधित ग्राम संघों या सी.ई.आर. के कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त वन आर्थनमिक रिपोर्ट में सम्मिलित करके द्रुप प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आवश्यक उत्तरदायित्व होगा। कृषारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।
26. सी.ई.आर. के अंतर्गत ताजाब की चारों ओर कृषारोपण (आम, कटहल, जामुन) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल कुल 70 नम विराम से 20 नम कृष पूर्ण से ताजाब की चारों ओर अवस्थित है। तथा 50 नम चौरों के लिए राशि 5,000 रुपये, बसिंग के लिए राशि 7,500 रुपये, सड़क के लिए राशि 2,500 रुपये, सिंचाई तथा सब-काल्ड आदि के लिए राशि 28,000 रुपये इस प्रकार कुल राशि में कुल राशि 43,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 80,000 रुपये हेतु परकाल्ड व्यव का दिव्य प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम संघों या सुदरी के सहयोग उपरोक्त आवश्यक स्थान (कुलरा अंशक 87, क्षेत्रफल 1.449 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
27. सी.ई.आर. एवं कृषारोपण कार्य के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (ग्रामसदस्य/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या भारतीयसड़क पर्यावरण संस्थान मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं कृषारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरोक्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सम्मिलित कराया जाए।
28. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें खदान/चट्टान/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आनेके द्वारा कठवे गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना आगामी दिग्दर्शनी होगी।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति की निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
30. परियोजना प्रस्तावक सम्बंधित बंध / राज्य शासन के विधानों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेट उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतिया प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संस्थान हेतु समय-समय पर बंध/राज्य सरकार, वन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / भारतीयसड़क पर्यावरण संस्थान मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
31. भारतीयसड़क नीम खनिज निधन, 2015, राज्य शासन द्वारा रेट उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2008 के प्राधान्य/सर्तों एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
32. कार्य स्थल पर यदि कंमिन्व भूमिक कार्य पर सम्पाद जाते है तो ऐसे भूमिकों की आवस्य की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवश्यक व्यवस्था अवस्थानी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूर्ण होने के पश्चात हटाया जा सके।
33. भूमिकों के लिए खनन स्थल पर जलक वेपजल विविधस्वीय सुविधा, नोबाइल टायरेंट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में मल मूत्र विचारजन, अव्यय घात सामग्री के फैले, प्लास्टिक आदि का विसर्जन प्रतिबन्धित रहेगा। नदी एवं नदी जल की सफाया का ध्यान रखा जावे।

34. श्रमिकों का समय-समय पर आवश्यकताओं हेतु लक्षित किया जाये।
35. राजस्व की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उल्लेखन योजना के अनुसार वार्षिक योजना में किली के प्रकार का धनवर्ष 2017-18, 2018-19 / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
36. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किली व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किली निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा क्षेत्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
37. 2017-18, 2018-19 पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की स्वीकृति में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन रूप से पालन न करने की दृष्टि में किली को शर्तों में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्तों जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्कास के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रहता है।
38. परियोजना प्रस्तावक गृहणन 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हों, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को सख्त पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ आवश्यक शर्तों सहित पर्यावरण, 2017-18, 2018-19 पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय में उपलब्ध हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं 2017-18, 2018-19 पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय पर भी किया जा सकता है।
39. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर, बिलासपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, 2017-18 पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय, बिलासपुर, 2017-18, 2018-19 एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की निगरानी की जाएगी।
40. 2017-18, 2018-19 पर्यावरण संरक्षण, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/2017-18 पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संकेत में की जाने वाली निगरानी हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
41. परियोजना प्रस्तावक 2017-18 पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1984 का (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बंधन बंधन बंधन नियमों, परिसंरक्षण अधिनियम (उत्खनन हथालन एवं सीमायुक्त संरक्षण) नियम, 2008 (उत्खनन

संशोधित) तथा लोक सचिवों द्वारा अधिनियम, 1991 (द्वारा संशोधित) के अंशों
विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं।

42. प्रस्तावित परिशोधना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. उत्तीर्णता में प्रस्तुत विवरण में
कोई भी विवरण अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए. उत्तीर्णता को
पुनः नवीन जागरूकता सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए. उत्तीर्णता
इस पर विचार कर सर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन सर्तों विनिर्दिष्ट करने का
निर्णय ले सके। कठान में कोई भी विस्तार अथवा सुनवाई एस.ई.आई.ए.ए.
उत्तीर्णता / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई
दिल्ली की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
43. उत्तीर्णता पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उसके क्षेत्रीय
कार्यालय, जिला-स्तर एवं राष्ट्रीय केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में
30 दिवस की अवधि के अंदर प्रदर्शित करना।
44. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल वीन ट्रीब्यूनल के समक्ष नेशनल
वीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्राधान्यों अनुसार, 30 दिन की
समय अवधि में की जा सकती है।

सादर्य सुविधा, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

वेस्टर्न कोटनी सेन्ड माईनिंग (प्रे-बी आर, आंड्रसू, पनीराज)

जो सर्टी जीव संचारा क्रमांक 1, कुल क्षेत्रफल-5 हेक्टर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 20,888 घनमीटर क्षेत्र का बनने पर 2,86 हेक्टर क्षेत्र का कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन, डाम-कोटनी, तहसील व जिला-दुर्ग (छ.प्र.) में सिंचनाय से रेत उत्खनन क्रमांक 28,840 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली है।

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जाये तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति खनन पट्टे के निष्काशन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु वैध होगी।
2. सस्टेनेबल सेन्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाइन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इंफोर्समेंट एन्ड मॉनिटरिंग गाईडलाइन्स फॉर सेन्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
3. इंफोर्समेंट एन्ड मॉनिटरिंग गाईडलाइन्स फॉर सेन्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत 80 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. वाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट – परिशोधना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत वाद अध्ययन (Siltation Study) करावेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाध न हो सके, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय जनसमिति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के घनी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त स्टडी रिपोर्ट को प्रति जिला सचिव अखिलेश एवं एसईआईएए, छ.प्र. में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाएगी। उक्त स्टडी रिपोर्ट के अन्तर्गत पर ही आगामी उत्खनन की मात्रा एवं उत्खनन की अवधि प्रभावित होगी।
5. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा जीव क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (जीव क्षेत्र का नाम, खदान का क्षेत्रफल अवधि एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
6. जीव क्षेत्र के सारी कोने तथा सीमा लाइन के मध्य में सीमेंट के खम्भे पड़ाना आवश्यक है ताकि जीव क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
7. यदि खदान सचिव विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्वार्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
8. माईनिंग प्लान अनुसार वैध उत्खनन क्षेत्र 5 हेक्टर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। शेष 40 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा। रेत का उत्खनन सतह से 1.5 मीटर गहराई तक ही किया जाएगा, उससे अधिक नहीं। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 28,840 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
9. सनदीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 28/02/2021 के अनुसार स्टेटवार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परिशोधना प्रस्तावक को पर्यावरण विरोधक नियुक्त करना होगा।

10. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित विड बिन्दुओं पर नदी में रेत की मात्रा के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े तत्काल एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें। चैस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इसी विड बिन्दुओं में नाईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक एक एक खनन लीज के बाहर / नदी छूट (दोनी क्षेत्र) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी स्तर के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित विड बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरोक्त मानसून के पूर्व (पूर्व माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इसी विड बिन्दुओं पर रेत स्तर के लेवलस Levels का मापन किया जाएगा। रेत स्तर के पूर्व निर्धारित विड बिन्दुओं पर रेत स्तर के लेवलस Levels के मापन का कार्य आगामी 8 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। चैस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं वी-मानसून के आंकड़े जनवरी 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।
11. रेत की खुदाई एवं मटाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। निचर बेड में भारी बहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) में लैंडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।
12. रेत का उत्खनन केवल विन्-रीट, सीधकित एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई स्तर से 1.5 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी स्तर से 1 मीटर छोड़कर दोनी में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हाई रीक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।
13. रेत उत्खनन नदी तटी से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटी का क्षय न हो। किसी भी पुलिंग, स्टावियेन, बांध, एनीकर, जल प्रदाय पाइपला एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।
14. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, एरिथिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
15. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस-पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयाँ / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।
16. रेत उत्खनन एवं मटाई / परिवहन दिन के समय (सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य) ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए। रात्रि में उत्खनन करना पाबंद होने की स्थिति में अंधे उत्खनन माना जाएगा तथा परियोजना प्रस्तावक को विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त भी की जा सकती है।

17. परिवर्धन प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभावी तथा लीडिंग / अनलडिंग आदि से सम्बन्ध होने वाले अनुमिदित कस्ट उत्खनन के निर्वहन हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवर्धित वायु की नुकसान मात्रा सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, संजयपुर, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
18. रेत का परिवहन तात्कालिक अथवा अन्य उपयुक्त वाहन से कचे हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। घणित का परिवहन कर रहे वाहनों की संख्या से अधिक नहीं बना जाना सुनिश्चित किया जाए।
19. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
20. ग्रामिकाता की आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में नदीतट को कटाव को रोकने हेतु लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, कर्ज, सीसू, आम, इमली, चीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1,000 वन पौधों का रोपण नदी तट पर रोपित किया जाए। रोपण को सुनिश्चित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कॉन्ट्रोल बार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 5 फीट से 8 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षरोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने संबंधी आशय का सम्यक पत्र प्रस्तुत किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परिवर्धन प्रस्तावक का रहेगा।
21. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुए फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्थात्वारिक रिपोर्ट को साथ जमा करें। ऐसा नहीं करने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
22. वृक्षरोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक सुनिश्चित करना हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
23. किये गये वृक्षरोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ अर्थात्वारिक रिपोर्ट में समाहित करती हुये उत्तीर्णक पर्यावरण संरक्षण कण्डल एवं एन.ई.आई.ए.ए. उत्तीर्णक को प्रेषित किया जाए।
24. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रदान योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
27	2%	0.54	Following activities at Nearby, Village- Koni	
			Plantation Work at Govt. Land	5.22
			Total	5.22

25. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 08 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरोक्त संबंधित काम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्थात् कार्य रिपोर्ट में समाहित करती हुई प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। कुशासन असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जायेगी।
26. सी.ई.आर. के अंतर्गत कुशासन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 550 नए पीछे के रोपण किया जाएगा। कुशासन हेतु (जामुन, जामुन एवं कटहल) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 550 नए पीछे के लिए राशि 27,500 रुपये, पीछे के लिए राशि 98,200 रुपये, खाद के लिए राशि 5,500 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 71,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,00,250 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 3,22,500 रुपये हेतु पर्याप्त आवक का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परिषोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत कोटनी के अंतर्गत कुशासन (खसरा क्रमांक 173, कुल रकम 18.10 हेक्टेयर में से 1 हेक्टेयर) के संस्था में जानकारी प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
27. सी.ई.आर. एवं कुशासन कार्य के निरीक्षण एवं परीक्षण हेतु वि-क्षेत्र समिति (डीपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन का प्रतीक पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं कुशासन का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरोक्त गठित वि-क्षेत्र समिति से सहायित कराया जाए।
28. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें खदान/खोम/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण की अनिवार्य रूप से करना आपकी जिम्मेदारी होगी।
29. परिषोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं चाहे जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति की निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
30. परिषोजना प्रस्तावक संबंधित खेन्ड / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेल उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतिपत्र प्राप्त करेगा। परिषोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर खेन्ड/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / प्रतीक पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
31. प्रतीक पर्यावरण नीति अधिनियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेल उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2008 के प्रावधानों/सर्तों एवं अनुबंध जारी दिनांक निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
32. कार्य स्थल पर यदि केंद्रिय अधिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे स्थलों के आवास की उचित व्यवस्था परिषोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवश्यक अस्थायी संरचनाओं के रूप में ही सखती है, जिसे परिषोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

33. भूमिगतों को लिए खनन स्थल पर सख्त पेशजल विनियमकीय सुविधा, सोसाइटी टायलेंट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में पल वृक्ष विह्वलन, अथवा खारा सफाई के पैकेट, प्लास्टिक आदि का विह्वलन प्रतिबंधित होगा। नदी एवं नदी जल की स्वच्छता का ध्यान रखा जाये।
34. भूमिगतों का समय-समय पर आवृत्तमानत होना सुनिश्चित कराया जाये।
35. उत्खनन की तकनीक, उपर्युक्त क्षेत्र एवं अनुसंधित उत्खनन योजना के अनुसार वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एल.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
36. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आग्रह किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा वेन्ड, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
37. एल.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की स्वच्छता में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्खनन / निष्काय के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।
38. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र से आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने से 7 दिनों के भीतर इस आग्रह की सूचना प्रसारित करने का विनिर्दिष्टता को सतर्क पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियों आवश्यक शर्तों सहित सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में उपलब्ध हेतु उपलब्ध है। साथ ही इच्छा अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं एल.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivash.nic.in पर भी किया जा सकता है।
39. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्रवाई की कई वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई-दुर्ग, एल.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को भेजित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की निगरानी की जाएगी।
40. एल.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के ईअनिकी/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली निगरानी हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती।
41. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। वे शर्तें जल प्रदूषण नियंत्रण तथा

नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वामु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंरक्षण अधिनियम (उद्योग हवालान एवं सीमापार संयंत्र) नियम, 2008 (एक संशोधित) तथा लोक समित्त नीम अधिनियम, 1987 (एक संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

42. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एम.ई.आई.ए.ए. प्रतीसागढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विवरण अथवा परिवर्तन होने की वस्त में एम.ई.आई.ए.ए. प्रतीसागढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एम.ई.आई.ए.ए. प्रतीसागढ़ इस पर विचार कर सती की अनुमतिता अथवा नवीन हत विनिर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। अतः में कोई भी विस्तार अथवा उन्मूलन एम.ई.आई.ए.ए. प्रतीसागढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलसमु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
43. प्रतीसागढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केंद्र एवं कलेक्टर/सहसंयोजक कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
44. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील मंत्राल कीन ट्रीब्यूनल के समक्ष मंत्राल कीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।


सदस्य सचिव, एम.ई.ए.सी.


-अध्यक्ष, एम.ई.ए.सी.

नेसर्त मुड़ेना फलेन स्टीन क्वारी (जे - सी अडिबेक सोनी)
को खतरा क्रमांक 111/1, कुल जीज क्षेत्र 0.45 हेक्टर, ग्राम-मुड़ेना, तहसील व
जिला-महाकनुद में कहीं पाथर (ग्रीन खनिज) उत्खनन - 800 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु
पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (जीज क्षेत्र) 0.45 हेक्टर अथवा फलोसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत जीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से कहीं पाथर का अधिकतम उत्खनन 800 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। जीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के नुनारे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की क्लेरा भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, नवालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 (जका संशोधित) के प्रावधानों को तहत रहेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (जीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल आकृत एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. क्लेरा हेतु प्रस्ताव कोमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षांतपन एवं परिष्कन सहस्रों एवं खदान से परिष्कन सहक तक पहुंच शर्तों के संयोजन का कार्य 8 माह में पूर्ण किया जाए।
5. क्लेरा हेतु क्लेरा ई.आई.ए. रिपोर्ट में जिन शर्तों पर नॉनितरिंग कार्य किया गया है, उक्त शर्तों पर प्रतिमाह नॉनितरिंग कार्य (वायु, जल तथा मिट्टी) किया जाए। नॉनितरिंग रिपोर्ट फलोसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय फलोसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर, एच.आई.आई.ए., फलोसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन नवालय, नया राधपुर अटल नगर को अर्धवार्षिक (Half yearly Monitoring Report) प्रेषित की जाए।
6. राष्ट्रीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 28/02/2021 के अनुसार पट्टेदान द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विरोधक निवृत्त करना है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (पवि कोई हो) के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
8. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार के दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अतः इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षांतपन हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोलरपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल अयस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन

और जलवायु परिवर्तन, मंडलम, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

9. खनि चट्टा खनक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खान क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रॉसिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनरुत्थान इस विधि तक किया जाएगा, जिससे यह चरा, वनस्पतियाँ, जीवों आदि के उपरांत हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा मध्य प्रधिकारी से अनुमोदित बाईन कालेजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
10. भू-जल के उपयोग हेतु केंद्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्रोत से जल का उपयोग किया जाने की विधि में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
11. किसी किनारे / बेंट / पाईट सोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सक्वान घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। इससे, स्टीन, ट्रांसकर पाइप्लस (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्स्ट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दबाव का वेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न पर्यावरण डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं निश्चित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संवहन क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कलेक्शन कम संवेग सिस्टम एवं जल सिंक्रलन की व्यवस्था की जाकर इसका उच्च संवहन / संवहन सुनिश्चित किया जाए। विश्व बैंकिंग बोल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
12. बाहरी, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1987 के तहत निर्धारित मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंडलम, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान के चारों तरफ बॉरिंग का कार्य किया जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।
14. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोटी नई 7.5 मीटर की चौड़ी चट्टी में कोई वेस्ट का ढेर / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस चट्टी में कुआरेशन किया जाए। ऐसा करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति किसी भी समय तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकती।
15. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई अपनी मिट्टी (टीन सीईज) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः पट्टन हेतु अथवा बाहरी औद्योगिक क्षेत्र स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए।
16. खपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भण्डारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुुरुपयोग, विनाश एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनःस्थापन के लिए किया जाए।
17. औद्योगिक एवं अनुसंधानी/विज्ञान अध्येत्य खनिज (बिल्ट सीक) को पृथक से पूर्व से निर्धारित स्थान पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावे ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर

निर्धारित प्रभाव न डाल सके। डम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लॉप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरलैंडिंग डम्प का कल्प लेकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से कूड़ाचोरण किया जाए।

18. जहाँ तक संभव हो ओवरलैंडिंग एवं अन्य अनुपयोगी/बिड़ी अवशेष खनिज (विस्त क्षेत्र) को खनन के परभाव को गहरी से पुनर्गठन (रिक विजिलि) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिस्ट लीज क्षेत्र के आम-पस के सखी जल स्त्रोतों में प्रदूषित न हो। इसे रोकने हेतु गार्डन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटैनिंग वॉल / गारलैन्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
20. खनिज का परिवहन कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को समय से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
21. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य स्वयंसेवक संघों योजना को अंतर्गत किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at Village- Mudhena	
			Pavitra Van Kirman	0.60
			Total	0.60

22. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 08 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यो के कार्य पूर्ण उपरान्त संबंधित काम पंदायात से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अवधिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आसका उत्तरदायित्व होगा। कूड़ाचोरण अक्षरत होने पर स्वयंसेवक स्वीकृति निरस्त की जायेगी।
23. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (खानला, करेज, नीम, आम, जामुन, कदम आदि) कूड़ाचोरण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नम पीछो के लिए रशि 11,200 रुपये, पीरिन के लिए रशि 60,000 रुपये, खाद के लिए रशि 1,500 रुपये, सिंचाई के लिए रशि 1,20,000 रुपये तथा रखा-रखाव के लिए रशि 60,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल रशि 2,52,700 रुपये तथा अगामी 4 वर्ष में कुल रशि 7,28,080 रुपये हेतु घटककार बाय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा काम पंदायात मुद्देना के सतमति उपरान्त कूड़ाचोरण स्थान (विस्त क्षेत्र 427, क्षेत्रफल 1.57 हेक्टेयर में से 0.12 हेक्टेयर) को संरक्षित प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
24. सी.ई.आर. अधीन इन्फ्रास्ट्रक्चरल मेनेजमेंट प्लान, अधीन इन्फ्रास्ट्रक्चरल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं कूड़ाचोरण

101

कार्य के नीतिगत एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (जोमसाईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या जिल्लासमगड पर्यवेक्षण संस्थान मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परिचोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं कूचरोपण का कार्य पूर्ण विधि जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

25. जब भी निर्धारण दल/अधिकारी निर्धारण हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें खदान/खोद/भट्टा के निर्धारण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आवकें प्राप्त करने वाले कार्यों का निर्धारण भी अनिवार्य रूप से करना आवसी जिम्मेदारी होगी।

26. उत्खनन हेतु निर्दिष्ट क्षेत्र (जहाँ तलक 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), डील रोड, ओवरलैंडिंग कम आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,200 नम नुकी का सघन कूचरोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। उचित पट्टी का विकास संघीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

27. प्रारंभिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में कम से कम 200 नम प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, कपज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, लीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 100 नम पीछे का रोपण (कुल 400 नम पीछे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त सावधानी (ज्या कॉन्ट्रोलर कार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा विन्दीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार कूचरोपण किया जाए। उपरोक्त कूचरोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए एवं रोप 4 वर्ष तक रख-रखाव किया जाए। 5 फीट से 8 फीट ऊंचाई वाले पीछे का ही रोपण किया जाए। कूचरोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तात्काल निरस्त की जा सकती है।

28. रोपित विन्दे जाने वाले पीछे में संख्यांकन (Numbering) एवं पीछे के नाम का उल्लेख करते हुए डिप्लोम (Diploma) फोटोग्राफस सहित जानकारी प्राप्त प्रतिवेदन के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।

29. मार्किंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन कूचरोपण विन्दे जाने एवं रोपित पीछे का सत्यापन रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कूचरोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुए नए पीछे को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। इसके द्वारा रोपित पीछे के कूचरोपण को सफल बनाना आवसी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

30. विन्दे गये कूचरोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफस ऑथॉरिजिड रिपोर्ट में सम्मिलित करते हुए जिल्लासमगड पर्यवेक्षण संस्थान मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए. जिल्लासमगड को प्रेषित किया जाए।

31. परिचोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य, सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य एवं लोक सुनवाई में दिये गये आश्वासन के अनुसार कार्य करना, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परिचोजना प्रस्तावक की सहभागिता के कार्य करना नहीं गये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

32. परिचोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले

शमिकों को इवेंट्स/काफे आदि प्रदान किए जाएं एवं काफे-समय पर विद्विन्सकीय जीव एवं आवागमन अनुसार उन्मुख उपचार भी कराया जाए।

33. उत्खनन प्रक्रिया मू-जल सार के उपर असंतुल प्रभाव में ली जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया मू-जल सार के नीचे किली भी परिवर्तित में नहीं किया जाए।
34. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि जनसंघर्षी एवं जीव-जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक जनसंघर्षी एवं जीव-जन्तुओं का सामुचित संरक्षण अवकाश वाधित होगा।
35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रीन खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ ग्रीन खनिज नियम, 2015 के प्राधान्य, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्राधान्य का पालन किया जाए।
36. कोई स्थल पर यदि खनिज शमिक कार्य पर लगाने जाते हैं तो ऐसे शमिकों के आवास एवं सुखा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
37. शमिकों के लिए खनन स्थल पर राख पंपजल विद्विन्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेंट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
38. शमिकों का समय-समय पर अल्पसंख्यक हेतु सर्वेक्षण करना आवश्यक है।
39. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अधिष्ठित समितित है, में विनी में प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / कार्यालय, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
40. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा वेन्ड, टाक एवं स्थानीय कानूनी / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
41. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की स्वरक्षा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोष्य रूप से पालन न करने की दृष्टा में किली भी शर्तों में संतोष्य/निरस्त करने अथवा नई शर्तों जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्कास के मानकों को और कड़ा करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
42. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास अवकाश रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivash.nic.in पर भी किया जा सकता है।
43. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।
44. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदात शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग

की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

45. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के निदेशिका/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संघ में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाने जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
46. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये विभिन्न परिसंरक्षण और अन्य अधिनियम (अन्य एवं सीमांचल संघर्ष) नियम, 2010 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा लागू) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं।
47. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत किये गए शर्तों की विफलता अथवा परिवर्तन होने की वजह से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की सम्पुलता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने कायम निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विफलता अथवा उल्लंघन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
48. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-आधार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
49. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

पैदाई मुईना फ्लैम स्टीन काईमिंग प्रोजेक्ट (पी- सी सरोज कुमार साहू)
की तबतत अनांक 333/1, कुल लीज क्षेत्र 0.22 हेक्टर, ग्राम-मुईना, तहसील व
जिला-महासमुद में फर्ती पत्थर (लीज काईमिंग) उत्खनन - 720 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु
पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जाये तथा सड़ाई से बालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 0.22 हेक्टर अथवा उत्तीरगढ़ बाबाग, खनिज सारन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होना। इसी प्रकार खदान से फर्ती पत्थर का अधिकतम उत्खनन 720 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के गुनारे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नॉटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल अथवा एवं वेगालर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. कलक्टर हेतु प्रस्तुत कौशल इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान के अनुसार कुआरौपण एवं परिबहन सड़कों एवं खदान से परिबहन सड़क तक पहुँच मार्गों के संवर्धन का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
5. कलक्टर हेतु लीज ई.आई.ए. रिपोर्ट में जिन स्थलों पर मॉनिटरिंग कार्य किया गया है, उक्त स्थलों पर प्रतिमाह मॉनिटरिंग कार्य (वायु, जल तथा मिट्टी) किया जाए। मॉनिटरिंग रिपोर्ट उत्तीरगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तीरगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर, एस.ई.आई.ए.ए., उत्तीरगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया राष्ट्रीय अटल नगर को अर्धवार्षिक (Half yearly Monitoring Report) प्रेषित की जाए।
6. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 28/02/2021 के अनुसार नदरदेवा द्वारा काईमिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का बालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विरोधक निरुद्ध करना है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो) के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
8. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सराही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्कारित नहीं किया जाए, अतः इसे प्रक्रिया में अथवा कुआरौपण हेतु पुनः उपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोलरीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सराही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्कारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल अभाव में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन

और जलवायु परिवर्तन, मंडलम, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक जलवायु परिवर्तन पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

9. खनि चट्टा धारक खान संवर्धन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खान क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रोथिंग (re-vegetation) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह खान, वनस्पतियाँ, जीवी आदि के उपयोग हेतु उपयुक्त हो। परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा सक्षम अधिकारी से अनुमोदित नईन कन्सिडर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
10. भू-जल के उपयोग हेतु केंद्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य राज्यों में जल का उपयोग किन्हे जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
11. किसी किनारी / बेट / प्वाइंट गार्ड से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिजीग्राम / सामान्य घण्टीदार से कम सुनिश्चित किया जाए। इससे, खनि, इससेक्युलर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु इस्ट एक्सटेंशन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्तरों से उत्पन्न पर्याप्त इस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पट्टेय मार्ग, रैम्प, संवहन क्षेत्र, भराई एवं अन्य इस्ट उत्सर्जन किन्डों इस्ट कंटेनमेंट कम संरक्षित सिस्टम एवं जल सिंक्रेशन की व्यवस्था की जाकर इसका सख्त संवहन / संवहन सुनिश्चित किया जाए। किन्हे बेकिंग वील का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
12. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1986 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवर्तनीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंडलम, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ बर्रिअर का कार्य किन्हे जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।
14. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोटी नई 7.5 मीटर की चौड़ी चट्टी में कोई वेस्ट का अंश / मसखरन नहीं किया जाए तथा इस चट्टी में वृक्षारोपण किया जाए। ऐसा करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय जीवकृति किसी भी समय तत्काल प्रभाव से निरास की जा सकेगी।
15. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हवाई नई अपनी मिट्टी (टीप लैंडिंग) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अपना बाहरी ओवरलैंडिंग को स्थिर (स्टैबिलाइज) करने में किया जाए।
16. कपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुसुपयोग, विक्रय एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनःस्थापन के लिए किया जाए।
17. ओवरलैंडिंग एवं अनुपयोगी/शिथिल आयोग्य खनिज (लिस्ट रोक) को पृथक से पूर्व से विनिर्दिष्ट स्थान पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावे ताकि भण्डारित पदार्थ अम्ल-पानी की भूमि पर

निर्धारित प्रमाण न प्राप्त करें। डम्प की लंबाई 3 मीटर तथा चौड़ाई 28 मीटर से अधिक न हो। जीवसूचक डम्प का हलन रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से क्लोरिफेन किया जाए।

18. जहाँ तक संभव हो जीवसूचक एवं अन्य अनुपादोन्नी/विषी अघोष्य खनिज (सिल्ट रोक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सड़की जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटिनिंग बॉल / बारलेम्स ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
20. खनिज का परिवहन कन्टार्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन उन बड़े वाहनों को हमता से अधिक नहीं करा जाना सुनिश्चित किया जाए।
21. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at, Village- Mudhena	
			Pavitra Van Niman	0.60
			Total	0.60

22. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित वर्षवारही 06 वाह में अधिचार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त असाधित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरान्त संबंधित दान पंथागत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्थात्वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित करते हुए प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। क्लोरिफेन असाधित होने पर पर्यावरण लीक्यूरी निरस्त की जावेगी।
23. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (आंवला, कर्ज, नीम, आम, जामुन, कदम आदि) क्लोरिफेन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 लग पौधों के लिए रु. 11,200 रुपये, बंसिंग के लिए रु. 65,000 रुपये, बाघ के लिए रु. 1,500 रुपये, सिंचाई के लिए रु. 1,20,000 रुपये तथा सब-रखाव के लिए रु. 60,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल रु. 2,57,700 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल रु. 7,25,080 रुपये हेतु परतकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दान पंथागत मुद्देना के वाहनसे उपरोक्त पंथाघोष्य वन (खसरा क्रमांक 427, क्षेत्रफल 1.57 हेक्टेयर में से 0.12 हेक्टेयर) को संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
24. सी.ई.आर. कोषण इन्फ्रास्ट्रक्चर केनेजमेंट प्लान, कोषण इन्फ्रास्ट्रक्चर केनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सामग्रीगत, सड़कों के रख-रखाव एवं क्लोरिफेन

- कार्य के वीटिफिकेशन एवं परीक्षण हेतु डि-प्लीग समिति (प्रोपराइटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या जलतीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर., बीएम इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान, बीएम इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान में परिचोचना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं कुआरोंपन का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित डि-प्लीग समिति से सत्यापित कराया जाए।
25. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर जाये, तब उन्हें खदान/खोद/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आग के द्वारा कठने गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना आवश्यक दिखेवासी होगी।
26. उत्खनन हेतु निर्दिष्ट क्षेत्र (घाटी तल 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), टील रोड, ओवरबैंक डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,200 नम नुमाँ का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। इतिषि कट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
27. प्रत्यक्षता के अन्तर्गत खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में कम से कम 200 नम प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम्, करंज, सीसू, आम, इमली, अजुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 22 नम पीपल का रोपण (कुल 342 नम पीपल) खदान के चारों ओर में किया जाए। रोपण की सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं चर्चित व्यवस्था (सब कटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की वशा में संशोधित ग्राम पंचायत द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए एवं क्षेत्र 4 वर्षों तक रख-रखाव किया जाए। 8 फीट से 8 फीट ऊँचाई वाले पीपल का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जहाँ पर्यावरणीय स्वीकृति तात्काल निरस्त की जा सकती है।
28. रोपित किये जाने वाले पीपल में संख्यांकन (Numbering) एवं पीपल के नाम का उल्लेख करते हुए डिप्लोम (Geotag) फोटोग्राफ सहित जानकारी प्राप्त प्रमाणों के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।
29. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पीपल का सारवाइवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक सुनिश्चित करती हुई मृत पीपल को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। आग के द्वारा रोपित पीपल के वृक्षारोपण को सफल बनाना आवसी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
30. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सॉफ्टवेयर एवं फोटोग्राफिक रिपोर्ट में सम्मिलित करते हुए जलतीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए. जलतीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
31. परिचोचना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिक्षिप्त क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य, सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य एवं लोक सुनवाई में दिये गये आश्वासन के अनुसार कार्य करना, बीएम इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान में परिचोचना प्रस्तावक की सहभागिता के कार्य करना नहीं पाये जाने पर चर्चित स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
32. परिचोचना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले

- शक्तियों को इस्तेमाल/नफ़ा आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर विधिसभाईय जाँच एवं आयरमकला अनुसार उनका उपयोग भी कराया जाए।
33. उत्खनन प्रक्रिया यू-जल सार के उपर असंतुल प्रभाव में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया यू-जल सार के बीच किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
 34. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि जनसभियों एवं जीव-जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक जनसभियों एवं जीव-जन्तुओं का समुचित संरक्षण आगला शामिल होगा।
 35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गीम खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गीम खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। मार्गन एक्ट 1982 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
 36. कार्य स्थल पर यदि केंचिंग अधिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे शक्तियों के आवास एवं सुरक्षा हेतु उचित बाधक परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में ही सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
 37. शक्तियों के लिए खनन स्थल पर स्वयं पैदाएल विधिसभाईय सुविधा, मोबाइल टॉयलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
 38. शक्तियों का समय-समय पर आवस्युंरुणल हेल्थ सर्विलंस करना आवश्यक है।
 39. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अधिष्ठित लभिमित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
 40. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अधिकतम अथवा केंद्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
 41. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की संपत्ति में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्खनन / निस्काव के मामलों को और सहा करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।
 42. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय में अस्तोचन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivash.nic.in पर भी किया जा सकता है।
 43. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्रवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।
 44. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में दवाए शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग

की जाएगी। इस हेतु परिचोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए वस्तुसूची एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को भेजित किया जाए।

45. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों / अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संकेत में की जाने वाली सीमित हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परिचोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
46. परिचोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अतिरिक्त रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बंधने वाले नियमों, परिसंकेतमय और अन्य अपरिचित (प्रयोग एवं सीमापार संकलन) नियम, 2010 तथा लोक कानून सेवा अधिनियम, 1986 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं।
47. प्रस्तावित परिचोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की वक्ता में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उचितता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने का मत निर्णय ले सके। अद्यतन में कोई भी विस्तार अथवा संशोधन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
48. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-कार्यालय एवं राष्ट्रीय केन्द्र एवं कलेक्टर / टहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
49. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

नेसर्ले पिकरी सैण्ड माइनिंग (प्री-बी नोडल बन्द मुकल)
 डी पार्ट डीक खसरा क्रमांक 1, कुल क्षेत्रफल - 48 हेक्टर में क्षेत्र का कुल 80 प्रतिशत
 क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन, ग्रान-पिकरी, लवरील-कगडोल,
 जिला-बलीदाबाजार-माटाबाबा (उ.प्र.) में महानदी से रेत उत्खनन क्रमांक 44,100
 धननीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में ही जाने वाली हार्द

- यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों से अधीन की जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।
1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति खनन पट्टे के निष्काशन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु वैध होगी।
 2. सस्टेनेबल सैण्ड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन्स, 2018 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2018) एवं इन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाइडलाइन्स फॉर सैण्ड माइनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
 3. इन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाइडलाइन्स फॉर सैण्ड माइनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत 80 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
 4. गार्ड अध्ययन (सिस्टम स्टडी) रिपोर्ट - परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विलुप्त गार्ड अध्ययन (Situation Study) करवाना, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाध नही आकर, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय जनसमि, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त स्टडी रिपोर्ट की प्रति जिला स्तरीय अधिकारी एवं एच.डी.आई.ए.ए., उ.प्र. में अनिवार्य रूप से जमात की जाएगी। उक्त स्टडी रिपोर्ट के आधार पर ही आगामी उत्खनन की मात्रा एवं उत्खनन की अवधि प्रभावित होगी।
 5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल आरंभ एवं समाप्ति तारीख, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
 6. लीज क्षेत्र के चारों कोनों तथा सीमा लाइन के मध्य में सीमेंट के खम्भे पड़ाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
 7. यदि खदान स्थानिक विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल सतह 5 हेक्टर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
 8. माइनिंग प्लान अनुसार वैध उत्खनन क्षेत्र 5 हेक्टर के कुल 80 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। शेष 40 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा। रेत का उत्खनन सतह से 1.5 मीटर गहराई तक ही किया जाएगा, ऊपरी अधिक नहीं। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 44,100 धननीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
 9. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 28/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माइनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का पालन सुनिश्चित करते जाते हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना होगा।

10. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित विड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े तालिकात एम.ई.आई.ए. ए. प्रतीकानुसार प्रस्तुत किये जायें। पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इसी विड बिन्दुओं में माइनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खान लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित विड बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार रेत खान उपसात मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इसी विड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलिंग (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित विड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलिंग (Levels) के मापन का कार्य आगामी 5 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिनांक 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अपरत 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एम.ई.आई.ए. प्रतीकानुसार प्रस्तुत किए जायेंगे।
11. रेत की खुदाई एवं भराई मजदूरों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। विश्व बैंक में पानी बहावों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) में लोडिंग फाईट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।
12. रेत का उत्खनन केवल विनियत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई सतह से 1.5 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह से 1 मीटर छोड़कर दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (ड्राई रीफ) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।
13. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षय न हो। किसी भी बुनियादी ढांचे, स्टावरूम, बांध, एरीकर, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।
14. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, लव्हिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
15. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस-पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्मित न हो। काछुओं के प्रजनन इलाकों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।
16. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिव के समय (सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य) ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए। रात्रि में उत्खनन करना पाबंद रहने की स्थिति में अर्थात् उत्खनन माना जाएगा तथा परिशोधन प्रस्तावक को विवेक विधानानुसार कार्यवाही की जाएगी। पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त भी की जा सकती है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न अंशों तथा लॉडिंग / अनलॉडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्लुइडिब इस्ट उत्सर्जन को नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
18. रेत का परिवहन तात्कालिक अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से इसके दूर वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को समता से अधिक नहीं बत जाना सुनिश्चित किया जाए।
19. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
20. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में नदीतट से कटाव को रोकने हेतु सीधे क्षेत्र के अनुसार जर्बुन, जालुन, बड़, पीपल, पीन, कंज, सीसु, आम, इमली, नीमस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1,000 नम पीधों का रोपण नदी तट पर रोपित किया जाए। रोपण को सुदृष्टित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (ज्या कंट्रीटन टार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पीधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पीधों की मुखा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने संबंधी आह्वय का सम्यक् पत्र प्रस्तुत किया जाए। रोपित पीधों की मुखा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा।
21. रोपित किये जाने वाले पीधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पीधों के नाम का उल्लेख करते हुए फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्थात्कालिक रिपोर्ट के साथ जमा करने। ऐसा नहीं करने पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति निराह की जा सकेगी।
22. वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक सुनिश्चित करने हेतु मृत पीधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
23. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डीजीपीएस (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ अर्थात्कालिक रिपोर्ट में सम्मिलित करते हुए वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., वृक्षारोपण को प्रेषित किया जाए।
24. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
26.52	2%	0.53	Following activities at Village - Maida	
			Plantation at Village Pond	0.75
			Total	0.75

25. सी.ई.ओ.ए. के लक्ष्य निर्धारित कार्यवाही 08 महीने में अधिकांश रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.ओ.ए. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरोक्त संबंधित घाम संस्थाओं से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर आर्थिक रिपोर्ट में सम्मिलित करती हुई प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.ओ.ए. कार्य की वास्तवता सुनिश्चित करना आवश्यक उल्लेखित होगा। कुशलपूर्ण अवकाश होने पर पर्यावरण स्वीकृति निश्चित की जाएगी।
26. सी.ई.ओ.ए. के अंतर्गत लालाब के जारी और कुशलपूर्ण (ग्राम, कटहल, जानुन) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल कुल 90 नम जिसमें से 10 नम कुल पूर्व से लालाब की घामों और अधिनियत है। रोम 40 नम पीछी के लिए राशि 4,000 रुपये, पंशिंग तथा लख-रखार के लिए राशि 11,000 रुपये, खाद के लिए राशि 2,000 रुपये, सिंचाई आदि के लिए राशि 5,000 रुपये एवं अन्य कार्य के लिए राशि 5,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 27,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 48,000 रुपये हेतु बजटबद्ध व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा घाम संस्थाओं द्वारा के सहमति उपरोक्त बजटबद्ध व्यय (खरचा क्रमांक 308, क्षेत्रफल 0.999 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
27. सी.ई.ओ.ए. एवं कुशलपूर्ण कार्य के निरीक्षण एवं परीक्षण हेतु वि-क्षेत्र समिति (प्रोन्साईटर/प्रतिनिधि, घाम संस्थाओं के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या उत्तरीसंग्रह पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.ओ.ए. एवं कुशलपूर्ण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरोक्त गठित वि-क्षेत्र समिति से सहायित कराया जाए।
28. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें खदान/उद्योग/पट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.ओ.ए. के लक्ष्य अपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अधिकांश रूप से करना अपकी जिम्मेदारी होगी।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.ओ.ए. के लक्ष्य प्रस्तावित कार्य करना नहीं चाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति की निश्चित करने की कार्यवाही की जाएगी।
30. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केंद्र / राज्य शासन के विभागी, मण्डली एवं अन्य संस्थाओं से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमति प्राप्त करेना। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केंद्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / उत्तरीसंग्रह पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
31. उत्तरीसंग्रह ग्रीन खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिनियम दिनांक 2/3/2008 के प्रावधानों/शर्तों एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
32. कार्य स्थल पर यदि केंद्रिय अधिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे अधिकारों के आवास की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। अन्तर्गत व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाना जा सके।
33. अधिकारों के लिए खनन स्थल पर सख्त केंद्रिय अधिकारकारी सुनिश्चित, मंत्रालय टाबलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में

एक नुस्खा विकसित, अथवा कक्षा बानगी के पैकेट, प्लॉनियट आदि का विकसित प्रतिक्रिया रहेगा। नदी एवं नदी जल की स्वच्छता का ध्यान रखा जाये।

34. समितियों का समय-समय पर आवेष्टितनात होकर कार्यक्षेत्र कराया जाये।
35. पर्यावरण की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुसंधित उत्पन्न योजना के अनुसार वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एम.ई.आई.ए.ए. उत्तीर्णनाद / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
36. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केंद्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
37. एम.ई.आई.ए.ए. उत्तीर्णनाद पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परिवर्तना की सफरोक्त में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उल्लंघन / निस्कार की मागकों को अंग सखा करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।
38. परिवर्तना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परिवर्तना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परिवर्तना को शर्तों पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की त्रिषी आवेष्टक शर्तों सहित सचिवालय, उत्तीर्णनाद पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं एम.ई.आई.ए.ए. उत्तीर्णनाद की वेबसाइट www.mca.gov.in पर भी किया जा सकता है।
39. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अंत वार्षिक रिपोर्ट उत्तीर्णनाद पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तीर्णनाद पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एम.ई.आई.आई.ए.ए. उत्तीर्णनाद एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्ता शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी।
40. एम.ई.आई.आई.ए.ए. उत्तीर्णनाद, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर / क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / उत्तीर्णनाद पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैधानिक / अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परिवर्तना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करण नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
41. परिवर्तना प्रस्तावक उत्तीर्णनाद पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों,

परिसंकटमय अधीनस्थ (अवधान हवालत एवं सीमागत संघालन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक सचिवालय सेवा अधिनियम, 1951 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

42. प्रस्तावित परिवर्तन के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. छातीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की बात में एस.ई.आई.ए.ए. छातीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए. छातीसगढ़ इस पर विचार कर सही की उपयुक्तता अथवा नहीं सही निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए. छातीसगढ़ / नरस सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
43. छातीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय सचीवृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केंद्र एवं कलेक्टर, तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
44. पर्यावरणीय सचीवृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।


सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.


अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मैसूरु बंगोरी सैंड माईनिंग (सी - बी लिमिटेड द्वारा संचालित)

को चार्ट ऑफ खदान क्षेत्रोंक 808, कुल क्षेत्रफल-4.9 हेक्टेयर में से चार माईनिंग क्षेत्र 1,375 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 4,1825 हेक्टेयर क्षेत्र का कुल 80 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन, काम-बंगोरी, तहसील-सवन्, जिला-बल्लारिगुड-गाटानावा (छ.ग.) में महानदी से रेत उत्खनन क्षमता 37,482 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में ही जाने वाली रही

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों से अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जाये तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति खनन चार्ट के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु वैध होगी।
2. सस्टेनेबल सैंड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं एन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सैंड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
3. एन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सैंड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत 80 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. गार्ड अध्ययन (मिलिटेशन स्टडी) रिपोर्ट - परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गार्ड अध्ययन (Situation Study) करावेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) वास्तु सही अंशमें, रेत उत्खनन का गदी, गदीतल, स्थानीय जनसंख्या, जीवन एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की शुद्धता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त स्टडी रिपोर्ट की प्रति जिला जलिन अफिसरी एवं एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाएगी। उक्त स्टडी रिपोर्ट के अन्तर्गत पर ही आगामी उत्खनन की मात्रा एवं उत्खनन की अवधि प्रस्तुत होगी।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य ज्वेरा द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल अक्षांश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
6. लीज क्षेत्र के चारों ओरों तथा सीमा लाईन के बाहर में सीमेंट के खम्भे गड़ाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
7. यदि खदान जलिन विभाग द्वारा अधिसूचित किन्ही बलस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
8. माईनिंग प्लान अनुसार वैध उत्खनन क्षेत्र 5 हेक्टेयर के कुल 80 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। रेत 80 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा। रेत का उत्खनन खदान की 1.5 मीटर गहराई तक ही किया जाएगा, उससे अधिक नहीं। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 37,482 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।

9. मानवीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 28/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माइनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के तहत का चलन सुनिश्चित करने जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विरोधक नियुक्त करना होगा।
10. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित छिद्र बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सई कर, उसके आंकड़ों तत्काल एस.ई.आई.ए.ए. फालीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें। फेब्रु-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इसी छिद्र बिन्दुओं में माइनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खण्ड लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सई पूर्व निर्धारित छिद्र बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरोक्त मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इसी छिद्र बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जायेगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित छिद्र बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। फेब्रु-मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं मई-मानसून के आंकड़ें अगस्त 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., फालीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।
11. रेत की खुदाई एवं मलाई बहिर्गम द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रेत बैंड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लॉडिंग पार्टीट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर द्वारा किया जाएगा।
12. रेत का उत्खनन केवल विनोद, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई सतह से 1.5 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह से 1 मीटर छोड़कर नीचे में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हाई रीफ) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।
13. रेत उत्खनन नदी तटी से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटी का क्षण न हो। किसी भी ड्रिलिंग, स्टारबेन, बांध, एन्रीकर, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।
14. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, लविकिटी एवं जल बहाव के स्तर पर कोई विचलित प्रभाव न पड़े।
15. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस-पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इलाकों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।
16. रेत उत्खनन एवं मलाई / परिवहन दिनों के समय (सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य) ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए। रात्रि में उत्खनन करना पाबंद करने की स्थिति में अतिरिक्त उत्खनन माना जाएगा तथा परियोजना प्रस्तावक को

विरुद्ध निषेधानुसार कार्यवाही की जायेगी। सर्वोच्चतम स्वीकृति निरस्त भी की जा सकेगी।

17. परिवर्धन प्रस्तावक द्वारा रेल उत्खनन विभिन्न प्रयोगों तथा लॉडिंग / अनलॉडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्युजिलिटिव आउट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल विखरता अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेल उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
18. रेल का परिवहन कारपोरेटिव अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से इको दूर वाहन से किया जाए, ताकि रेल वाहन से वाहन नहीं गिरे। कार्गो का परिवहन वन रहे वाहनों की क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
19. उत्खनन क्षेत्र में शानि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
20. प्रत्यक्षता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जायुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, चीन्हा, आम, इमली, चीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1,000 नम पीछी का रोपण नदी तट पर रोपित किया जाए। रोपण को सुनिश्चित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कॉन्टेनर टार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पीछी का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त कुलरोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पीछी की सुरक्षा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने संबंधी आदेश का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। रोपित पीछी की सुरक्षा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परिवर्धन प्रस्तावक का रहेगा।
21. रोपित किये जाने वाले पीछी में संख्यांकन (Numbering) एवं पीछे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोवाला सहित जानकारी अधिसूचित रिपोर्ट के साथ जमा करें। ऐसा नहीं करने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
22. कुलरोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक सुनिश्चित करने हेतु मृत पीछी को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
23. किये गये कुलरोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोवाला अधिसूचित रिपोर्ट में सम्मति करते हुये प्रतीसंगठ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एन.ई.आई.ए.ए., प्रतीसंगठ की प्रेषित किया जाए।
24. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
24.09	2%	0.48	Following activities at Village - Changori	
			Plantation at	0.75

111

			Village Pond	
			Total	9.75

25. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरोक्त संबंधित ग्राम पंचायत के कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्थात् वार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने हेतु प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आमका उत्तरदायित्व होगा। कृषारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जाएगी।
26. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के कार्य और कृषारोपण (आम, कटहल, जामुन) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल कुल 60 नम जिसमें से 20 नम वृक्ष पूर्व से तालाब के कार्य और अनिवार्य है। वीज 40 नम पीछे के लिए राशि 4,000 रुपये, पेरिंग के लिए राशि 4,000 रुपये, खाद के लिए राशि 2,000 रुपये, सिंचाई तथा रक्ष-रक्षण आदि के लिए राशि 19,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 27,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 48,000 रुपये हेतु घटकवार व्यव का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत संगठन के सहमति उपरोक्त क्वालिटी स्थान (खसरा क्रमांक 607, क्षेत्रफल 0.547हेक्टेयर) के संकेत में जानकारी प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
27. सी.ई.आर. एवं कृषारोपण कार्य के सैनिटेशन एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (ग्रामसचिव/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या कृषीसमग्र पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं कृषारोपण का कार्य पूर्ण करने के उपरोक्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सावधानित कराया जाए।
28. जब भी निरीक्षण बल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें खदान/खोम/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आमकी द्वारा कराये गये कार्य का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना आमकी जिम्मेदारी होगी।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति की निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
30. परियोजना प्रस्तावक संबंधित बौन्ड / राज्य शासन के विधानी, मन्त्राली एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु सार्व-समय पर बौन्ड/राज्य सरकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / कृषीसमग्र पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
31. कृषीसमग्र ग्रीन सभिय नियम, 2016, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2008 के प्रावधानों/शर्तों एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
32. कार्य स्थल पर यदि कंथिंग अधिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे स्थलों के आवास की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में ही सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

33. शनिवारों के लिए खानन स्थल पर स्वच्छ वैकल्पिक विधिवसवीय सुविधा, मंत्रालय टायलेंट आदि की व्यवस्था परिशोधन प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में पल नुब विचारण, अथवा अन्य सामग्री के पैकेट, प्लास्टिक आदि का विचारण प्रतिबंधित रहेगा। नदी एवं नदी जल की स्वच्छता का ध्यान रखा जावे।
34. शनिवारों का समय-समय पर आसपूरवागत होल्ड सर्विलेस बनाया जावे।
35. परखनन की तकनीक, कार्य होल्ड एवं अनुशोधित परखनन योजना के अनुसार वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
36. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आदेश किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्बन्धित पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्बन्धित को मुक्तान पढ़ाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केंद्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के पालन हेतु अधिकृत करता है।
37. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परिशोधन की समीक्षा के परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन रूप से पालन न करने की दसा में किसी भी शर्त में संशोधन/गिरता करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उल्लंघन / गिरावट की मानकी को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रहता है।
38. परिशोधन प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में जो कि परिशोधन होल्ड के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आदेश की सूचना प्रसारित करेगा कि परिशोधन को सख्त पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतिपि आसपास शर्तों सहित सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.eko.nic.in पर भी किया जा सकता है।
39. पर्यावरणीय स्वीकृति में ही नई शर्तों के पालन हेतु की नई कार्यवाही की अर्थ वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, माना सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदाता शर्तों के पालन की नॉनटारिंग की जाएगी।
40. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर / क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के विज्ञापित / अधिकारिणों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली नॉनटारिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परिशोधन प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पावे जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति गिरता की जा सकेगी।
41. परिशोधन प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा की नई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। वे शर्तों जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा

111

निर्वाचन) अधिनियम, 1974 वगैरे (अपूर्णा निर्वाचन तथा निर्वाचन) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिशुद्धता अधिनियम (प्रदूषण नियंत्रण एवं सीमापार संयंत्र) अधिनियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दण्डित कृषि अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

42. प्रस्तावित परिवर्तन के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विस्तार अथवा परिवर्तन होने की बात में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाय, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। संयंत्र में कोई भी विस्तार अथवा उन्मूलन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाय।
43. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उसके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-कार्यालय एवं एरिया ऑफिस एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
44. पर्यावरणीय स्वीकृति को विस्तृत अधीन नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकती है।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

सदस्य, एस.ई.ए.सी.